राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का तीसवां दिवस [संख्या 16

मंगलवार,

दिनांक 13 अप्रेल, 1971

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत, शिक्षा, यातायात, अकाल सहायता, समाज कल्याण, वन, वित्त, चिकित्सा, सिंचाई, पंचायत, चुनाव विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री जगन्नाथ पटेल।

जिला टोंक के ग्रामों में बिजली

214. **श्री जगन्नाथ पटेल** (टोडा-रायसिंह) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत जिला टोंक की किन किन तहसीलों के कौन कौन से गांव का कब कब विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? तथा कितनों का विद्युतीकरण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युतीकरण के प्रयोजनार्थ उपरोक्त तहसीलों के कौन कौन से गांवों का विद्युत् विभाग द्वारा कब कब सर्वे किया गया या योजना बनायी गयी ? तथा उक्त सर्वे तथा योजना के तहत अब तक क्या क्या कार्य कब कब किया गया ? कार्य प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 29-1-70 को विद्युत विभाग ने टोंक जिले के ग्राम अरण्या नील, अमीर खेड़ा, छाण व महुवा के संबंध में कोई सर्वे रिपोर्ट आदि सवाई माधोपुर के विद्युत् विभाग के पास भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जिला टोंक में प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक करीब 82 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

Page No 2

(श्री खेतसिंह)

(2) पिछले तीन वर्षों से जिन ग्रामों का सर्वे किया गया है उनको सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है। इन तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत 94 ग्रामों का सर्वे करके स्कीम रिपोर्ट बनाई गई जिसमें से 39 ग्रामों को स्वीकृत किया, 45 ग्रामों की योजना लाभप्रद नहीं पाई गई एवं शेष 10 गांव जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं होने अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजी गई योजना में सम्मिलित होने के कारण स्वीकृत नहीं किये गये। 39 स्वीकृत ग्रामों में से 37 का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा शेष 2 का विद्युतीकरण अब किया जावेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1970-71 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को एक क्लस्टर योजना भेजने के लिये 73 ग्रामों का सर्वे किया गया। इस योजना को उक्त निगम ने ऐतराज करके वापिस लौटा दिया, जिसे तदनुसार रिवाइज किया जा रहा है।

(3) इन ग्रामों की स्कीम रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता, सवाई माधोपुर ने मार्च, 1970 में यह ग्राम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजी गयी योजना में सम्मिलित होने के कारण अलग से स्वीकृत नहीं किये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जगन्नाथ पटेल : अध्यक्ष महोदय-जी, इससे पहले जो मेरे को लिस्ट दी गई है, वह इंगलिश में है, लिस्ट में कैसे पढ़ूं ? मेरे को हिन्दी की मिलनी चाहिए। खैर मैंने पढ़ तो लिया, अर्ज किया है।

श्री अध्यक्ष : आज का काम तो चला लीजिये।

श्री जगन्नाथ पटेल : आज का काम चला लूंगा। मेरा एक निवेदन है, मंत्री महोदय ने जो सबसे पहले टोंक के लिए कहा, कुछ नहीं कह सकते। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। कुछ नहीं कर सकते, यह कहते हैं, इतने ग्रामों का सर्वे हुआ है, इतने ग्रामों का सर्वे विभाग में है। मेरे प्रश्न के अन्दर कहा था कि टोंक जिले के अन्दर कितने कुओं को बिजली दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : बोलिये साहब !

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रश्न के जवाब में यह सब बातें आपको बतला दी हैं। आपने पूछा, दोनों जिलों का विद्युतीकरण कब तक हो जायगा। मैंने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा माननीय सदस्य को खुशी होनी चाहिए कि उनके इलाके के काफी गांव क्लस्टर योजना में सम्मिलित कर दिये गये हैं और यह होने के बाद उनका विद्युतीकरण हो जायगा।

श्री रामकिशन (वैर) : क्लस्टर की हिन्दी कर दीजिये।

श्री जगन्नाथ पटेल : इनका फर्माना ठीक है मंत्री महोदय का, मैंने यह निवेदन किया था, जो कुओं पर बिजली दी जानी है, 29-1-70 को चार गांवों की सर्वे रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सवाई माधोपुर के विद्युत विभाग को दी है, वह सर्वे रिपोर्ट कहां दबा दी है ?

Page No 3

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! कहां दवा दी है ?

श्री खेतसिंह : मैं इस बात का मालूम करूंगा कि कहां दबा दी है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न !

श्री जगन्नाथ पटेल : अध्यक्ष महोदय-जी, हंसने की बात नहीं है। मैं यह निवेदन करता हूं कि यह जो सर्वे रिपोर्ट जाती है तो उस पर मंत्री महोदय का फैसला होता है या बोर्ड करता है ?

श्री अध्यक्ष : क्या करता है ?

श्री जगन्नाथ पटेल : एक तो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं (कई माननीय सदस्यों के हंसने पर) हंसो मत !

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये जल्दी से जल्दी ?

श्री जगन्नाथ पटेल : प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सीधा पूछिये।

श्री जगन्नाथ पटेल : मैं प्रश्न सीधा पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदयजी, यह रिपोर्ट मैंने अर्ज किया था, सर्वे की रिपोर्ट 29-1-70 को भेजी थी टोंक के कुओं को बिजली देने के लिए तो वह इतने दिन तक क्यों नहीं ली है ? अगर बोर्ड के अन्दर पड़ी है तो बोर्ड के अन्दर होती तो मंजूर हो जाती। यह प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ?

श्री खेतसिंह : मैंने जैसा निवेदन किया, जो तारीख आपने दी है, उस तारीख का मुझे मालूम नहीं कि यह रिपोर्ट, उस तारीख को वहां से बनाई गई, वह एक्स० ई० एन० ने भेजी है तो मण्डल के अन्दर मालूम किया जायगा कि क्या हुआ रिपोर्ट का। मैं निवेदन कर सकता हूं कि 16-12-70 को एक दूसरी रिपोर्ट एक्स० ई० एन०, सवाई माधोपुर ने भेजी है, 73 गांवों की, टोंक, देवली, उनियारा की—उनके लिए कहा, सघन योजना, क्लस्टर स्कीम बनाई गई है, वह भारत सरकार को भेजी है।

श्री जगन्नाथ पटेल : कब तक वापिस जवाब आ जायगा ?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर ऑर्डर, जवाब कब तक आ जायगा जल्दी जवाब आ जायगा।

श्री खेतसिंह : भारत सरकार को भेजने का बता दूं। मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि भारत सरकार ने एतराज करके वापिस भेजी है, अब उसको रिवाइज करके वापिस भारत सरकार को भेज देंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं जानकारी चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम वापिस रिटर्न की है, उसको दुरूस्त करके कब तक भेज देंगे, समय होना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए क्योंकि वहां ई०आर० मार्क फण्ड का करते हैं। तो कब तक भेज देंगे ?

श्री खेतसिंह : इस माह के अन्त तक भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री रघुनाथ विश्नोई ?

तहसील सांचोर के ग्रामों में माध्यमिक पाठशाला खोलने की मांग

215. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर, जिला जालोर में ग्राम सरनाऊ, अरणाय, चीतलवाना व केरिया में अभी तक मिडिल स्कूल नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्रामों में जनता की मांग माध्यमिक पाठशाला खुलवाने की काफी अर्से से है ? अगर हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ग्रामों में सरकार माध्यमिक पाठशाला खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(1) जी हां ।

(2) जी हां, उक्त ग्रामों में अब तक माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय न खुलने के निम्न कारण हैं:—

(1) चारों स्थानों पर छात्र एवं भवन संबंधी शर्तों का अभाव है ।

(2) जिला परिषद् द्वारा इस सत्र में किसी भी रा०प्रा०मा० विद्यालयों के क्रमोन्नति के प्रस्ताव पारित नहीं किये गये हैं ।

(3) अगले वर्ष माध्यमिक पाठशाला खोलने के प्रश्न पर गुणावगुण के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर विचार किया जावेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भवन का अभाव है, जितने मिडिल स्कूल स्तर के बने हैं, ऐसे गांवों में धन के अभाव के कारण बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक रूरल एरिया में स्कूल नहीं खोलेंगे ? क्या पालिसी है गवर्नमेंट की ?

राव श्री धीरसिंह : जहां पर बिल्डिंग का अभाव है, वहां पहले विचार करते हैं। जहां पर्याप्त भवन उपलब्ध होते हैं वहां के प्राथमिकता में पहले आ जाते हैं। वसे शिक्षा का इन्तजाम करने के दृष्टिकोण से जहां बिल्डिंग नहीं हैं वहां राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध होने पर बिल्डिंग के बनने के बाद में विचार किया जा सकता है । अभी इतने स्थान हैं जहां बिल्डिंग पहले से बनी हुई है जन सहयोग से, वहां हम मदद पूरी नहीं कर पा रहे हैं । ऐसे स्थान पर जहां धन उपलब्ध हो तो बाद में स्कूल खोलने का विचार किया जा सकता है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह राज्य सरकार के सोचने की बात है, बिल्डिंग अब बनायें तो पचास साठ हजार में बिल्डिंग बने । इतना रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में चन्दा नहीं हो सकता है । इस तरह के राजस्थान में कुछ पिछड़े इलाके हैं, वहां काफी वर्षों तक एजूकेशन का इन्तजाम नहीं हो–ऐसी पालिसी गवर्नमेंट की है ? मेरा कहने का मतलब : यह है कि पांच पांच मील में दो दो स्कूल खोले जाते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र में स्कूल बनाते नहीं हैं जहां बीस मील में मिडिल स्कूल नहीं है ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
ऐसा विचार करेंगे, जो बिल्डिंग का मामला है, वहां कच्चे मकानात बना कर छः सात कमरे बना दें तो उसके बारे में विचार करेंगे या नहीं ? वरना जिस तरह की पालिसी बनाई है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलेंगे नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ?

राव श्री वीरसिंह : मैंने निवेदन किया, जहां पर आधा पैसा पब्लिक ने लगाया है, उनको इस साल हमने काफी बिल्डिंग के लिए पैसा दिया है। जहां पब्लिक के द्वारा कोई प्रयत्न नहीं हो, वैसे इसमें साठ सत्तर हजार की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक आधा पैसा देकर पांच दस कमरे बनाना शुरू करें तो राज्य सरकार पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए देगी। लेकिन जहां जनता बिल्कुल प्रयत्न न करे, फिर यह चाहे कि सारी बिल्डिंग गवर्नमेंट बना कर स्कूल खोले . . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : 4-4 पक्के कमरे बने हुए हैं, 10-10 हजार रुपये लगा चुके पहले मिडिल स्कूल आप मंजूर करते हैं बाद में राज्य सरकार विचार करती है। आप खोल ही नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बता दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्य सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए।

राव श्री वीरसिंह : प्राइमरी स्कूल्स की बिल्डिंग्स के लिए 5-5 हजार रुपये दिए हुए हैं और भी बजट प्रावधान होता है, प्राइमरी स्कूलों को भी दिए हैं।

प्रश्न सं० 216

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं० 217

श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री हरलाल मीणा।

ग्राम अरनोद में बिजली

218. **श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से अरनोद गांव 11 मील दूर है जहां काफी अच्छी मंडी है व प्रतापगढ़ से दूसरे नम्बर का कस्बा है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त गांव में पुलिस थाना, अस्पताल, हायर सैकेण्डरी स्कूल, पंचायत समिति हैडक्वार्टर के पास में श्री गोमतेश्वरजी का मशहूर तीर्थ स्थान है ? जहां हजारों तीर्थ यात्री आते जाते रहते हैं ? यदि हां, तो उक्त गांव में बिजली नहीं देने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि जहां से उक्त गांव को बिजली दी जायगी ? रास्ते में काफी बड़े 2 गांव आते हैं व जहां कुओं पर व गांव में बिजली लेने के लिए काफी किसान तैयार हैं ?

Page No 6

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। ग्राम अरनोद विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत कर दिया है। विद्युतीकरण करने की कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी।

(3) अरनोद को विद्युत प्रतापगढ़ से दी जावेगी। रास्ते के ग्राम-खेरियाबाद, खिरोट, मनोहरगढ़, विरायली को भी विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत कर दिया गया है।

श्री हरलाल मीणा : काम चालू हो गया या नहीं ?

श्री खेतसिंह : 2 मार्च, 1971 को मंजूरी हुई है। मैं समझता हूं, काम शुरू हो जाना चाहिए, यदि नहीं हुआ है, तो जल्दी शुरू हो जायगा।

श्री हरलाल मीणा : कब पूरा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी कह दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : चुनाव से पहले पहले।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

कुओं के लिए दी गई धनराशि

219. **श्री नंदलाल बैरवा (पाटन)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी की कौन 2 सी पंचायत समिति में कितनी 2 धनराशि पीने के पानी के अधूरे कुओं के लिए 1970-71 में दी गई है ?

(2) प्रत्येक पंचायत समिति में कितने कितने पीने के पानी के कुए अधूरे पड़े हैं ? और विभाग द्वारा कब तक उन्हें पूरा करवाये जाने का विचार है ?

(3) यदि इन कुओं को पूरा नहीं करवाया जा रहा है तो अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए पीने के पानी की क्या व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) :

(1) वर्ष 1970-71 में जिला बूंदी की नेनवा पंचायत समिति को पानी पीने के कुओं के लिए 2,000) रु० की धनराशि दी गई।

(2) इसकी सूचना विभाग के पास नहीं है अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यह कार्य वास्तव म जल-प्रदाय विभाग का है समाज कल्याण विभाग में तो इस कार्य के लिए केवल सांकेतिक प्रावधान रहता है।

श्री नन्दलाल बैरवा : नेनवा तहसील और पाटन तहसील बूंदी जिले में जो कुएं समाज कल्याण विभाग की तरफ से बनाये गये थे, वह अधूरे पड़े हैं। जितनी रकम खर्च की है उसका उपयोग हो सकता है। 1970-71 में कुल 50 कुएं अधूरे पड़े हैं जिसके लिये 2,000) रु० दिये हैं, इससे पानी की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है ?

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : विभाग के नियमों के अन्तर्गत जल कष्ट होने की

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

अवस्था में एक कुंए के लिये अधिक से अधिक दो हजार रुपये हम स्वीकृत करते हैं जो इनको दिये गए हैं । 2-2 हजार के अतिरिक्त और धनराशि की आवश्यकता है तो स्थानीय लोगों, जन सहयोग या श्रमदान से पूर्ति करनी चाहिये । यदि दो हजार से कम मिले हैं तो सूची भेज दें । उसकी मंजूरी विभाग की तरफ से जल्दी से जल्दी दी जायगी।

श्री नथमलाल बैरवा : सारे जिले में केवल 2 हजार रुपये दिये गये है न कि हरेक कुएं को 2 हजार दिये गये हैं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपने कहा था कि 50 कुएं अधूरे पड़े हैं और आपने कहा कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से काम शुरू हुआ था ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कुल 2 हजार दिये हुये हैं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : एक पंचायत समिति से प्रस्ताव आया था, 2 हजार मैक्सीमम सेंक्शन किया गया था । और भी प्रस्ताव आये थे लेकिन 24 मार्च तक सारी सैंक्शन्स की जा चुकी थीं नहीं तो रुपया सारा लैप्स होता । इस साल बाकी कुओं पर विचार किया जायगा ।

श्री नथमलाल बैरवा : समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो रकम दी जाती है, वह 28 मार्च को दी जाती है जो पहुंच नहीं पाती, उससे पहले मियाद खत्म हो जाती है । एक उदाहरण है । केशवराव पाटन में 20 हजार की रकम दी 1969-70 में वह 31 मार्च को सैंक्शन भेजी गई और 2 अप्रेल को पहुंची और सारी रकम लैप्स हो गई ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री मदनसिंह दांता ।

श्री रामप्रसाद बोहरा ।

श्री मदनसिंह दांता : मैं यहीं बैठा हूं ।

श्री अध्यक्ष : 220 प्रश्न बाद में लिया जाएगा ।

पत्ता तेन्दू का ठेका

221. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1970 के लिए रेंज बकानी व रेंज असनावर व रेंज खानपुर जिला झालावाड़ के पत्ता तेंदू का ठेका नव श्रमिक सोसाइटी जयपुर को दिया गया ? यदि हां, तो कितने कितने रुपयों में ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन तीनों रेंजों का ठेका पत्ता तेंदू पहले किसी दूसरे ठेकेदारों के नाम दिया जा चुका था ? यदि हां तो किन किन को कितने कितने रुपयों में ?

(3) रेंज बकानी व रेंज असनावर में पत्ता किसमे तोड़ा है और चौथाई की रकम किसके द्वारा जमा हुई, नाम बताने का कष्ट करें और चैक नम्बर व चैक किसने दिया यह भी बताने का कष्ट करें ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां । बकानी रेंज का 5001) में, असनावर रेंज का 7251 रु० में तथा

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

खानपुर रेंज का 10,000) में नव श्रमिक सहकारी संघ जयपुर को ठेका दिया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन के अनुसार रेंज बकानी में सर्व श्री मोहम्मद ईशाक, अब्दुल हफीज, भंवरलाल व जुगलकिशोर, निवासी कोटा द्वारा तथा असनावर रेंज में श्री ईद मुहम्मद, निवासी टोंक द्वारा पत्ता तेन्दू तुड़वाया गया, संघ ने चौथान जमा नहीं कराई किन्तु पूरी ठेका राशि चालान से राज्य कोष में जमा करादी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : यह ठेका नीलामी द्वारा मंजूर किया गया था या औसतन् सोसाइटी को दिया गया था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह सहकारी संघ को गत वर्ष की जो बोली थी उस आधार पर मंत्रीमंडल के निर्णय अनुसार दिया गया।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि श्रमिक सोसाइटी को ठेका दिया गया इससे पहले इसी ठेकेदार को ज्यादा बोली पर यह ठेका नीलाम करके मंजूर कर लिया गया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसी ठेकेदार को नहीं दिया गया था। यह नीलाम हुआ लेकिन विचार चल रहा था कि ठेके पर न देकर डिपार्टमेन्टल वर्किंग के जरिए इसको चलायें। लेकिन जब यह विचार गलत हुआ तो विभाग ने असमर्थता जाहिर की क्योंकि स्टाफ रखना पड़ेगा और दिक्कतें आएगी और बावजूद इसमें जोर देने के करीब 15 अप्रेल--20 अप्रेल तक भी इस बात पर निर्णय नहीं ले सके तब संघ को दिया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या यह सही है कि प्रारंभ में असनावर, बकानी व खानपुर इन रेंजों के ठेके की सी० एफ० ओ० ने वहां जाकर नीलामी की थी और ठेकेदार ने बोली लगाई थी, यदि हां, तो अंतिम बोली कितने रुपए की थी, किसकी थी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : बोली लगी थी लेकिन सेंक्शन अंततोगत्वा नहीं हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह बोली किसी की थी, कितने कितने रुपयों की थी, किस तारीख को नीलामी हुई थी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : बोली लगी थी लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, इसको डिपार्टमेन्टल वर्किंग में लेना था और इसके लिए राज्य सरकार की जब तक सैंक्शन नहीं होती है तब तक वह सैंक्शन नहीं मानी जाती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा प्रश्न सीधा है। क्या डी० एफ० ओ० ने वहां जाकर नीलामी की थी, बोली लगवाई थी, यदि हां, तो किस किस ठेकेदार ने अंतिम बोली लगाई और कितने कितने रुपयों की ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : बोली लगवाई जाती है, बोली आ जाती है लेकिन अंततोगत्वा राज्य सरकार सैंक्शन करती है, वही मंजूरी समझी जाती है।

श्री अध्यक्ष : सीधासा प्रश्न है। आपकी जानकारी में है कि किस किस ने बोली लगाई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : बोलियां लगवाई गई।

श्री अध्यक्ष : किन लोगों ने लगाई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो औसत कीमत है उससे कम आई थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं चुनौती देता हूं, गलत सूचना दे रहे हैं। आप बताइए अंतिम कितनी थी ? आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तेजित न हों।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मंत्रीजी टालमटोल कर रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो कुछ बोलियां लगाई औसत कीमत से कम थीं। इसलिए डिपार्टमेन्टल वर्किंग में दिया जाए, ऐसा सोचा गया...

श्री अध्यक्ष : वह पूछते हैं नाम जिन्होंने बोली लगाई, अगर जानकारी नहीं है तो कह दीजिए नहीं। और कितनी बोली थी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा प्रश्न साफ था और आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूं कि यह जो 5 हजार रुपये में इन्होंने सहकारी संघ को दिया है, मैं निश्चित रूप से और प्रमाणिकता के साथ कि वन सहकारी संघ ने इन्हीं ठेकेदारों को जो 5 हजार में ठेका लिया उसको 15 हजार में सबलेट कर दिया और जब सरकार ने बोली लगवाई थी तो तीनों ठेकेदारों ने 67 हजार की बोली लगाई थी और सरकार कहती है कि हमारा यह नियम है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, झालावाड़ जिले की रेंजों के अंदर और वन सहकारी संघ को 2 जगहों पर छोड़ो, तीसरी जगह इसी मोहम्मद को सरकार ने ठेका दिया तो राज्य सरकार की यदि नीति थी तो सतारोली के अंदर जितने कागजात हैं, सहकारी संघ और पावेवाला की सांठ गांठ है 25-25 हजार लेकर सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदत्त शर्मा ने जुगल किशोर को सबलेट किया। सबलेटिंग का कानून नहीं है...

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कई जगह बोली लगने के बाद वन श्रमिक सहकारी संघ को ठेका दिया गया। अधिकांश श्रमिक सहकारी समितियों के लिये यह माना जाता है कि वे वहां के आदिवासियों और वर्कर्स की समितियां हैं और उनको रियायतन भी कूप्स वगैरा देकर आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता है। यह बात सही है कि उनसे पूरी तरह लाभ पहुंच रहा है या नहीं इसमें बड़ा भारी प्रश्नचिन्ह है और वह सरकार के सामने है। सरकार भी इसको तस्दीक कर रही है कि ठेके देते हैं उनका सही रूप से उपयोग हो रहा है या नहीं, क्या सेचुरेशन ऑफ इकोनोमी उन लोगों की हो रही है जिनके लिये संघ बना है और रियायत दी है ? इस विषय में संघ ने दुरुपयोग किया है।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

ऐसा मालूम पड़ता है, इसलिये प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के मुताबिक संघ ने ठेकों को सबलेट किया है. संघ से एक्स्प्लेनेशन मांगना बाकी है। ब्लैक लिस्ट अथवा और कोई कार्यवाही होगी वह की जावेगी। राज्य सरकार की कभी यह मंशा नहीं है कि संघ इसका फायदा उठाये। फायदा श्रमिकों के लिये है। उनको फायदा देना है। रियायतों से श्रमिकों को पूरा लाभ नहीं पहुंचा सके हैं। यह उनकी गलती है। उसके लिय उचित कदम उठाये जावेंगें।

श्री अध्यक्ष: श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब ठेके संघ को दिये गये तो ठेकेदारों ने रकम सरकार में क्यों जमा करायी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ठेकेदारों ने रकम राज्य सरकार में जमा नहीं करायी है।

श्री जुझारसिंह : आपने जवाब दिया है कि वे ही ठेकेदार हैं जिन्होंने बोली पहले लगायी थी।

श्री अध्यक्ष : (श्री कृष्णकुमार गोयल के खड़े होने पर) स्पष्टीकरण आने दीजिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : खण्ड 3 को मैं फिर पढ़ कर सुना देता हूं प्रारम्भिक जांच के प्रतिवेदन के अनुसार रेन्ज बकानी में सर्व श्री मोहम्मद इस्हाक, अब्दुल हफीज, भंवर लाल व जुगलकिशोर, निवासी कोटा द्वारा असनावर रेन्ज से श्री ईद मुहम्मद निवासी टोंक द्वारा पत्ता तेन्दू तुड़वाया गया। संघ ने चौथान जमा नहीं करायी किन्तु दूरी ठेका राशि चालान से राज्य कोष में जमा करा दी। हमारे पास यह प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट नहीं होती और पकड़ने की मंशा होती तो हम यह कह सकते थे कि यह संघ ने लिया और पत्ते तुड़वाये हैं। जांच रिपोर्ट आ चुकी है इसलिये उसके अनुसार ही कहा है कि पत्ते तोड़ने वाले दूसरे लोग थे जिनको उनको नहीं देना चाहिये था। प्रश्न यह था कि संघ ने चौथान जमा नहीं करायी। बाई लॉज के अनुसार संघ और समितियों को चौथान जमा नहीं करानी पड़ती है। सिक्यौरिटी मनी भी जमा नहीं करानी पड़ती है। राज्य कोष में जमा करा दी और वह किसने जमा करायी यह प्रश्न था। संघ ने करायी संघ को किसने क्या दिया और क्या नहीं दिया इससे इसका वास्ता नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रश्न का खंड दो मुख्य है। सवाल यह नहीं है कि श्रमिक सहकारी समिति को दिया। वह अलग प्रश्न है। मुख्य प्रश्न यह है कि पहले ठेकेदारों को दिये थे। आखरी बोली हो गयी। और चौथान जमा हो गयी। उसका आप बिलकुल जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रश्न का खण्ड दो बिलकुल साफ है :

(2) "या यह भी सही है कि इन तीनों रेंजों का ठका पत्ता तेंदू पहले किन्हीं दूसरे ठेकेदारों के नाम दिया जा चुका था ? यदि हां, तो किन किन को कितने कितने रुपयों में ?"

इसका उत्तर बिलकुल नहीं दिया गया। हां, मरते हैं कि नीलाम हुए थे।

श्री अध्यक्ष : फिर से इसका स्पष्टीकरण कर दीजिये ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि नीलाम हुए थे । मंजूरी आखिर में उनके नाम पर नहीं हुई ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम यह पूछना चाहते हैं कि आखरी बोली किस किस ठेकेदार की थी ?

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, वह जानकारी उनके पास है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मेरे पास जो जानकारी है वह मैं बता देता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसको पोस्टपोन कर दीजिये ।

श्री नारायणसिंह मसूदा (खानपुर) : 7,600) रु० की बोली हुई ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किसके नाम ?

श्री अध्यक्ष : नाम किसका बताया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : असनावर रेंज, बकानी और खानपुर तीनों रेन्जों के हैं । 28 हजार के एक का, दूसरी का 19,138 और तीसरी का 22 हजार का एवरेज था । उससे यह कम बोलियां हैं । जब ये कम बोलियां आयों तो प्रश्न यह उठा कि कम क्यों आ रही हैं । तीसरा जबाब इसके लिये यह आया कि मार्केट का फ्लक्चुएशन इस प्रकार का हुआ है । मध्य प्रदेश में तेन्दू पत्तों की बहुत बोलियां गिरी हैं । सरकार ने यह विचार किया कि बोलियां कम आ रही हैं तो डिपार्टमेन्टल वर्किंग को क्यों नहीं ट्राई किया जाय । उसके आदेश दिये गये । पन्द्रह बीस दिन हो गये थे लेकिन डिपार्टमेन्ट ने मंतव्य नहीं दिया ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : यह बिलकुल गलत है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : बार बार इस प्रकार के स्पष्ट आदेश दिय गये कि इसको डिपार्टमेन्टल वर्किंग में लिया जाय लेकिन जब डिपार्टमेन्ट वाले इसके लिये अपना मंतव्य नहीं बना सके तो चूंकि तेन्दू पत्तों का ठेका सीजनल होता है इसलिये उस समय फिर संघ की दरख्वास्त आयी कि हम उन तीनों ठेकों को लेने के लिये तैयार हैं । ठेकेदार उस वक्त मुकर चुके थे ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, उनकी जबान में कुछ भरा हुआ है, आवाज नहीं आ रही है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उन्होंने ओफर दी कि जिस प्रकार कायदे से संघ को दिया जाता है हम ठेका लेने के लिये तैयार हैं इस विश्वास के साथ हमने उसको दिया । गत वर्ष की बोली के आधार पर संघ को दिया गया मैं मानता हूं कि इसमें सरकार को नुकसान रहा है । डिपार्टमेन्टल वर्किंग नहीं कराया जा सका ।

श्री अध्यक्ष : वह आपने फरमा दिया है । अब विराम लगा दीजिये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अकानी के ठेके की बोली 17 हजार पर समाप्त हुई थी उसको इन्होंने पांच हजार में इसको दिया है। 17 हजार ज्यादा होते हैं या पांच हजार ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने प्रारम्भ में यह कहा था कि केबिनेट के अन्दर इस मामले में विचार चल रहा था।

श्री नारायणसिंह मसूदा : केबिनेट ने इस बारें में निर्णय नहीं लिया है। केबिनेट में इस प्रकार का निर्णय पहले ही लिया हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक प्रश्न।

(एक साथ कई वक्ता खड़े हुए : शोरगुल अश्रव्य)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह केबिनेट में डिसीजन ले लिया तो फिर ठेके में बोली क्यों लगाई ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को ठेका दे दिया तो इस संघ ने दूसरे प्राइवेट ठेकेदारों को सबलेट कैसे कर दिया ? क्या उसको सबलेट करने का अधिकार सरकार ने दिया ? नहीं दिया तो फिर उन्होंने पत्ते कैसे तोड़े ? और अगर अनधिकार रूप से तोड़े तो सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की ? की तो क्या की, बताएं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में

श्री नारायणसिंह मसूदा : सबलेट की प्राथमिक रिपोर्ट अभी हमारे पास आई नहीं है। इस बारे में संघ से भी एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। उनका जवाब आने पर डिटेल में इसकी जांच कराई जावेगी और इसके बाद अगर संघ की गलती पाई गई तो उसे ब्लेक लिस्ट किया जावेगा या जो दण्ड देना होगा दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इसमें नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इसके अन्दर पचास हजार का कम से कम घोटाला हुआ है। राजस्थान वन श्रमिक संघ के अध्यक्ष को उसके श्री जुगलकिशोर को घोटाले की पूरी छूट दी जा रही है और मेरा यह आरोप है कि माननीय मन्त्रीजी प्राइवेट ठेकेदारों को अपने मकान पर बुलाकर संघ का नाम लेकर सौदा करवाते हैं, तब जाकर उनकी यह हिम्मत पड़ती है, यह शाहबाद का मामला है। यही और जगहों का मामला है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह बिलकुल सही नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बिलकुल सही है। शाहबाद रेन्ज का मामला हुआ। बोली का चौथाई 13॥ हजार रुपया लोगों से जमा करा लिया गया पर बाद में आपने ठेकेदारों का ठेका कन्सिल कर दिया और जिसमें लाखों रुपया सरकार का बकाया है उस वन श्रमिक सहकारी संघ को सहकारिता की आड़ लेकर ठेके दिये जाते हैं। सबलेट करने की उनको

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

छूट दी जाती है। लाखों रुपया इसमें बकाया है आज दिन तक एक पैसा जमा नहीं कराया। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उल्टे अभी 13 दिन पहले आपने मकान पर ठेकेदारों को बुलाया ब्रह्मदत्तजी को बुलाया शाहबाद की रेन्ज का 53 हजार का ठेका श्रमिक सहकारी संघ के नाम 17 हजार में कराया। लोगों का 13॥ हजार एक चौथाई का जमा करा दिया। फिर कन्सिल कर दिया यह क्यों किया? आपने ठेकेदार को बुलाया और मिलकर समझौता कराने की बात कही।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वे ठेकेदार स्वयं कहते हैं। दस हजार रुपया एक को दिया, अग्रवाल को दिया, 33 हजार रुपया और को दिया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मेरा निवेदन यह है ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री मदनसिंह : आपके दिल की बात सामने आने दीजिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप अपने दिल को सम्भाल कर बैठिये। दूसरों के दिल पर आघात न करिये।

श्री अध्यक्ष : दिलों पर अधिकार नहीं होता किसी का, यह भी समझिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन यह है कि हम एक कोर्ट ऑफ लॉ में ए तरह से बैठे हैं। यहां के बोलने, प्रश्न करने और उत्तर देने के नियम हैं। प्रश्नकर्ता दुनिया भर की नालेज को यहां उढ़ेलता है तो उत्तर देने वाला कहां तक क्षमता रखता है यह भी विचार करना चाहिऐ इसका निर्णय करना चेयर का काम है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

शिक्षा मन्त्रीजी।

हायर सेकण्डरी स्कूल, दांता के अध्यापक

220. **श्री मदनसिंह (दांता रामगढ)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हायर सेकण्डरी स्कूल, दांता में एसे अध्यापक हैं जो दस साल से वहीं हैं? अगर हां, तो कितने अध्यापक हैं? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल में अध्यापकों की कमी है? अगर हां, तो कितने अध्यापकों की कमी है?

उप-मंत्री, शिक्षा, (श्री धीरसिंह) (1) जी हां। यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दांता में दस साल से चार अध्यापक काम कर रहे हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त संस्था में दो वरिष्ठ अध्यापकों की कमी है। उन पदों पर हिन्दी एवं भौतिक शास्त्र के वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति निदेशालय द्वारा बार बार की जाती है किन्तु आशार्थी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब आदेश दिया गया है कि तुरन्त

(राव श्री धीरसिंह)

अध्यापकों की नियुक्ति करके सरकार को सूचित किया जाय।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मदनसिंह : ये दोनों कब से नहीं जा रहे हैं ?

राव श्री धीरसिंह : 24-2-71 को अध्यापक लगाये गये थे। पर ड्यूटी पर नहीं गये। अब दूसरों को लगावेंगे।

श्री मदनसिंह : आपने फिर क्या एक्शन लिया ? वे राज के नौकर हैं, सरकारी आदेश नहीं मान रह हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया सरकार ने ?

राव श्री धीरसिंह : जब वे नहीं जावेंगे तो दूसरों को लगा दिया जावेगा।

श्री मदनसिंह : आपकी सूची में एक रामेश्वर हैं वे 21 साल से वहां है एक ही जगह पर। यह क्यों ? फिर क्या उनके खिलाफ लोगों की शिकायत आपके पास नहीं आई कि ये राजनीति में भाग लेते हैं। बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

राव श्री धीरसिंह : उनके विरुद्ध शिकायतें विभाग में आई होंगी तो उन पर विभाग ने कार्यवाही भी की होगी। राज सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर वह अध्यापक काम नहीं करता है तो सजा मिलेगी चार्जशीट दिया जा सकेगा।

श्री मदनसिंह : अगर मगर नहीं है। मैं कई बार मन्त्री महोदय के पास इस मामले को लेकर भी गया हूं। रामेश्वर अध्यापक प्रधान का भाई है इसलिय विभाग वाले कहते हैं कि उसके खिलाफ कार्यवाही करने की उनकी हिम्मत नहीं है। वह आज 21 साल से वहीं पर हैं। क्या यह नियम के विरुद्ध नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया।

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय ने कहा कि मेरे पास तो शिकायत नहीं आई उसका जवाब दिया है।

राव श्री धीरसिंह : अगर शिकायत होगी तो चार्जशीट दिला दूंगा। फिर 21 साल से है तो जाना चाहिए ऐसा नियम नहीं है। अगर वह अच्छा है जनता चाहती है तो कन्टीन्यू कर सकता है और अगर शिकायत है जनता नहीं चाहती उसका काम ठीक नहीं है, ठीक से नहीं पढ़ाता है तो साल छः महीने में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आप कहते हैं वह अच्छा नहीं है कुछ लोग कहते हैं अच्छा है। तो आरोप साबित सही पाये जावें तभी तो एक्शन लिया जा सकता है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आरोप लगाया है शिकायत भी की है पर कोई सुनवाई नहीं की गई। राजनीति में खुले आम भाग लेता है यह अध्यापक। पर प्रधान का भाई है इसलिय एक्शन नहीं लेना चाहता कोई भी। अब तक मैंने केवल आपसे निवेदन ही किया था अब शिकायत करता हूं कि लोग धक्का देकर निकालेंगे उसको अगर आपने वहां से इस राजनीति में पड़ने वाले मास्टर को नहीं हटाया तो। अब तो धक्के की नौबत या गई है। मेरे पास उसकी फोटो मौजूद

(श्री मदनसिंह)

है जिसमें यह कांग्रेस के लोगों के साथ बच्चों को लेकर जुलूस में खड़ा है। विभाग के पास शिकायत है विभाग सब जानता है, पर कहता है कि क्या करें सीकर के कांग्रेसी आकर दबाते हैं इसलिये इस आदमी को वहां से नहीं हटा सकते। मैं चाहूंगा आप इसमें एक्शन लें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): पहले ये सज्जन आपके साथ थे। अब आपका कहना नहीं मानते तो शिकायत करने लगे हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : आप गलत बात कहते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आपकी जीपों में बैठकर इन्होंने प्रचार किया है। अब आपका कहना नहीं मानते.......

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : मोदीजी को एसा दर्द क्यों आ रहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : उन्होंने आपकी बात मानी नहीं, इसलिये अब शिकायत आ गई।

श्री मदनसिंह : आज के आठ रोज पहले इसने लड़कों को पीटा है।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री ! प्रश्न संख्या 222.

उप-मंत्री, यातायात (श्री समरथलाल) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तैयार नहीं हो पाया है, इसलिये इसको स्थगित किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रश्न में पूछा ही क्या गया है ?

मैंने तो यही पूछा है।

कारों व स्कूटरों का एलॉटमेन्ट

222. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात् श्री अमृतलाल यादव के मंत्रीत्वकाल में कारों व स्कूटरों का एलॉटमेंट जिन जिन को किया गया उनके नाम व पते तथा प्रार्थना-पत्र तारीख, स्वीकृति की तारीख आदि विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन कारों व स्कूटरों के एलाटमेंट के जो नियम राज्य सरकार ने बनाये थे उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) श्री यादव ने निर्धारित अवधि से पूर्व वाहन किस किस को एलॉट किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

यह सारी सूचना तो गवर्नमेंट के रिकार्ड में है। कौनसे पीरियड की इत्तला नहीं हो पाई है। कौन से पीरियड की जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो पाई है यह बता दीजिये।

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): अध्यक्ष महोदय, यह जो सब पार्ट 3 है—

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
समय से पूर्व वाला इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है क्योंकि उस समय का रिकार्ड देखना पड़ता है कि वह अवधि के बराबर है या नहीं है। इसलिये इसमें समय लग गया है। मैं इसका नैक्स्ट टर्न पर जवाब दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अवधि ? जिसको दिया जाता है, एलॉटमेन्ट किया जाता है, तो यह सब चीजें उसकी एप्लीकेशन में मेन्शन होती हैं और समय से पूर्व दी जाती हैं तो सके लिये आपके नियम बने हुए हैं और उनको आपको रिलेक्स करना होता हैं उन नियमों के तहत और जो कमेटी इसके लिये बनी हुई है वह कमेटी में इनफरमेशन अवेलेबल है कि किस किस व्यक्ति ने दो साल से पहले लिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यह जो सब पार्ट 3 है उसका सन्तोषजनक तरीके से उत्तर तैयार नहीं हो पाया है। इसलिए अगली टर्न में मैं इसका जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित किये देता हूं।

नैक्स्ट। श्री राम किशन।

प्रश्न संख्या 233

राज्य पर ऋण

223. **श्री रामकिशन** : (वैर) व **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान राज्य पर इस वक्त कुल कितना ऋण है ?

(2) इस ऋण में से कितनी धनराशि स्थायी निर्माण कार्यों में खर्च की गई है कितनी राशि प्रशासनिक कार्यों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (1) वर्ष 1970-71 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजस्थान राज्य पर वर्ष 1971-72 के आरम्भ म अर्थात् 1 अप्रैल, 1971 को 6 अरब 47 करोड़ 14 लाख 26 हजार रुपये का ऋण रहने का अनुमान है।

(2) राजस्थान राज्य पर इस समय जो ऋण है वह उन विभिन्न ऋणों की शेष राशि है जो पिछले वर्षों में लिये गये हैं अतः इस ऋण में से कितनी धनराशि स्थायी निर्माण कार्यों में खर्च की गई है और कितनी प्रशासनिक कार्यों पर यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है।

श्री रामकिशन : यह प्रासंगिक क्यों नहीं है ? अलग मदों का उत्तर जैसा दिया है, जो पिछली बकाया है, सही बता सकते हैं जैसे नदी घाटी योजना है उसमें कितना ऋण लिया गया है और उसमें से कितना निर्माण कार्यों पर खर्च किया गया है और कितना प्रशासनिक कार्यों पर, इसका उत्तर अपेक्षित है।

श्री मथुरादास माथुर : जो ऋण लेते हैं उसमें डेवलपमेन्ट का भी हैड होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हैड होता है। उसका सब का ब्रेक अप करना मेरे लिये मुश्किल है। कई प्रोजेक्ट खतम हो गये हैं, कम्पलीट हो गये हैं। तो इसके लिये उन सबका रेकार्ड देखना पड़ता है—कितना

(श्री मथुरादास माथुर)

डेवलपमेन्ट खर्च किया गया है और कितना एडमिनिस्ट्रेटिव । तो इसको निकालने के लिये बहुत इफर्टस् करने होंगे, इसलिये मैंने यह कहा है कि यह प्रासगिक नहीं है।

श्री रामकिशन : इससे राज्य की सच्ची वित्तीय स्थिति आपके सामने आ जाती । अभी आप अन्धकार में है ।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, अभी आप अन्धकार में नहीं है । इतना तो मैं कह सकता हूं । जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कम्पोनेन्ट कितना है और दूसरे खर्च जो सेलेरीज वगैरह हैं कितनी हैं या जो डेवलपमेन्ट का वर्क हुआ है उसको वर्क आउट करना एक ट्रीमेन्डीयस वर्क है । इतना बता सकता हूं कि जो फेमीन का लोन है वह 105 करोड़ 68 लाख का है । इतना सारा लोन अभी तक मिला है । इस लोन के अन्दर डेवलपमेन्ट का लोन नहीं है । इसे डेवलपमेन्ट का लोन नहीं कहा जा सकता है । कुछ डेवलपमेन्ट का लोन है । इसी तरह से एडहॉक लोन है । एडहॉक लोन वेज एण्ड मीन्स में आ जाता है । इसी तरह से बहुत से मार्केट लोन लेते हैं। जो मार्केट लोन होता है वह डेवलपमेन्ट में भी खर्च होता है । और दूसरे में भी खर्च होता है । यह मैं बता सकता हूं । जो डेपलपमेन्ट कम्पोनेन्ट और नॉन डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट हैड में खर्च होता है उसको निकालना और वर्क आउट करना बड़ा मुश्किल है । इसके लिये तो एक टीम बिठानी होगी प्रोजेक्टवाइज और यह हमारे लिये लाभदायक नहीं होगा । आखिर सेलेरीज और स्टाफ तो लगता है । सलिये कहा है कि यह प्रासंसिक नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितना कैपिटल एक्सपेन्डीचर है उस पर और कितना रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर हैड पर खर्च किया है, क्या यह इन्फरमेशन बता सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : 69 करोड़ 47 लाख का परमानेन्ट लोन है, स्थायी लोन है । 2 करोड़ 99 लाख प्लानिंग डेब्ट है । सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट, भारत सरकार से 571 करोड़ 10 लाख रुपया है और लोन फ्राम फाइनेन्शियल ओटोनोमस बोडीज लाइक एल० आई० सी० जो है, इनका 13 करोड़ 10 लाख रुपया है । कुल 647 करोड़ रुपया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो आपने सोर्सेज ऑफ लोन बताया है कि कितना लोन लिया गया है । इसका एक्सपेन्डीचर जिन मदों में किया गया है, वह कितना तो कैपिटल एक्सपेडीचर पर किया गया है और कितना रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर पर किया गया है, यह बताया जाये ।

श्री मथुरादास माथुर : यह डिटेल में तो कहना मुश्किल है । ब्राडवे में तो कह सकता हूं । हरेक लोन के अन्दर केपिटल और रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर भी हो सकता है । यह निकालना तो बड़ा मुश्किल है । जैसा लोन का ब्रेकअप है वह मैं बता सकता हूं । जो 357 करोड़ का डेवलपमेन्ट लोन है वह कैपिटल एक्सपेन्डीचर है। फेमीन लोन 185 करोड़ का है, यह मोस्टली रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर है । एडहॉक लोन है 83 करोड़ का, वह भी रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर है । एल० आई० सी० का

(श्री मथुरादास माथुर)

लोन मोस्टली केपिटल एक्सपेन्डीचर है। एन० सी० डी० सी० का लोन भी कैपिटल एक्सपेन्डीचर है। वेअर हाऊसिंग का लोन भी करीब करीब कैपिटल एक्सपेन्डीचर है। यह मैं आपको जनरल तौर पर बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो एडहाक लोन बताया है वह कितना है और इसके सोर्सेज कुल कितने हैं?

श्री मथुरादास माथुर : 93.06 करोड़ है। वे सभी सोर्सेज हैं। ज्यादातर इसमें भारत सरकार का लोन है। मोस्टली वो गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया का लोन है। रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट हो जाता है और उसको क्लीअर करना पड़ता है तो एडहॉक लोन मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : ओवरड्राफ्ट की क्या पोजीशन है?

श्री मथुरादास माथुर : अभी ओवरड्राफ्ट में ही चल रहे हैं और यह जो रोज ब रोज ही बदलता रहता है। यह कोई मेटेरियल पाइंट नहीं है। जो ओवरड्राफ्ट की पोजीशन है वह आज की तारीख में करीब 60 करोड़ की हो गई है। परन्तु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडहॉक लोन भारत सरकार से मिलता है असिस्टेन्स के लिये उससे पूरा हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने बताया कि 60 करोड़ है। यह एडहॉक लोन में शामिल है या नहीं? क्या यह भी आपने बताया है?

श्री मथुरादास माथुर : यह 1 अप्रेल, 71 तक की स्थिति बतायी है। इसमें जो एडहॉक लोन के रूप में मिला है उसकी पोजीशन मेटीरेलाइज नहीं हो पाई है। वह जून तक होगी।

श्री भैरोंसिंह : जो 1 अप्रेल तक की पोजीशन बताई है उसमें तो यह साफ है कि ओवरड्राफ्ट की पोजीशन कितनी थी। और जो यह ओवरडाफ्ट है यह एडहॉक लोन में शामिल नहीं है तो 647 करोड़ तो कुल डेब्ट और उसमें से यह 60 करोड़ ओवरडाफ्ट का बाहर है?

श्री मथुरादास माथुर : ओवरड्राफ्ट की पोजीशन आप जानते हैं यह हमारा रोज का ट्रान्जेक्शन है और जो बेलेन्स है वह ओवरड्राफ्ट में रिफ्लेक्ट होता है। जो आज है वह कल चेन्ज हो जायेगा। इसलिये यह मैं नहीं मानता हूं। वह नहीं शामिल है।

श्री भैरोंसिंह : याने यह जो 647 करोड़ का राज्य सरकार का डेब्ट है उसमें आपका यह ओवरड्राफ्ट 60 करोड़ का शामिल नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं है। वह लोन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आज राज्य पर 647 करोड़ प्लस 60 करोड़ का लोन है।

श्री मथुरादास माथुर : यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। रिजर्व बैंक हमारा बैंकर है। उसके यहां से हम रुपये लेते हैं और यह ओवरड्राफ्ट में रिफ्लेक्ट होता है। अभी हमें भारत सरकार से असिस्टेन्स मिलने वाली है, फेमीन की असिस्टेन्स नहीं मिली है, वह नहीं मिल पाई है,

(श्री मथुरादास माथुर)

इसलिये यह रिफ्लेक्ट होता है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): याने राजस्थान में 300 रुपया पर केपिटा, पर हैड इस डेब्ट का डिसबर्समेन्ट होता है। इसी तरह से और स्टेट्स का भी अन्दाजा लगा लें वहां की क्या पोजीशन है?

श्री मथुरादास माथुर: सेपरेट पोजीशन है। राजस्थान का दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में तुलना करें तो यह उनसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। परन्तु इसका कोई इकोनोमी पर असर नहीं पड़ता है। हमने असेट्स भी क्रियेट की है और उससे मुकाबला करेंगे तो अच्छा ही नतीजा सामने आयेगा।

श्री भैरोंसिंह: एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट से असट्स क्रियेट कर रहे हैं। अभी जैसे रामानन्दजी ने पूछा कैपिटल हैड और रेवेन्यू हैड इनमें अलग अलग कितने हुए। इस डेब्ट के अगेन्स्ट में हमने तने असेट्स का निर्माण किया है।

श्री मथुरादास माथुर: असेट्स जितने बनाये है—असेट्स टोटल जितने राजस्थान के हैं उतने बजट के अन्दर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह: वह तो देख लिया। आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है इन दोनों को बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं। कपिटल एक्सपेन्डिचर और रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर कितना हुआ। कितना कैपिटल असेट्स का निर्माण हुआ यह पता कैसे चलेगा?

श्री मथुरादास माथुर: रेवेन्यू ऐक्सपेन्डिचर के अन्दर सारी सेलेरी वगैरह आती है, रेकार्ड में है। जो कैपिटल असेट्स बना ली है उसकी टोटल वेल्यूएशन होकर राजस्थान में कितनी है, वह बता सकते हैं।

श्री रामकिशन: हां, बतायें।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय एक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर दें अब तक राजस्थान ने इस डेब्ट के अगेन्स्ट में कितनी असेट्स का निर्माण किया है।

श्री मथुरादास माथुर: वह बजट डाक्यूमेंट देख लीजिये। उससे पता चल जायगा।

श्री भैरोंसिंह: वह तो आप भाषण में भी कहते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है हमने निर्माण कर लिया लेकिन......

श्री मथुरादास माथुर: दोनों कैपिटल एक्सपेन्डिचर और रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर के फीगर्स हमारे पास हैं। टोटल राजस्थान के असेट्स कितने हैं वह तो आप ए० जी० से मालूम कर सकते हैं, बजट भाषण से देख लें आपको पता चल जायगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता।

श्री रामकिशन: आपने जो बजट भाषण में एस्टीमेट बतलाया है उससे कर्जे में दो अरब का फर्क है। क्या यह जो दो अरब का व्यय हुआ है वह प्रशासनिक है?

श्री मथुरादास माथुर: 105 करोड़ कुछ लाख रुपया फेमीन लोन है। अब फेमिन

(श्री मथुरादास माथुर)

लोन असेट्स कम्पोनेन्ट कितना है यह तय नहीं हो पाया है। कुछ तो है अकाउन्ट क्लियर होकर नहीं बन पाये। 105 करोड़ में असेट्स नहीं बना पाये हैं। यह वेज एन्ड मीन्स को लेकर दो आंकड़ों से साफ हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय मंत्री महोदय जिस प्रकार इस लोन की सिचुएशन रख रहे हैं वह अननेसेसरी राज्य की स्थिति को स्पष्ट नहीं करने की दृष्टि से कर रहे हैं। आप फीगर की चिन्ता कर रहे हैं। 6 अरब की जगह आप 10 अरब बता दें इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है। यह तो राज्य के विकास में खर्च हुआ मान लेंगे लेकिन आप कन्फ्यूजन कर रहे हैं बाइफरकेट करके नहीं बता रहे हैं कितना पूंजीगत खर्च है और कितना रेवेन्यू गत खर्च है। कृपया बाइफरकेट करके स्थिति रखिये। आपको 10 अरब भी कर्ज मिले तो लीजिये, उससे चिन्ता नहीं है आपकी हिम्मत है आप ले सकते हैं और राज्य में उससे डेवलपमेंट कार्य हो यह अच्छी बात है उस फिगर से चिन्ता नहीं है अगर फमीन के काम में....

श्री अध्यक्ष: आर्डर आडर, प्रश्न सं० 142।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर)

अब मेरे पास समय नहीं है।

(पुनः बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

कोई समय नहीं है स्थगित प्रश्न हैं।

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा ही नहीं है। जितने लोन्स हैं वे ओवरड्यू कितने हैं? सेन्ट्रल गवर्नमेंट से और पब्लिक से जो लोन लिये हैं और जिनको समय पर देना था। वह समय पर कितना ड्यू हो चुका है?

श्री मथुरादास माथुर: अलग अलग टर्म्स हैं। ओवरड्यू कोई रह नहीं पाता है। भारत सरकार के जो लोन हैं टाइमली कट जाते हैं। रिजर्व बैंक के ओवरड्यू होते हैं, उनका भी पेमेन्ट कर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह: जो चुकारा किया जाता है वह इन्टरेस्ट देना पड़ता है...

श्री मथुरादास माथुर: हम बराबर इन्टरेस्ट दे रहे हैं।

श्री रामकिशन: आप कर्ज लेकर इन्टरेस्ट दे रहें है। जैसा आपने बजट भाषण में बताया। जो असेट्स हमने क्रियेट किये हैं उससे कितना प्रोडक्टिव अमाउन्ट प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मेरा सुझाव है माननीय मंत्रीजी एक वक्तव्य दे दें तो राज्य की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो जायगी और हमें भी सारी स्थिति की जानकारी हो जायगी ताकि बजट बहस में ठीक प्रकार हिस्सा ले सकेंगे।

(माननीय मनोहर सिंहजी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष: श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): अध्यक्ष महोदय, स्थिति अत्यन्त अन्धकारपूर्ण है। हमारे वित्त मंत्रीजी इस बात पर विश्वास करते हैं कि मुर्दे तो दिवाले में मरे ही मरे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, भाषण नहीं होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बतायें कि आप कर्ज ले ले कर चुकाते हैं। आखिर कहां हमारी स्थिति जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कर्ज में हमें कितना ब्याज देना पड़ता है और कितनी रकम बिना ब्याज की है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय मैंने गत वर्ष भी प्रश्न उठाया था। क्या यह सदन अपना अधिकार नहीं मानता कि राजस्थान सरकार सदन से वह सीमा निश्चित करवायें जिसका हमें अधिकार है—कान्स्टीट्यूशनली धारा है उसमें दिया हुआ है कि असेम्बली राज्य सरकार को अधिकार दे कि इतना कर्जा या इतने कर्जे की जमानत दे। मैंने पिछली बार भी प्रश्न उठाया था। सदन का अधिकार है। माननीय वित्त मंत्रीजी सदन के द्वारा कोई प्रावधान कराने का प्रश्न करेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय एक मेरा भी प्रश्न है। आपने अभी हाऊस में यह कहा हम जो लोन्स का पेमेन्ट नहीं कर पाते हैं। टाइम पेमेन्ट का आता है वह राइट ऑफ हो जायगा, ऐडजस्ट हो जायगा तो ओवर-ड्राफ्ट क्यों नहीं बढ़ा दिया जाय......

श्री रामकिशन : कर्ज लेकर.....

श्री मथुरादास माथुर : कर्ज की सीमा है वह सदन ही तय करता है। सदन की इजाजत से ही लोन लेते हैं। संविधान की जो धारा है वह पूरी अमल में ली जा रही है। यह बजट की बहस के उत्तर के अन्दर.....

श्री रामकिशन : यही तो हमारा निवेदन है कि बजट की बहस में आसानी हो जायगी आपके जवाब से काम नहीं चलेगा। आपका पूरा उत्तर आ जाता और जो राज्य की स्थिति है उससे पूरी जानकारी हो जायगी।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य कुछ प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर बजट के वक्त डिटेल में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : स्थगित प्रश्न हैं दो-तीन।

श्री अध्यक्ष : सभी स्थगित प्रश्न स्थगित किये गये।

श्री दौलतराम सारण : दो-तीन ही अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब मैं लेने की स्थिति में नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : आपने हरजीरामजी का नाम भी पुकार लिया था अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : उसको विथड्रा कर लेता हूं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर-सीकर-बीकानेर मार्ग पर चलने वाली बसें

216. **श्री मोतीलाल** (रेवदर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर-सीकर-बीकानेर मार्ग पर कितनी बसें चलती हैं और इनकी चकिंग साल में कब कब और कितनी बार की जाती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बसों की चैंकिंग नहीं की जाती है जिससे बसों के टैक्सों की चोरी होती है तथा प्रत्येक बस में निर्धारित सवारी से अधिक सवारियां ली जाती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सवारियों को बहुत अधिक संख्या में भरी जाती हैं और चोमू से लगेज का सामान उठाते हैं जो नियम के विरुद्ध हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर–सीकर–बीकानेर मार्ग पर इस समय 30 गाड़ियों को चलाने की स्वीकृति है जो प्रतिदिन 6 रिटर्न ट्रिप करती हैं। इनकी चैंकिंग का कोई समय निर्धारित नहीं है और निरन्तर पुलिस विभाग, यातायात विभाग व वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा चैंकिंग होता ही रहता है।

(2) जी नहीं। बसों का चैंकिंग समय समय पर होता ही रहता है। अधिक सवारियां ले जाती हुई यदि कोई गाड़ी मिलती है तो उसका चालान कर दिया जाता है। ऐसे चालान कई बार प्राप्त हुये है और उन पर मोटर मालिकों को दण्डित भी किया गया है

(3) सवारियां अधिक भरने की आम शिकायत राज्य सरकारके पास नहीं है, यद्यपि जब चैंकिंग होता है तो ज्यादा सवारियों वाली बसों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। सवारी बस में एक सीमा तक लगेज ले जाना नियम विरूद्ध नहीं है।

मजदूरों को बकाया का भुगतान

217. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में सन् 1969 तथा 70 में जो अकाल राहत कार्य चालू किये उनका आज तक मजदूरों का चुकारा करना बाकी है ? यदि हां, तो कौनसे विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा कराये गये कार्यों का चुकारा नहीं हुआ है ?

(2) किन किन कार्यों का चुकारा किया जाना बाकी हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा कराये गये कुछ कार्यों का चुकारा नहीं हुआ है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

परिवार नियोजन के अन्तर्गत गत वर्ष खर्च व आपरेशन

204. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में किन किन जिलों के परिवार नियोजन संस्थानों में गत वर्ष कितना कितना खर्चा हुआ और उनमें कितने कितने

(श्री हरजीराम बुरडक)

परिवार नियोजन के आपरेशन हुए ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त खर्चा औसतन माहवार कितना कितना हुआ और परिवार नियोजन के आपरेशन औसतन माहवार में कितने 2 हुए ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य के समस्त जिला परिवार नियोजन संस्थानों में गत वर्ष 1969-70 में व्यय की गई धनराशि व वहां पर हुए आपरेशनों की सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) जिलेवार माहवारी औसतन सर्व एवं किये गये औसतन माहवारी आपरेशनों की संलग्न सूची परिशिष्ट (ख) के अनुसार है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

घरों में अस्थाई विद्युत् कनेक्शन सम्बन्धी नियम

205. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) घरों में अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थी को क्यां क्या करना चाहिये ? प्रार्थना-पत्र के साथ अग्रिम राशि के 5) रु० जमा कराने होंगे या नहीं ? यदि हां, तो वे 5) रु० कनेक्शन संबंधी राशि जो जमा होती है उसमें से वापिस किये जाते हैं या नहीं ? अस्थाई कनेक्शन की सिक्यूरिटी किस नियम व किस आधार पर जमा होती है व उसके साथ अन्य कौनसी राशि जमा कराई जाती है ? अस्थाई कनेक्शन का 'एल' फार्म कनेक्शन करते समय दिया जा सकता है या कनेक्शन आर्डर निकलने से पहले आफिस में देना जरूरी है ?

(2) दिनांक 1-10-70 से 28-2-71 तक फालना (पाली) आफिस में घरेलू टेम्परेरी कनेक्शन के आवेदन किस किस के व कब कब आये ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? उनके 'एल' फार्म कब व सिक्यूरिटी किस किस तारीख को किस किस रसीद नम्बर से जमा हुई है ? उनके कनेक्शन आर्डर किस किस तारीख को किस किस ऑर्डर नम्बर से निकले एवं कनेक्शन कब हुए ? सभी प्रार्थियों को कनेक्शन उनकी मांगों के अनुसार दिनों के लिये दिये गये कि नहीं ? यदि, नहीं, तो ऐसा किस किस कारण से हुआ ?

उत्तर

(1) घरों में अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थी को संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये और सिक्योरिटी एवं कनेक्शन दने के चाजज विभाग की "टेरिफ फोर सप्लाई आफ इलेक्ट्रिसिटी एवं जनरल कन्डीशन्स आफ सप्लाई" के अनुसार जमा कराने चाहिये व कनक्शन होन से पहले 'एल' फार्म देना चाहिये। प्रार्थना-पत्र के साथ अग्रिम राशि के पांच रुपय जमा करांना आवश्यक है, जिसे कनक्शन चार्जेज में कम कर देना चाहिये। अस्थाई कनेक्शन की सिक्योरिटी के साथ कनेक्शन चार्जेज राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के 'जनरल कन्डीशन

(विद्युत् मन्त्री)

ऑफ सप्लाई' में निर्धारित नियमों के अनुसार जमा कराने होते हैं। 'एल' फार्म देने के संबंध में कोई विशिष्ठ नियम तो नहीं हैं लेकिन फिर भी कनेक्शन देने से पहले 'एल' फार्म दे देना चाहिये।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रत्येक आवेदन-पत्र पर की गई कार्यवाही सूची में अंकित है। यह सब बातें भी संलग्न सूची में अंकित हैं। जिन लोगों को कनेक्शन दिये गये उन सबको जितने दिन के लिये कनेक्शन मांगा गया था उतने दिन के लिये ही कनेक्शन दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मोदरी गांव के तालाब का सर्वे

206. **श्री नन्दलाल दण्डवासी** (किशनगंज): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील किशनगंज म मोदरी (सिमलोद) गांव के तालाब का सर्वे हो चुका है ?

(2) यह तालाब कब तक पूर्ण हो जावेगा ? कितनी रकम का एस्टीमेट तैयार किया गया है और कितनी जमीन पूर्ण होने पर सिंचित होगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर यह तालाब 3 वर्ष में पूर्ण हो सकेगा। इसका एस्टीमेट 19,13,600 रु० का स्वीकृत हुआ है इसके पूर्ण हो जाने के पश्चात् 441 एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी ।

तहसील सराड़ा में बिजली

207. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील सराड़ा में बिजली दी जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर से सलूम्बर जाने वाली बिजली की लाइन के नजदीक जयसमन्द झील के नीचे ट्रांसफार्मर लगाकर सराड़ा तहसील को बिजली देने का नक्शा तयार किया गया है ? यदि हां, तो बिजली की लाइन का कार्य कब चालू किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सर्वेक्षण किया गया था। लेकिन मण्डल के उस समय के नियमानुसार योजना लाभप्रद नहीं पाई गई । संशोधित स्कीम बनवाई जा रही है ।

कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र का विद्युतीकरण

208. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर के कितने ग्रामों में आज तक विद्युत् पहुंचाई जा चुकी है ?

(श्री गंगासहाय)

(2) कितने कुओं व ट्यूब वैलों के लिये बिजली अभी तक दी जा चुकी है ?

(3) कितने उद्योग धन्धों के लिये सरकार ने अभी तक बिजली देने हेतु वायदा किया है ?

उत्तर

(1) अब तक इस पंचायत समिति के 8 ग्रामों में विद्युत पहुंचाई जा चुकी है।

(2) अब तक इस क्षेत्र में 128 कुओं को बिजली दी जा चुकी है।

(3) इस प्रकार का कोई वायदा विद्युत बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है विद्युतीकृत क्षेत्रों में नियमानुसार विभागीय फार्मेलिटीज पूर करन पर कनेक्शन्स दिये जा सकते हैं।

अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

209. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कामां-पहाड़ी ड्रेन तथा उसकी लिंक ड्रेनों में जिन जिन किसानों की भूमि अवाप्त की गई है उनको उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से ग्राम हैं और उनमें कितने कितने किसानों को कितना कितना मुआवजा देना है ? सूची सदन की मेज पर रक्खी जावे ?

(2) क्या यह सही है कि खल्लू का रेगुलेटर से पूरे सांहलपुर बांध को ऊंचा उठाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त बांध का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कामां पहाड़ी ड्रेन में मोरी डिपरेशन की ओर जो इनलेट रक्खा गया है, उससे अभी अभी ग्राम मोरी की रबी फसल काफी पानी पास होने से डूब में आ गई है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग किसानों की फसलों को क्षति से बचाने का मुस्तकिल उपाय करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि खेड़ली काजी और ग्राम कलतरिया के पास से लिंक ड्रेन का निर्माण कार्य चालू किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त लिंक ड्रेन का काफी निर्माण कार्य कराये जाने के बाद उसको उल्टा दबा दिया गया और दूसरा सर्वे करके दूसरी जगह से पुनः निर्माण कार्य चालू किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था, कि पहला निर्माण कार्य खत्म किया गया और दूसरी जगह से कार्य शुरू किया गया ?

(5) उक्त लिंक ड्रेन का सर्वे किस ओवरसीयर ने किया और किस सहायक अभियन्ता से मंजूर कराया और किस ठेकेदार को यह ठेका दिया गया ? क्या यह भी सही है कि सिंचाई अभियन्ता के नोटिस में लाने पर यह सर्वे बदला गया था ? यदि हां, तो पहले सर्वे पर जो निर्माण कार्यों में पैसा खर्चा हुआ उसका पेमेन्ट कहां से किया गया ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों ग्रामों के किसानों ने सिंचाई अभियन्ता अलवर को उक्त लिंक ड्रेन के बार बार बदले जाने के कारणों की सूचना दी थी, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या यह

Page No 26

(श्री मजलिस खां)

भी सही है कि विभागीय मिस्त्री के खिलाफ जो उक्त ड्रेन पर कार्य की देखभाल करता था, की अभियन्ता को शिकायत की गई थी कि उसने किसानों से पैसे लिये हैं ? यदि हां, तो वह किस नाम का मिस्त्री था ? क्या राज्य सरकार अब भी उक्त ड्रेन में किये गये घोटालों की जांच कराने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 90 प्रतिशत मुआवजा दे दिया गया है। शेष मुआवजे की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, परन्तु यह जमीदारों द्वारा फाटक ऊंचा करने से हुआ है, हांलाकि मुस्तकिल इन्तजाम पहले से ही था।

(4) जी हां, कार्य केवल 400 फीट लम्बाई में ही किया गया दूसरी लाइन कलतरिया व झोंपड़ी गावों की सरहद के साथ साथ लगाई गई, ऐसा काश्तकारों की सुविधा के अनुसार किया गया।

(5) लिंक ड्रेन की सर्वे श्री मिट्ठन लाल जैन अधिदर्शक ने की और श्री राजेश सक्सेना सहायक अभियन्ता से मंजूर कराया। ठेका श्री रमेश चन्द्र आर्य, ठेकेदार को दिया। इस तबदीली के बारे में श्री फूल चन्द मौजूदा सहायक अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 29-3-71 को बताया। इस कार्य का अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ।

(6) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

लंका जसोदा लिंक ड्रेन का कार्य

210 **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लंका-जसौदा लिंक ड्रेन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराया गया है ? क्या यह भी सही है, इस वर्ष भी अभी तक लंका की कृषि भूमि में पानी भरा हुआ है ? क्या यह भी सही है कि लंका की करीब दो हजार 100 एकड़ भूमि में काफी समय से डूब के कारण खेती नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त पानी के निकास का प्रबन्ध नहीं किया जाता ?

(2) क्या यह सही है कि अगमा बांध में अभी तक गेट फिट नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक करा दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है, कि छिछरवाड़ी बांध की मरम्मत काफी समय से नहीं कराई गई है ? क्या यह भी सही है कि 1967 के फलड में उक्त बांध टूट गया था? क्या यह भी सही है कि समस्त बांध की हालत ठीक नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त बांध की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम मोजपुरी, ग्राम बांसौली और ग्राम खेड़ा कोकार और ग्राम टोडा गढी के नये बांधों का सर्वे तथा एस्टीमेट बन चुका है ? क्या यह भी सही है कि Soil sample भी लिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उन बांधों का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

(श्री मजलिस खां)

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम नांगल पंचायत समिति कामां के नये बांध का सर्वे तथा एस्टीमेट, soil sample आदि समस्त आवश्यक कार्यवाही पंचायत समिति के माध्यम से कराई गई थी, और 25 हजार से अधिक लागत के कारण यह बांध भी सिंचाई विभाग को ही सौंप दिया था ? यदि हां, तो उक्त बांध के कागजात विभाग को कब मिले विभाग की ओर से उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं । जी हां, डिपरेशन होने के कारण लगभग 75 एकड़ भूमि में पानी भरा रहता है तथा कोई खेती नहीं की जाती ।

(2) जी हां, वर्षा शुरू होने से पहिले गेट लगा दिया जायेगा ।

(3) जी नहीं ।

(4) केवल बांसोली व टोड़ागढी बांधों के तखमीने बन गये हैं तथा मिट्टी के सेम्पल लिये जा चुके हैं । धन की उपलब्धि पर कार्य हाथ में लिया जा सकेगा ।

(5) जी हां ।

मदनलाल तापड़िया के फार्म पर विद्युत् कनेक्शन

211. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम बीचड़ी पर जो सेठ मदनलाल तापड़िया का फार्म है वहां पर विद्युत् का कनेक्शन दिया गया है ? यदि हां, तो यह कब दिया गया ?

(2) क्या यह कनेक्शन गन्ना फैक्ट्री को ही दिया गया था या उनके निवास पर दिया गया जो कि फैक्ट्री से करीब 3 मील के फासले पर है ?

(3) इस ग्राम के आस-पास के किस किस ग्राम को विद्युत दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, बीचड़ी स्थित फार्म पर, जो सम्भवतः सेठ मदनलाल तापड़िया का है, 8 कनेक्शन्स दिये गये हैं । 3 कनेक्शन्स दिनांक 20-5-67 को, 2 कनेक्शन्स 20-6-67 को तथा 3 कनेक्शन्स 28-2-70 को दिये गये ।

(2) जी नहीं । उपरोक्त कनेक्शन्स बीचड़ी फार्म को दिये गये थे, गन्ना फैक्ट्री को नहीं । बीचड़ी स्थित निवास स्थान (जिसको कनेक्शन 20-5-67 को दिया) बड़ा नया गांव स्थित गन्ना फैक्ट्री से करीब 3/4 मील दूर है । बड़ा नया गांव स्थित निवास स्थान गन्ना फैक्ट्री से करीब 3 मील दूर है । स निवास स्थान के पास से ही मोडल फार्म के पम्पों को विजली देने वाली लाइन निकलती है जिससे निवास स्थान को कनेक्शन दिया गया । गन्ना फैक्ट्री के कनेक्शन और बीचड़ी के निवास स्थान के कनेक्शन का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(3) बीचड़ी ग्राम के आस पास ग्राम बड़ा नया गांव व रघुनाथपुरा में विद्युत दी गई है ।

झालावाड़ जिले का विद्युतिकरण

212. **श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग)**: क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या झालावाड़ जिले में आगामी योजना में विद्युतिकरण हेतु कोई प्रावधान है ? अगर हां, तो क्या ? यह योजना कब तक प्रारम्भ की जावेगी तथा पूर्ण की जायेगी ?

उत्तर

आगामी योजना अभी नहीं बनी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति लाड़पुरा की प्राइमरी स्कूलें

213. **श्री बृजवल्लभ बोहरा (दोगोद)**: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लाड़पुरा में किस किस गांव में प्राइमरी स्कूल है ? व प्रत्येक में कितने कितने लड़के हैं ? व कितने कितने अध्यापक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या हर स्कूल की शाला का प्रबन्ध ग्रामवासियों द्वारा किया हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि कीचल हेड़ा में स्कूल भवन एवं छात्र होते हुए भी वहां से स्कूल हटा दिया गया है ? और अध्यापक दूसरी जगह डपूटेशन पर काम करते हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या कीचल हेड़ा में वापस स्कूल खोलने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) छात्र संख्या कम हो जाने व शाला भवन की उचित व्यवस्था न किये जाने के कारण पंचायत समिति के निर्णय के अनुसार स्कूल बन्द कर दिया गया है।

(4) शाला भवन के लिये उचित व्यवस्था कर दिये जाने व छात्र संख्या पर्याप्त हो जाने पर स्कूल खोलने के बारे में पंचायत समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

सीकर की सस्ते अनाज की दुकानें

214. **श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर)**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि श्री माधोपुर तहसील, जिला सीकर में वर्ष 1964-65 में सस्ते अनाज की दुकानों पर जिन व्यक्तियों न काम किया था उनमें से कुछ व्यक्तियों का वेतन व कमीशन का भुगतान अब तक बकाया है ? यदि हां, तो किस किस का कितना कितना और क्यों तथा भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा ?

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

जी नहीं

निजी आय के साधन

215. श्री नन्दलाल (केशोराय पाटन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:—

(1) पंचायत समिति शाहबाद में अपनी निजी आय के क्या क्या साधन हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि 50 एकड़ से कम सिंचाई वाले तालाबों की आय भी पंचायत समिति में आती है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी रकम, किस किस तालाब से, किस किस वर्ष में, समिति के कोष में जमा हुई और कितनी कितनी किस किस व्यक्ति पर बकाया है ? और बकाया के क्या कारण है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) शिक्षा कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, हड्डी ठेका व फीस अपील निजी आय के साधन हैं।

(2) जी हाँ। किन्तु तालाबों से होने वाली आय अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

चीनी के कोटे का वितरण

216. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में राज्य में चीनी के कोटे का वितरण किस प्रकार किया जा रहा है ?

(2) लाड़पुरा, दीगोद में कितने व्यक्तियों को चीनी वितरण के लाइसेन्स दिये हुए हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में चीनी का वितरण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से किया जा रहा है ।

(2) लाड़पुरा में पांच व दीगोद में दस व्यक्तियों को चीनी वितरण के लाइसेन्स दिये हुए हैं ।

पंचायत समिति लाड़पुरा के ग्राम सेवक

217. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति लाड़पुरा में कितने ग्राम सेवक हैं और उनकी तैनाती किस किस पंचायत में है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इस पंचायत समिति में ग्राम सेवकों की निर्धारित संख्या क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री भेख लाल, ग्राम सेवक का स्थानान्तरण जिला परिषद् द्वारा अन्य पंचायत समिति में कर दिया गया था लेकिन उन्हें रिलीव नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या निर्धारित संख्या से ज्यादा ग्राम सेवक पंचायत समिति लाड़पुरा में रह सकते हैं ?

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

(4) क्या यह सही है कि श्री मेखलाल की तनख्वाह पंचायत समिति की निजी आय से चुकाई गई है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुकूल है ?

(5) यदि नियमानुकूल नहीं है तो यह रकम किससे वसूल की जायेगी ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) पंद्रह।

(3) जी हां, रिलीव कर दिया गया है। अतः निर्धारित संख्या से अधिक ग्राम सेवक रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पंचायत समिति जोबनेर के संबंध में पुस्तक का प्रकाशन

218. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जोबनेर, मुख्य स्थान सांभर-लेक द्वारा पंचायत समिति के कार्यक्षेत्र एवं भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित सन् 1966 में की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ संख्या 51 पर यह बतलाया गया है कि पंचायत ड्योढ़ी के लिय 15 बीघा जमीन अलॉट की गई है ?

(3) यदि यह सही है, तो उपरोक्त भूमि का खसरा नम्बर क्या है तथा इसका कब्जा पंचायत को अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ?

(4) उपरोक्त भूमि का कब्जा पंचायत को कब तक मिल सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) भूमि अलॉट ही नहीं की गई अतः खसरा नम्बर व कब्जा देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

लिपिकों एवं अध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां

219. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्कूल कार्यालय के लिपिकों अथवा अध्यापकों के संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप-शिक्षा निदेशक तथा निरीक्षकों के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में क्या कोई नियम बने हुये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? यदि नहीं, तो प्रति-नियुक्ति पर लिये जाने का क्या माप-दण्ड है और इसके पीछे क्या भावना अन्तर्निहित है ?

(2) संयुक्त शिक्षा निदेशक, अजमेर वृत्त, जयपुर के कार्यालय में पिछले 3 वर्षों

Page No 31

(श्री श्रवणलाल)

से कितने लिपिक अथवा अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और इनके आगामी कितने वर्षों । माह तक कार्य करते रहने का निर्णय लिया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें । क्या प्रतिनियुक्ति पर लिये गये समस्त कर्मचारियों के मूल स्थानों पर कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि श्री वासुदेव प्रसाद भावन, वरिष्ठ लिपिक भी लगभग विगत 5 वर्षों से संयुक्त निदेशक, अजमेर वृत्त, जयपुर के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हैं ? क्या यह सही है कि श्री भावन की मूल नियुक्ति कन्या माध्यमिक विद्यालय, फुलेरा में ह ? यदि हां, तो श्री भावन की प्रतिनियुक्ति किन अपरिहार्य परिस्थितियों तथा राज्य कार्य को मद्दे नजर रख कर की गई है ? इतनी लम्बी अवधि तक जो जो विशिष्ट कार्य इनके द्वारा सम्पन्न किया गया है कृपया उसका विवरण सदन की मेज पर रखें

(4) श्री भावन के स्थान पर राजकीय कन्या माध्यामिक विद्यालय में क्या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त स्कूल में वरिष्ठ लिपिक के अभाव में कार्य का नुकसान हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या इस पद को आवश्यकता से अधिक मान कर सरकार समाप्त करने पर विचार करेगी ?

(5) क्या सरकार इस तरह की प्रतिनियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त नीति निर्धारित करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) समय समय पर विशेष कार्यभार अधिक होने के कारण प्रतिनियुक्ति की जाती है और कार्य की समाप्ति पर प्रतिनियुक्ति निरस्त की जाती है।

(2) सूची संलग्न है। वर्तमान स्टाफ जो वहां पर सीमित है उसी से कार्य में गतिरोध न आय ऐसी अस्थाई व्यवस्था की गई थी।

(3) श्री भावन की मूल नियुक्ति कन्या माध्यमिक विद्यालय, फुलेरा में है। उनकी प्रतिनियुक्ति निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज०, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/स्था।बी 5।11942। 69, दिनांक 31-5-69 के अनुसार को जाने पर श्री भावन दिनांक 5-6-69 को प्रतिनियुक्ति पर आये।

(4) इस विद्यालय में उस समय छात्राओं की संख्या कम होने तथा कार्यभार को देखते हुये प्रतिनियुक्ति की गई थी। कनिष्ठ लिपिक सारा कार्य करता था और क्रमशः कार्य बढ़ने पर श्री भावन भी काम के सम्पादन में पूर्ण सहयोग देते रहे हैं। वरिष्ठता के विशिष्ठ कार्य को पूर्ण करने में निहित सद्भावना के कारण ही शाला के कार्य म गतिरोध नहीं आने पाया और यह कार्य भी समाप्त हो सका।

(5) विशिष्ट कार्य आने पर ही सद्भावना एवं सहयोग के आधार पर ही प्रतिनियुक्तियां की जाती रही हैं। जैसे 2 कार्य समाप्त होता रहा, प्रतिनियुक्तियां भी समाप्त होती रही हैं। यही कारण है कि कार्य की समाप्ति के साथ 6-4-71

(शिक्षा मंत्री)

को प्रतिनियुक्तियां समाप्त की जा चुकी हैं ।

विशेष :—श्री निदेशक महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश संख्या शिविरा।स्था।बी 5/11942/69, दिनांक 31-5-69 के अनुपालन में अजमेर वृत्त, जयपुर में द्वितीय वेतन श्रृंखला में कार्य करने वाले अध्यापकों की 1-9-61 से 30-6-66 तक वरिष्ठता सूची तैयार करनी थी । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था तथा इस कार्य को सम्पादन करने के लिये उक्त आदेश के पालन में समितियां गठित की गई थीं । सूची साथ में संलग्न है ।

यह महत्वपूर्ण कार्य अब पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने जा रही है । इस काम की समाप्ति के साथ जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्तियां की गई थीं, वो समय समय पर समाप्त की जाती रही हैं तथा अन्तिम रूप से दिनांक 6-4-71 से निरस्त करदी गई हैं । इस कार्य को करने के लिये तृतीय श्रृंखला में कार्य करने वाले 1 अध्यापक को ही रखा गया है जो इस वरिष्ठता सूची के प्रकाशित होने पर अध्यापकों द्वारा किये गये प्रतिवेदनों को एकत्रित करेगा और वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने के लिये समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम लोहा में माध्यमिक स्कूल

220. **श्री लाभ चन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शिक्षा मंत्री के यह बात ध्यान में आई है कि रतनगढ़ तहसील के अन्तर्गत लोहा एक बड़ा गांव है और उसके आस पास 5 मील के दायरे में कई गांव स्थित हैं और उन गांवों की प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई समाप्त करने पर आगे पढ़ने के लिये रतनगढ़ कस्बे में रहना पड़ता है ?

(2) क्या सरकार इन गांवों के छात्रों को शिक्षा सुविधा सुलभ कराने हेतु ग्राम लोहा में एक माध्यमिक विद्यालय खुलवाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) भविष्य में शिक्षा सुविधाओं के उचित प्रसार के समय गुणावगुण के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा ।

फीस लेकर भी छात्रों को बस सुविधा नहीं

221. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय नरेन्द्र वीर दुर्लभजी बाल मन्दिर, सी-स्कीम, जयपुर में पढ़ने वाले छात्रों से बस फीस प्रति माह कितनी वसूल की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्कूल की बस गत छः माह में अधिकांशतः खराब रही है ? यदि हां, तो इस अवधि

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

में कब कब खराब रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार इस बात की जांच करने का विचार रखती है कि इस स्कूल की बस–व्यवस्था खराब रहने का कारण क्या है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

(4) क्या यह सही है कि बस खराब रहने की अवधि की फीस भी अभिभावकों से बराबर वसूल की जाती रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(5) इस स्कूल की बस–व्यवस्था में सुधार कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) 5.00 रुपये प्रति माह।

(2) 30 नवम्बर, 70 से 15 मार्च, 71 तक।

(3) बस का मोडल बहुत पुराना है यह बस खराब होती रहती है फिर भी बच्चों की सुविधा के लिये समय समय पर ठीक कराली जाती है। इस बस को स्टेट मोटर गैरेज में ठीक करवाने के लिये 9-1-71 को भेजा था, स्टेट मोटर गैरेज से यह उत्तर प्राप्त हुआ था कि चुनाव के कारण यह बस अभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिये यह बस लम्बे समय तक बिना ट्रिप के स्कूल में ही रही। स्टेट मोटर गैरेज से अब दिनांक 15-3-71 को एन० ए० सी० प्राप्त हुआ है। उसमें उल्लेख किया गया है कि किमनग की सर्विसिंग मशीन वर्तमान समय में कार्य करने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में मरम्मत कार्य करना सम्भव नहीं है। एन० ए० सी० प्राप्त होने पर बस की दुरुस्ती स्कूल द्वारा करवाली गई है और दिनांक 16-3-71 से सुचारू रूप से चल रही है।

(4) जी हां। स्कूल में 2 बसें हैं। एक बस के खराब हो जाने पर दूसरी बस का डबल ट्रिप करवाया जाकर बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था की जाती रही है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(5) दिनांक 16-3-71 को बस ठीक करवाली गई है और पूर्णतः कार्य कर रही है।

ग्राम पंचायत सांगलिया में मिडिल स्कूल

222 **श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सांगलिया, दांता रामगढ़, जिला सीकर में जनता द्वारा पर्याप्त भवन निर्माण करने पर भी राज्य सरकार द्वारा वहां पर मिडिल स्कूल खोलने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं ?

(2) आदेश प्रसारित करने में अब कितना समय और लगेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम डांसरोली में जनता द्वारा भवन तैयार किया जा चुका है ? अगर हां, तो कितना समय हुआ है ?

(श्री मदनसिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि इस बारे में माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि मिडिल स्कूल खोलते समय पहिले इस ग्राम का ध्यान रखा जावेगा ? अगर हां, तो इस ग्राम में मिडिल स्कूल कब तक खोल दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम दांता में गर्ल्स मिडिल स्कूल की आवश्यकता राज्य सरकार महसूस करती है ? और इस बारे में जनता ने कार्यवाही चालू कर रखी है ? अगर हां तो स्कूल कब तक खोल दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है ।

(2) भविष्य में शिक्षा सुविधाओं के उचित प्रसार के समय इस प्रश्न पर भी विचार किया जावेगा ।

(3) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दांतारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार वहां 10 कमरे तैयार हैं ।

(4) यह सही है । अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा ।

(5) ग्राम दांता में कन्या मिडिल स्कूल की आवश्यकता अवश्य प्रतीत होती है । इस प्रश्न पर भी अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जावेगा ?

कमल साइकिल स्टोर में बकाया सेल्स टेक्स

223. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में कमल साइकिल स्टोर नामक कोई फर्म गत करीब 8-10 वर्षों से है या थी ?

(2) क्या उक्त फर्म पर सेल्स टेक्स की रकम बकाया चली आ रही है ? यदि हां, तो कितना रुपया बाकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म की सेल्स टैक्स की फाइल गायब है ?

(4) क्या यह सही है कि फर्म के मालिक श्री राम नारायण शर्मा 'कमल' ने अपनी फर्म का नाम बदल कर उसी दुकान में साइकिल का धंधा चालू कर रखा है ?

उत्तर

(1) फर्म मैसर्स कमल साइकिल स्टोर्स, बारां, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध थी । यह फर्म दिनांक 1-9-68 को बन्द हो चुकी है ।

(2) 1964-65 तक की कोई रकम बकाया नहीं है । शेष वर्षों का कर निर्धारण अवशेष है ।

(3) इस फर्म की कर निर्धारण पत्रावली कुछ समय से उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसकी तलाश की जा रही है ।

(4) जी नहीं ।

जिला नियोजन कार्यालय

224. **श्री मेघराज** (चूरू) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने जिलों में जिला नियोजन कार्यालय खुले हुये हैं ?

(श्री मेघराज)

(2) क्या राजकीय नियमों के मुताबिक कोई जिला स्तरीय एडवाइजरी कमेटी का होना आवश्यक नहीं है? यदि है, तो किन किन जिलों में यह कमेटी बन चुकी है? और किस जिलों में नहीं बनाई गई और न बनाने के कारण क्या हैं?

उत्तर

(1) बाईस जिलों में आवश्यक है।

(2) यह कमेटियां अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, झुंझुनू, कोटा, पाली, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर में जिला स्तर पर बनी हुई है तथा जयपुर में राज्य स्तर पर है। चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर एवं झालावाड़ में कमेटियां नहीं बनाई गई ह? ये चारों नियोजन कार्यालय कुछ समय पहले ही नये खुले हैं इसलिये अभी कमेटियों का गठन होना है।

गोपालपुरा धर्मादा संस्था

225. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर झालरापाटन, जिला झालावाड़ में एक गोपालपुरा धर्मादा नाम की संस्था है जिसको नगरपालिका द्वारा चलाया जाता है और इस संस्था के पास कई अच्छी दुकानें बाजार में मकानात आदि हैं जो किराये पर (नाम मात्र) दिये जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस संस्था का ट्रस्ट बनाने के लिये गत वर्ष निवेदन किया गया था परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? अभी इस संस्था के पास कितनी रकम है और इसकी आमदनी किस कार्य में खर्च की जाती है?

उत्तर

(1) जी हां, किराये पर दी गई दुकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस संस्था के पंजीयन की कार्यवाही नियमानुसार चल रही है नगरपालिका, झालरापाटन के पास 251) रु० दो सौ इकावन रुपया है और आय में से 50) रुपया मासिक वेतन तथा 40) रुपया मासिक अन्य व्यय में खर्च करना बताया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

भूमि पर अनधिकृत कब्जा

226. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वन खंड (1) खोखन्दा घन वास में ढाणी के पास व (2) फील्ड ट्रायल वन खंड, झालावाड़ रेंज, जिला झालावाड़ फारेस्ट की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर सन् 68-69 व 69-70 में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा खेती कर ली गई?

(2) यदि हां, तो किस 2 व्यक्तियों द्वारा किस किस जगह कितनी कितनी भूमि

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

में कौन कौन सी फसलें किन किन सालों में बोई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इन लोगों के खिलाफ जिला उप-वन अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या समय पर रेंज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इन्हें चैक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है।

(3) इनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही मंडल वन अधिकारी झालावाड़ द्वारा की गई है। फील्ड ट्रायल वन खंड में 69-70 में हुए अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय से सुनवाई की आगामी तिथि जून, 71 में नियत हुई है।

(4) रेंज अधि रयों एवं कर्मचारियों द्वारा समय पर इन्हें चैक किया तथा वन अपराध दर्ज के कार्यवाही की है।

(कृपया परिशिष्ट 10. देखिये)

भूमिहीनों में वितरित करने के लिए दी गई भूमि

227. श्री रामकिशन (वैर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 5 वर्षों में वन विभाग से कितनी जमीन किस किस जिले में भूमिहीनों में वितरित करने के लिये राजस्व विभाग को दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) भरतपुर जिले में रूंध भांटरा, तहसील डीग तथा कांस की दावरी की जमीन को कब भूमिहीनों में वितरित करने के लिये राजस्व विभाग को दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में वन विभाग से निम्नानुसार वन भूमि राजस्व विभाग को कृषि हेतु दी गई:—

नाम जिला मुक्त की गई वन भूमि (एकड़ों में)

नाम जिला	टोटल
भरतपुर	544
अलवर	937
अजमेर	293.30
सीकर	200
जयपुर	356.40
टोंक	201.33
भीलवाड़ा	2,514
चित्तौड़गढ़	5,971
झालावाड़	2,086.64
बूंदी	1,387
कोटा-बारां	1,588
सिरोही	684
बांसवाड़ा	12,589.36
डूंगरपुर	2,886
उदयपुर	2,655.05

(2) यह प्रश्न जिला स्तर पर बनी जिलाधीश की अध्यक्षता वाली समिति

(वन मंत्री)

के यहां विचाराधीन है। उक्त समिति के विचार पश्चात् ही इन रूंधों की भूमि को कृषि हेतु देने या नहीं देने के संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी।

गरीबों को कानूनी सहायता

228. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया है कि गरीबों को कानूनी सहायता दी जावेगी?

(2) क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को इस प्रकार की कानूनी सहायता देने की आज्ञा राज्य सरकार को प्राप्त हो गई? यदि हां, तो कब?

(3) राज्य सरकार ने अब तक किस किस जिले में गरीबों को कानूनी सहायता की व्यवस्था कर दी है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग को नहीं है।

(2) समाज कल्याण विभाग में इस प्रकार की कोई आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है।

(3) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को कानूनी सहायता देने का प्रावधान है जो जिलाधीश द्वारा स्वीकृत की जाती है। वर्ष 1970-71 में विभिन्न जिलों में इस कार्य हेतु आवंटित धनराशि की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

हरिजन बस्तियों में बिजली-पानी के लिए स्वीकृति धनराशि

229. श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले की किन किन तहसीलों में हरिजनों की बस्तियों में बिजली-पानी की व्यवस्था के लिये कितनी कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

(2) क्या दांतारामगढ़ क्षेत्र में ग्राम लोसल, दांता, खाप व दांतारामगढ़ में भी हरिजनों की बस्तियों में बिजली पानी की व्यवस्था के लिये धनराशि प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी कितनी, किस किस तिथि को दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम दांता के हरिजनों के मकान बनाने हेतु ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं? यदि हां, तो उन्हें ऋण कब तक दे दिया जावेगा? यदि ऋण नहीं दिया जायगा तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दांता की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण हेतु वर्ष 69-70 में दिनांक 29-3-70 को 20,000/- रु० स्वीकृत किये गये थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 38

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) वर्ष 70-71 में ग्राम दाता में मकानं बनाने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये विभाग के मुख्यालय म कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए अत: दिये जान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

अनुसूचित जाति व जन-जाति के कल्याण हेतु दी गई धनराशि

230. **श्री जगन्नाथ पटेल** (टोड़ारायसिंह): क्या समाज कल्यण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक जि के समाज कल्याण विभाग को 1970-71 में कत्र कब, कितनी कितनी नराशि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कल्याण हेतु दी गई? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त राशि में से कितनी कितनी राशि तहसील टोडारायसिंह, टोंक तहसील, टोंक शहर, तहसील देवली के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों को कितनी कितनी, किस किस को सहायता के रूप में दी गई? तहसीलवार आंकड़े व नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त वर्ष में कस्बा टोडारासिंह में हरिजन कोलोनी में मकान बनाने हेतु कितनी कितनी राशि, किस किस को कब कब दी गई? तथा कितने मकान बन चुके हैं तथा कितनों ने मकान अभी नहीं बनाये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। इसमें केवल सहायता की धनराशि ही दर्शाई गई है।

(2) स्थान का नाम उपरोक्त सूची में अंकित है।

(3) कस्बा टोडारायसिंह में अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रत्येक को 1,000/- रु० का अनुदान भवन निर्माण हेतु दिया गया। यह स्वीकृति मार्च में दी गई अतः भवन निर्माण का कार्य अब होगा।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

छात्रावास भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

231. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक छात्रावास चल रहा है उसके भवन निर्माण हेतु कुछ राशि स्वीकृत हुई थी? अगर हां, तो उस राशि का क्या हुआ और भविष्य में सरकार कब तक भवन निर्माण करावेगी और स्वीकृत राशि कितनी थी और आज तक भवन निर्माण नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) आज तक स्वीकृत भवन निर्माण की राशि खर्च नहीं करने का दोषी कौन अधिकारी है और उसके विरूद्ध सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की?

(समाज कल्याण मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां । जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक छात्रावास चलाया जा रहा है। जिसके भवन निर्माण के लिए दिनांक 7-8-64 को समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान हरिजन सेवक संघ को 5,000 रु० की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई थी। संस्था द्वारा संचालित इस छात्रावास की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण दिनांक 9-7-65 को समाज कल्याण विभाग ने उस छात्रावास का चार्ज ले लिया। संस्था द्वारा छात्रावास भवन निर्माण नहीं कराया गया, तथा राशि को संस्था को अन्य मदों में देय राशि में पत्र संख्या एफ० 2(ए) एस० ई०डी०/सक/66/25914 दिनांक 26-6-67 के द्वारा जमा कर लिया गया, और बाद में इसका चार्ज सरकार ने ले लिया। राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्गों के लिये 120 राजकीय एवं 117 अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं जिन सबके लिए विभागीय भवन निर्माण कराना वित्तीय अभाव के कारण सम्भव नहीं है । अतः अधिकांश छात्रावास किराये के भवनों में चलाये जा रहे हैं ।

(2) भवन निर्माण के लिए स्वीकृत अनुदान का तदर्थ उपभोग नहीं करने के लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है । और किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उटता ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय **सदस्यों को** सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैः–

(1) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदार॰ नाथ, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के नये डिवीजन छतरगढ़ में कुछ वर्कचार्ज कर्मचारियों के ठेकेदार द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी ।

(2) श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा, सदस्य विधान सभा ने गत मध्यावधि चुनाव में मनोहरथाना क्षेत्र में कांग्रेसी उम्मीदवार की पराजय के पश्चात् राजनैतिक द्वेषता के कारण मनोहरथाना कस्बे की वाटर सप्लाई व्यवस्था ठप्प किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिए जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैः–

(1) पूर्वी बंगाल में पश्चिमी पाकिस्तान की फौजों द्वारा वहां के लोगों की हत्या करने से उत्पन्न स्थिति की जानकारी माननीय मुख्य मंत्रीजी व सदन के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा किये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मदनसिंह दांता, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी है...

श्री मदनसिंह : आपने आज भी पूरा नहीं पढ़ा । और यह नहीं बताया·········

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री मदनसिंह : महात्मा गान्धी के सिद्धान्तों को अपना कर आन्दोलन करें ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य वि ान सभा ने इन्डस्ट्रीज कर्मचारियों के नियम लघु उद्योगों पर लागू न करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(2) अजमेर नगर में फाइसागर रोड तथा कोटरा आदि एरिया में घास की नीलाम न करवाकर घास को वहां के गांव वालों को दिये जाने के आश्वासनानुसार मामूली कीमत पर न देने के संबंध में एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है ।

(3) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें राजस्थान के बड़े नगरों के राजकीय अस्पतालों में आईस बैंग न होने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है ।

(4) इन्हीं माननीय सदस्य से एक स्थगन प्रस्ताव और प्राप्त हुआ है जिसमें अजमेर नगर में पड़ाव स्थित भूमि जो कि सुपर बाजार के लिये सुरक्षित की गयी है उसमें धानमण्डी (दरगाह बाजार) के दुकानदारों को दुकानें बनवा कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है ।

(5) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने गर्मी की मौसम में राजस्थान हाई कोर्ट व उसके अधीनस्थ समस्त न्यायालयों का समय प्रातःकाल न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(6) श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री केशरीसिंह हाड़ा व श्री प्रेमसिंह सिंघवी, सदस्य विधान सभा ने बारां नगर में जल प्रदाय योजना जो गत 2 वर्ष से चल रही थी कुछ समय से ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे । इसके अतिरिक्त इन मामलों को इनसे संबंधित विभागों की मांगों पर विचार करते समय कटौती प्रस्तावों के जरिये भी उठाया जा सकता है । अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

निम्नांकित पेन्डिग स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :—

(1) ग्राम वोंडल, पंचायत समिति खण्डार, जिला सवाई माधोपुर में जंगलात की भूमि का अनुचित एवं पक्षपातपूर्ण आंवटन के संबंध में श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(2) एडवर्ड मिल्स, ब्यावर के चालू न होने से मजदूरों में व्याप्त असन्तोष के सबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है । अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

Page No 41

(श्री अध्यक्ष)

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना 'राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा 28 जून, 1970 को 181 श्रमिकों की छंटनी के संबंध में भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई थी। इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुई थी। इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी विषय पर मेरा स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : इसी विषय पर ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी विषय पर था, कल पढ़ कर सुनाया था।

श्री अध्यक्ष : उसका उल्लेख मान लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थोड़ा सा इश्यू उसमें और है। गवर्नमेंट ने न्यायालय के निर्देश से निर्णय दे दिया कि पचास प्रतिशत पेमेन्ट कर दिया जाय, और 171 कर्मचारियों के लिए, जिनको हटाया गया है, इसको गवर्नमेंट लागू नहीं कर रही है, पैसा नहीं दे रही है।

श्री शोभाराम : अभी यह दस पन्द्रह दिन में पब्लिश होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पब्लिश क्या मजदूर करायेंगे ? गवर्नमेंट कराये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक महीने का...

श्री अध्यक्ष : अभी यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं हुआ है कि जिससे तथ्यों के संदर्भ में बोला जाय।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, माननीय जसराज जी ने नाचने वालियों को नचा कर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य का उत्तर दे दूं। आज आपने प्रस्तुत किया है।

श्री विजयसिंह : आज ही करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही करते हैं, यह नियम है।

श्री अध्यक्ष: साढ़े दस बजे।

श्री विजयसिंह : साढ़े दस बजे के पहले।

श्री अध्यक्ष: साढ़े दस बजे के बाद।

श्री विजयसिंह : साढ़े दस बजे के पहले।

श्री अध्यक्ष : आप उसकी कथा कहना चाहते हैं, मैं जानकारी कर रहा हूं।

श्री विजयसिंह : कथा तो काफी लम्बी चौड़ी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उसका भी समय आ जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एडवर्ड मिल के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव कल प्रस्तुत किया था, उसके सम्बन्ध में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपने आदेश दिया है कि अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। मैं उसके लिए, आप हाउस को एडजोर्न करें, यह आकांक्षा नहीं करता। गवर्नमेंट की तरफ से उस पर वक्तव्य हो, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं खुद वहां परसों गया था, वहां के जो माननीय सदस्य, इस विधान सभा के सदस्य हैं, उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं कि वह मिल कितने लम्बे अर्से से बन्द है।

श्री अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पहले भी स्थगन प्रस्ताव दिया था, उस पर मेरे ख्याल में स्पष्टीकरण हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है, गवर्नमेंट की नीति में भी। गवर्नमेंट ने अनएम्लायमेंट के प्रश्न को प्राथमिकता देकर हरएक डिस्ट्रिक्ट में कैश प्रोग्राम बनाया है कि एक हजार लोगों को रोजगार दिया जायगा, इस तरह से अलग अलग फण्ड दिये हैं। तो इस मिल को सरकार अपने हाथ में लेकर इसको चलाये उसमे घाटा होने का सवाल नहीं है। अगर हो तो सरकार उसको वहन करे, आखिर पन्द्रह सौ लोगों को रोजगार देने का सवाल है। इसके अलावा उसके सहारे दूसरे रोजगार में लगे हुए लोग हैं, व्यपारी लोग है, ठेला चलाने वाले लोग हैं, या दूसरे लोग जो बेरोजगार हुए है.....

श्री अध्यक्ष: मैंने स्वीकार नहीं किया है। सरकार खुद सचेत है, कमेटी इन्वेस्टीगेशन कर रही है। यह सारे तथ्य भी आ चुके है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, नई स्थिति इस सम्बन्ध में आई है, गवर्नमेन्ट से लोग मिले हैं, उस सम्बन्ध में गवर्नमेंट पूरी तरह से संतुष्ट है या नहीं ? गवर्नमेंट, हम समझते है, उस सम्बन्ध में उदासीनता की नीति अपनाये हुए है। आज तक स्थिति अभी तक बनी है लेटेस्ट, उसके बारे में गवर्नमेंट का वक्तव्य आ जाय-इतना मैं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप सदन की कार्यवाही को स्थगित करें, या आप एडमिट इस रूप में करें। खाली इस पर वक्तव्य आ जाय, कल आ जाय, परसों आ जाय।

श्री पृथ्वीसिंह: मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने तथ्य दिये हैं, मैं उन पर पुनर्विचार कर लूंगा।

श्री पृथ्वीसिंह: अध्यक्ष महोदय, साढ़े दस बजे स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसको अस्वीकार किया गया है या उस पर पुर्नविचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष: अभी कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास प्रस्तुत हुआ है, इतना कह सकता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया: अकाल और जल संकट के लिए मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपने उसके बारे में कहा कि जानकारी करके.......

श्री अध्यक्ष: निर्णय दिया जायगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया: उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि आप जानकारी यहां लें। यह प्रश्न मेरे पास विचारार्थ है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है – यह जानकारी नहीं दे सकता।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आसन की ओर से आश्वासन दिया गया......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जल की समस्या है ......

श्री अध्यक्ष : समस्या है, मैं कल निर्णय दे दूंगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आज के लिए कहा था। मैं कहना चाहता हूं कि वहां हड़ताल हो रही है, बाजार बन्द है।

श्री अध्यक्ष : आज स्थिति नहीं है, माननीय सदस्य, जब तक स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय न आवे, उसके पहले आप उस पर विस्तृत प्रकाश डाल देना चाहते हैं यहां।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं, कल भी निवेदन किया था, कल हड़ताल होने वाली है, आज जवाब मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज जवाब मिल जाय......

श्री अध्यक्ष : कल दिया जायगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कल फिर हड़ताल होगी, उससे जन जीवन को काफी परेशानी होगी।

श्री अध्यक्ष : आज स्थिति नहीं है निर्णय लेने की।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आज सरकार की ओर से उत्तर दिला दीजिये। सरकार संतोष दिलाती है या नहीं – यह मालूम हो जाय। ताकि कल वहां ऐसी स्थिति नहीं हो, हड़ताल नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके आग्रह को समझ गया हूं। अनुरोध को समझ गया हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उत्तर क्या है?

श्री अध्यक्ष : उत्तर कुछ नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मिलना चाहिए, ऐसा कैसे ?

श्री अध्यक्ष : उपयुक्त कल हो सकेगा, कल मिल सकेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कल उत्तर मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर, निर्णय मिल जायगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : निर्णय आज मिल जाय तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के चुनाव के समय बारां नल योजना का काम चल रहा था उसके बाद वह ठप्प कर दिया गया.........

श्री अध्यक्ष : कौनसा ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां नल योजन का। आपने अकलेरा नल योजना के बारे में कहा कि जानकारी प्राप्त की जा रही है। आपने अकलेरा नल योजना के बारे में यह व्यवस्था दी, लेकिन बारां नल योजना के लिए कहा, जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
उस पर नहीं की। आपने कहा कि अनुपूरक मांगों पर उठा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यह एक साल से चली आ रही योजना है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय श्री गाड़ियाजी। इसको मैंने अस्वीकार किया है न—अब कहां प्रश्न आता है बोलने का?

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो स्थगन प्रस्ताव एक ही समस्या को लेकर हैं। अकलेरा नल योजना के लिए आपने कहा कि जानकारी की जा रही है और उसकी योजना ठप्प कर दी गयी है और बारां नल योजना को भी ठप्प कर दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष दोनों ही ठप्प हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : हां, दोनों ही ठप्प हैं और आपने कहा कि अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोल लें। दोनों चीजें एक हैं लेकिन एक के बारे में तो आप जानकारी कर रहे हैं और एक के लिए आपने यह कहा है। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि दो साल से चल रही योजना को बन्द कर दिया जाये और वहां पर 30 हजार की आबादी है और जनता....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य........

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस योजना के के लिए आशा लगाये बैठी है। इसलिए मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में राज्य की नीति क्या है आया कि नल योजना को निर्धारित समय पर पूरा करा दिया जायेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अभी आप कैसे पूछ रहे हैं। मैंने अभी स्वीकार नहीं किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आप अकलेरा की नल योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसको भी इसमें ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री फूलचन्द बाफना : पाली जिले की डकैती के बारे में मेरा प्रस्ताव था ....

श्री अध्यक्ष : कल निर्णय है, इस पर।

श्री डूंगाराम राजोरिया : दौसा जिले की जल की संकट की समस्या के बारे में आज ही वक्तव्य करा दें।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आज ही करा दिया जाये तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : आज निर्णय नहीं हो सकेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या कारण है ? इसमें आपत्ति वाली क्या बात है ?

श्री दिग्विजयसिंह : कम से कम आज नहीं तो कल तो हो ही जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : कल निर्णय हो जायेगा।

गृह मंत्री जी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बंगला देश के संबंध में मैंने कल प्रस्ताव दिया था ......

श्री मदनसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान असेम्बली जब तक पार्लियामेन्ट और भारत

(श्री मदन सिंह)

सरकार बंगला देश को विधिवत देश घोषित नहीं करे तब तक यहां पर बंगला देश नहीं कहा जाना चाहिए और इसके स्थान पर पूर्वी पाकिस्तान कहा जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री दांता साहब बार बार इस प्रश्न को उठाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मुजीब ने जो काम किया वह बहुत कम लोग कर पायगे .....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट से आप आग्रह करें कि वह इस संबंध में कोई वक्तव्य दे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे सारे एडजर्नमेंट मोशन के बारे में तो ज्यादा नहीं कहना । मैं इतना ही आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय किया है कि जो पूर्वी बंगाल के आदमी हैं उनको इस समय सहायता की आवश्यकता है.....

कुछ माननीय सदस्य : पूर्वी पाकिस्तान नहीं बंगला देश कहो ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके लिए 10 लाख रुपया राज्य सरकार सहायता के लिए देगी । इसके अलावा राजस्थान के अन्दर 400 बैड्स का एक मोबाइल सर्जीकिल यूनिट पूरा सुसज्जित है कि जिसके अन्दर सब तरह की सुविधायें उपलब्ध हैं, उसका भी उपयोग वहां के व्यक्ति जो कि अपनी भारत की सीमा के अन्दर आते हैं और तकलीफ के अन्दर होते हैं उनकी सेवा की जा सके उस दृष्टि से राजस्थान सरकार अपनी तरफ से उसकी आफर करेगी और उसका जो कुछ खर्चा आयेगा और जब तक उसकी सेवाओं की आवश्यकता है उसका खर्चा भी राज्य सरकार वहन करेगी और उसमें डॉक्टर्स, कम्पाउन्डर्स, नर्सेज वगैरह और दवायें आदि के जितने भी इन्तजाम करने हैं वह किये जायेंगे ।

इसके सिवाय मैं समझता हूं कि मैं और ज्यादा यहां पर कहूं उसकी इस समय में आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि इस सदन की ओर से एक प्रस्ताव जिस तरह से संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ है यहां भी जो सदन के नेता हैं उनकी तरफ से पेश हो और हम सदन की तरफ से मन्जूर करके बंगला देश की जनता के अभिनन्दन करते हुए और उनकी मदद करते हुए वह पास करें । मैं समझता हूं कि ऐसा प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी पेश करेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना ही कह सकता हूं इस संबंध में कि मैं कल प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा । इतना ही कहना पर्याप्त होगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे संक्षेप में इतना ही निवेदन करना है कि जिस तरह से 10 लाख रुपया देकर सरकार ने बड़ा काम किया है इसी तरह से हम सदस्यों में से भी कम से कम हर सदस्य को 100

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

रुपया अपनी ओर से देना चाहिए यह मेरा नम्र निवेदन है। तो मैं अपनी तरफ से 100 रुपया आफर करता हूं और सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि सौ–सौ रुपया मुख्य मंत्रीजी के पास भेज दें तो यह थोड़ा उचित होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके संबंध में मंत्रिमण्डल में यह तय किया गया था कि मंत्री और बाद में जो इस सदन के कुछ माननीय सदस्य और अलग अलग दल के सदस्यों को बुलाया गया था और उसमें यह विचार हुआ था कि एक दिन का वेतन जब तक संघर्ष चलता है तब तक के लिए सभी व्यक्ति इसके लिए दान के अन्दर जो कमेटी गठित की गयी है उसमें देंगे और मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी जिसमें 20 सदस्य मनोनीत किये जा चुके हैं और बाद म, और आप नामीनेट कर सकते हैं 21 मेम्बर्स की जो कमेटी बनेगी उसको एक एक दिन का वेतन डोनेट करें। अगर सब को ही स्वीकार हो जाये तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके बारे में ज्यादा अच्छा यह होता कि आप स्वयं बैठक के बाद एक स्टेटमेन्ट तैयार करके हाउस में देते। आपने एक बात कह दी दूसरे ने दूसरी बात कह दी। मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय ले लिया, अब आगे कुछ नहीं कहना है। फिर किसी ने प्रस्ताव का सुझाव दे दिया तो कहा कि कल रख दूंगा और डोनेशन की बात कही तो अच्छा यह निर्णय लिया है। तो मेरा मतलब यह है कि काम्प्रीहेन्सिव बात इम्पारटेन्ट इश्यू के ऊपर कहनी है Then it should be in the form of a statement and rather you should have put that statement voluntarily.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं तो स्टेटमेन्ट देने के लिहाज से नहीं आया था। तुरन्त सवाल यहां पर उठा और मैंने जवाब दे दिया। इसमें आपत्ति की क्या बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let the House know about it.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये और मैंने जवाब दे दिया और स्पष्टीकरण कर दिया तो इसमें क्या एतराज हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तीन-तीन बार क्यों जवाब देते हैं, एक ही बार क्यों नहीं दे देते ?

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया था मोदी जी के खिलाफ काफी समय पूर्व उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ क्यों कि यह आखिरी बजट सेशन है ...

श्री अध्यक्ष : मैं इसी सत्र में दे दूंगा।

श्री मदनसिंह: उसकी भूमिका क्या है ?

श्री अध्यक्ष: मैं इसी सत्र में दे दूंगा।

श्री विजयसिंह : उसम माननीय अमृतलाल जी यादव के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : आपका मोशन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मेरे पास है उस पर मैं इसी सत्र में निर्णय दे दूंगा ।

गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे ।

शासकीय वक्तव्य

प्रीतमसिंह हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भैरोंसिह शेखावत व अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रीतमसिंह हत्याकांड संबंधित स्थगन प्रस्ताव पर तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार: है—

एक महाजन जाति की महिला श्रीमती पार्वती उर्फ पारो काफी समय से श्री सजावा मेव, साकिन ढाका, थाना डीग के पास बतौर औरत के रहती थी और उसके श्री सजावा से दो बच्चे भी पैदा हुए थे । श्रीमती पारो का कुछ अर्से बाद श्री प्रीतमसिंह राय सिख से भी ताल्लुकात हो गये । पुलिस में दिनांक 31 जनवरी, 1971 को सूचना प्राप्त हुई कि श्री सजावा ने एक महाजन जाति की महिला श्रीमती पारो को कैद कर रखा है। इस पर पुलिस जब गांव में गयी तो श्रीमती पारो स्वतः पुलिस संरक्षण में आगई और उसे उप-जिलाधीश, डीग की अदालत में पेश किया । उप-जिलाधीश महोदय ने समस्त मामले की रिपोर्ट जिलाधीश, भरतपुर को करदी जिस पर अतिरिक्त जिलाधीश भरतपुर ने श्रीमती पारो को महिला आश्रम, भरतपुर में 3-2-1971 को भेज दिया । इसके पश्चात् 23-3-1971 को अतिरिक्त जिलाधीश ने इसे आजाद करने के आदेश दे दिये परन्तु मेव व सिखों में तनाव होने से पुलिस दिनांक 25-3-1971 को श्रीमती पारो को पुलिस संरक्षण के साथ खेड़ली मोड़ तक उसकी इच्छानुसार पहुंचा दिया । उसी दिन सरदार प्रीतमसिंह अपने साथी श्री बलवंत सिंह के साथ भरतपुर से करीब 11 बजे बस में बैठ कर अपने गांव को रवाना हुआ। श्री सजावा व उसका भाई मंगला मेव भी भरतपुर से उसी बस में चढ गये । बस ज्यों ही पान्होरी गांव में पहुंच कर रुकी तो श्री सजावा और मंगला मेवान ने हल्ला मचाया । हल्ला सुनकर चन्द मेव व गुजरान साकिन चक पान्होरी जिनके पास लाठी, बल्लम, फर्से थे, बस के पास आगये । इन सबने मोटर को घेर लिया, पत्थर फैंके व ड्राइवर को खींच लिया और उसको बन्द कर दिया। सरदार प्रीतमसिंह व बलवन्तसिंह को भी नीचे खींच लिया और उसको बन्द कर दिया। मुलजिमान ने प्रीतमसिंह को लठ्ठों से मारना शुरू किया । उसका दूसरा साथी बलवन्तसिंह जिसके पास एक तलवार थी, मौका देखकर भाग निकला। लेकिन आक्रमणकारियों ने प्रीतमसिंह को पकड़ लिया और उसको जबरदस्ती साथ ले गये । इस घटना की सूचना थाना डीग में उसी दिन तीन बजे सरदार बलवन्तसिंह द्वारा मिलते ही पुलिस ने मुलजिमानों के विरुद्ध धारा 307। 364।148।149।323 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत क्रम संख्या 38 पर थाना डीग में पन्जीबद्ध किया और अनुसन्धान प्रारम्भ किया । थानेदार डीग मय पुलिस पार्टी तत्काल मौके पर उसी दिन गया और आस-पास के जंगल और पहाड़ों में तलाश की इस घटना की उसी दिन इत्तला मिलने पर डीवाई० एस० पी०, डीग मय फोर्स के वास्ते पतारसी मुलजिमान मौके पर उसी रात

Page No 48

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पहुंच गये तथा उनकी मदद के लिये भरतपुर से पार्टी पुलिस मंगवाई। आर० ए० सी० भी पहुंच गई। आर० ए० सी० के पहुंचने के बावजूद भरसक प्रयत्न के उपरान्त भी मुलजिमान का पता नहीं लगाया जा सका। बाद में इन बदमाशान ने प्रीतमसिंह के साथ मारपीट की व दिनांक 27|28 मार्च, 1971 की रात को जलाकर मार डाला। उसकी लाश को डीग-कामा सड़क पर गांव परमन्दरा के नजदीक डाल दी जो दिनांक 28-3-1971 को प्रातः पुलिस द्वारा बरामद की गई। हत्या की इस घटना के घटित होने के बाद उपरोक्त वर्णित अभियोग में धारा 302 ताजीरात हिन्द और जोड़कर पुलिस ने फौरन इस हत्या के अभियोग की तफतीस शुरू कर दी। अब तक की अनुसन्धान में इसरत हुसैन, कन्हैया और झगड़ू मेव, छुट्टन गुजर, रघुवीर गुजर, मम्मल, नन्हे व मंगला कुल 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो हिरासत में है। अनुसन्धान जारी है। इस हत्या से मेवान और हिन्दुओं के आपस में वातावरण कुछ तनावपूर्ण हो गया था जिस पर पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ने मौके पर पहुंच कर नियन्त्रण किया। अब इलाके में पूर्ण शान्ति है और किसी प्रकार का आतंक या तनाव नहीं है। कस्बा डीग में तथा नगर में घटना के रोज सुबह 11 बजे बाद सब दुकानें व बाजार खुल गये और अब स्थिति सामान्य है।

श्री रामकिशन : यह बस में चले तो किस समय और पुलिस में सूचना किस समय दी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : भरतपुर से बस में चले तब 11 बज थे बस रवाना हुई और तीन बजे सरदार बलवन्तसिंह ने पुलिस में इत्तिला दी।

श्री रामकिशन : पान्होरी के पास घटना हुई। पान्होरी और डीग में चार मील का फर्क है चार मील जाकर किस वक्त पहुंचे और इत्तिला कब दी और पुलिस कब पहुंची ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस को इत्तिला तीन बजे हुई, पुलिस का सब-इन्सपेक्टर घटनास्थल पर साढ़े तीन बजे पहुंचा।

श्री रामकिशन : मुलजिम गिरफ्तार किये वे कितने थे और कुल मुलजिम कितने है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कितने मुलजिम हैं यह तहकीकी नहीं कहा जा सकता। तसदीक जारी है और मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। सावा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

श्री रामकिशन : जितने नाम हैं उनमें से कितने ऐसे है जो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सावा है जो गिरफ्तार नहीं हो सका है तफतीश जारी है वहां पर काफी भीड़ थीं गांव का कोई व्यक्ति आता है और किसी मुलजिम का नाम बताता है तो तफतीश की जाती है और मुलजिम पाया जाता है तो गिरफ्तार किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : जो मुलजिमान हैं उन में से राजस्थान सरकार के मुलजिम कितने हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इशरत हुसैन यह म्यूनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर है...

श्री भैरोंसिंह : क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इशरत हुसैन डीग म्युनिसिपैलिटी का मुलाजिम है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री रामकिशन : मन्त्री महोदय ने मेव व गूजरान के शब्द का इस्तेमाल किया है वह गलत है। जो अपराधी है उनके साथ आप जाति का नाम मत लीजिये यह गड़बड़ पैदा करता है। मेव व गूजरों में कोई झगड़ा नहीं है। आप रटे रटाये बोल रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : वहां जो कुछ हुआ है वह मैंने आपको बताया है समें कोई झगड़ा पैदा करने वाली बात नहीं है।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (समापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई तथा राजस्थान नहर परियोजना विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति, 1963-64 के 16वें प्रतिवेदन में समाविष्ट उन सिफारिशों पर जिनके संबंध सिंचाई विभाग से है शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति, 1970-71 के सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री भैरोंसिंह (समापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:–

(1) राजकीय उपक्रमों के संबंध में जनलेखा समिति (तृतीय विधान सभा) द्वारा प्रस्तुत नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही मे संबंधित समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1966-67 से संबंधित विषयक राजकीय उपक्रम समिति के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का 12 वां प्रतिवेदन तथा,

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के मामलों से संबंधित समिति का तेरहवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सीलिंग कानून के संबंध में घोषणाओं की पूर्ति न होने के बारे में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

सीलिंग कानून की क्रियान्विति हेतु की गई घोषणाओं को पूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, राज्य विधान सभा के गत नवम्बर अधिवेशन में मैंने इस प्रकार का इस सदन में एक प्रश्न उठाया था। मुझे खेद है इस बात का कि राज्य सरकार ने और राजस्थान की विधान सभा में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करने के संबंध में जो कानून पारित किया गया था और जिसके संबंध में इस सदन में बार बार चर्चा उठायी गई और यह मांग की गई कि भूमि सुधार की दृष्टि से कानून की क्रियान्विति शीघ्रातिशीघ्र और सही मायने में होनी चाहिये। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आश्वासन भी दिये गये लेकिन मझे खेद इस बात का है कि लगभग 12 वर्ष के पश्चात् भी आज राजस्थान के अन्दर सीलिंग ला इम्पलीमेन्टेशन की दृष्टि से 5 प्रतिशत भी उपलब्धि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको भी स्मरण होगा, जब, पिछली बार इस सदन में हम मिले थे और जिस समय राज्य के राजस्व मंत्री महोदय ने इस सदन में नवम्बर के महीने में आश्वासन दिया था कि अप्रेल के महीने तक सभी भूमियां जो एक्सेस है सीलिंग से वह राजस्थान भर में ले ली जावेंगी। और मई में इन सब भूमियों का बंटवारा कर दिया जावेगा। इस संबंध में सदन को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने जिलाधीशों को और उप-खण्ड अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं जिसके अन्तर्गत उन्होंने एक शिड्यूल बनाया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अलग अलग तारीखों पर किस प्रकार नोटिस जारी किये जावेंगे और इन सारे दावों को निपटारा कर दिया जावेगा और सारी भूमि राज्य सरकार के कब्जे में ले ली जावेगी। आज हम राजस्थान के टीनेन्सी लॉ के संबंध में विचार कर रहे हैं और राजस्थान सरकार इसके द्वारा लोगों को कुछ अधिकार देने जा रही है उस समय यह मसला सदन के सामने आया है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत राजस्व मंत्री से जानना चाहूंगा कि सीलिंग ला के इम्पलीमेन्टेशन के संबंध में आज की तारीख में लेटेस्ट पोजीशन क्या है? राजस्थान भर में मैं यह जाना चाहता हूं कि जिस समय उन्होंने कानून बनाया था उस समय कितनी भूमि सीलिंग कानून के तहत में राज्य सरकार को प्राप्त होनी थी क्या अनुमान लगाया था, कितनी भूमि मिलने का जब कानून पास किया था और अब कितनी भूमि राजस्थान सरकार को मिलने की सम्भावना है। इसमें से कितनी भूमि आज की तारीख तक एक्चुअल पजेशन फिजीकली हो गयी है। राज्य सरकार द्वारा कितनी भूमि पर अप्रल के अन्त तक जैसा कि उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था, एक्चुअल फिजीकल पजेशन कर लेगी और उस भूमि का कब तक डिस्ट्रीब्यूशन हो जावेगा? और सीलिंग लॉ कम्पलीटली इम्पलीमेन्ट कब तक राज्य सरकार ने, जिस प्रकार के नियम बनाये हैं जिस प्रकार के एक्जेम्प्शन दिये थे और जिस प्रकार एक्जेप्शन विड्रा किये हैं अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता। यह राजस्थान सरकार किस तरह के कानून और नियम बनाती है कि कि आये दिन हाई कोर्ट में उन्हें चेलेन्ज करके वहां से नल एण्ड वोइड या अलट्रा वायस डिक्लेअर कराया जाता है। सरकार यह बहाना लेकर सामने आती है कि अदालत से स्थगन आदेश हो गये हम इस संबंध में क्या करते। क्या राजस्व मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने फिर से नियम बनाये हैं जो एक्जेम्पशन्स को विथ्ड्रा किये हैं, एक्जेम्प्शन्स को जिस समय विथड्रा किया हमने मामला उ ाया कि इसमें यह पेचीदगियां पैदा होंगी परन्तु उन्होंने नहीं माना। राजस्थान सरकार करती बहुत कम लेकिन कहती ज्यादा है इसकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वस्तुथिथति है उसकी उपेक्षा करती है और हिन्दुस्तान भर में अपनी इमेज बनानी चाहती है कि राजस्थान सरकार भूमि सुधारों में बहुत प्रोग्रेसिव है मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार के संबंध म जिस प्रकार का खिलवाड़ किया है जिस प्रकार का कानून के साथ म मजाक किया है उसका नतीजा यह है कि 12 वर्ष के बाद भी सीलिंग लॉ का इम्पलीमन्टेशन राजस्थान में नहीं हो पा रहा है । और राजस्थान हाई कोर्ट से मुझे जानकारी हुई है कि सैंकड़ों रिट पिटिशन्स फाईल हुई हैं और अभी अभी जानकारी मिली है इस संबंध में राजस्व मंत्रीजी प्रकाश डालेंगे कि क्या उनके पास में सीलिंग लॉ के इम्पलीमेन्टेशन की क्या स्टज है अभी तक क्या प्रगति है ? पिछले वक्त इस सदन के अधिवेशन में में आपने आश्वासन दिया था । पिछले जो टारगेट थे उस संबंध में सारा विवरण सदन के सामने रखे थे म यह कहते हुए राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : विरोधी पार्टियों के सदस्यों को तोड़कर सीलिंग लागू कर रहे हैं । इस ओर राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इसलिये यह सारी स्थिति पैदा हुई है ।

श्री गंगाराम चौधरी : उप-मंत्री, राजस्व । अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट संशोधन पिछली बार सदन म पास हुवा उसकी स्वीकृति राज्यपाल महोदय ने 9-8-70 को दी थी । तब से वह एक्ट बन गया था उसके बाद जल्दी ही सरकार ने सभी जिलाधीशों को आदेश दिये थे और कानून की क्रियान्विति के संबंध में एक कार्यक्रम निर्धारित किया था । उसके अनुसार दिनांक 15-12-70 को जो भी मामले एस० डी० ओ० के पास में सीलिंग कानून की धारा 10 के अन्तर्गत चल रहे थे सारे मामलों को निपटने के आदेश दिये थे । 30-12-71 तक चेंकिग और डिक्लेयरेशन्स जो तहसील में होने थे, उस संबंध म एक तिथि निर्धारित की थी, और इस प्रकार अन्य कार्यक्रम निर्धारित कर अप्रेल के अन्त तक सारी भूमि पजेशन में लेने का कार्यक्रम निर्धारित किया तो उसके बाद में आवटंन करने की बात थी । यह आदेश जारी करने के बाद में जिलाधीशों और एस० डी० ओज० ने अपने अपने स्तर पर कार्य करना आरम्भ किया और आज यह स्थिति है कि इस प्रकार से सीलिंग....

12.35 म० प०

(श्री पूनमचंद विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

कानून के निमम 9 के अन्तर्गत कुल राज्य में प्राप्त घोषणा-पत्रों की संख्या 16177 है जिनमें से 8116 की जांच की जा चुकी है और शेष जांच जारी है इस प्रकार लगभग 50 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर दिया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 9 के अन्तर्गत जो मामले थ उनमें क्या हुया ? जांच पूर्ण हो गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : 1617 में से 8177 की जांच की जा चुकी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी जमीन ले ली ?

Page No 52

श्री गंगाराम चौधरी : नियम 10 के अन्तर्गत 19,336 नोटिसेज जारी किये गये थे जिसमें से 3,716 में जांच की जा चुकी है । नियम 14 के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिसेज की संख्या 10,873 है । अब तक भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश 54,287 एकड़ के लिये किये जा चुके हैं जिनमें से 10,343 एकड़ राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अधिग्रहण का मतलब यह नहीं होता कि नोटिस जारी कर दिये । एक्चुअल फिजीकल पजेशन तहसीलदारों ने या सरकार ने लिया ।

श्री गंगाराम चौधरी : 54287 एकड़ भूमि के रिजम्पशन के आदेश जारी हो गये, 10,347 एकड़ का एक्चूअल पजेशन ले लिया गया है ।

श्री रामकिशन : जिलेवार सूचना और दे दें ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपको भेज देंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : इस प्रकार से स्पष्ट होगा कि सीलिंग कानून की क्रियान्विति की सरकार ने जो घोषणायें की थीं, उनके अनुसार पूर्ण रूप से की गई।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि आपने जो जमीन लेने के लिए एस० डी० ओ० को मुकर्रर कर रखा है, वह पैसे लेकर इन मामलों को रफादफा कर रहे हैं ? एक एक हजार रुपए लेते हैं, आप इसकी जांच करवा दें ।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्यों ने पहले प्रश्न उठाया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन्स दायर हुई हैं। सरकार के ध्यान में अब तक दो रिटों के संबंध में सूचनाएं मिली हैं और उस संबंध में व्यक्ति स्थगन आदेश जारी हुए हैं कोई जनरल स्टे ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। इसलिए क्रियान्विति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है । केवल इन्डीव्युअल केसेज में पड़ा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने आंकड़ा बता दिया कि 16,177 घोषणा-पत्र हमारे पास पेन्डिंग है और उनमें से 8 हजार लगभग निपटा दिए हैं । पहले आप सूचना दें कि जो 16,177 घोषणा-पत्र है इनमें कुल कितनी भूमि इन्वाल्व्ड है और जो 8,177 मामले निपटाए गए उसमें कितनी भूमि एलाट किए जाने योग्य है ? और इसके अलावा सरकार के पास जो अंतिम सूचना है उसके अनुसार संशोधनों के बाद राजस्थान में कुल कितनी भूमि के रेग्युलेराईजेशन के आदेश दिए हैं ? कुल राजस्थान में कितनी भूमि उपलब्ध है जो सीलिंग के बाद सरकार के पास आयेगी और एलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगी ?

श्री रामचन्द्र आर्य : साथ साथ यह भी बता दें कि सिंचाई क्षेत्र में आपने कितनी जमीन ली है सीलिंग के तहत ?

श्री गंगाराम चौधरी : सिंचाई क्षेत्र की अलग से सूचना है, वह मेरे पास नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : बढ़िया जमीन कोई नहीं दे रहा है ।

श्री रामकिशन : दो बातें और बता दें । आपने बताया कि अंतिम स्थिति यह है कि 10,347 एकड़ जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ली है तो जितने घोषणा-पत्रों की जांच हो गई है उसमें कुल कितनी जमीन आयगी और साथ साथ जब सीलिंग कानून बना था सरकार का अधिग्रहण करने का कितना अनुमान था, उसमें कितना

(श्री रामकिशन)

अन्तर है और इतना खर्चा करने के बाद 10 हजार एकड़ ही प्राप्त हुई है और 10 हजार एकड़ प्राप्त और होगी तो उससे ज्यादा तो प्रशासनिक व्यय हो गया होगा ।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्यों को उत्सुकता है कि संशोधनों के बाद शायद बहुत जमीन आने वाली थी । मैं स्पष्ट करू कि पहले की कितनी जमीन आने वाली थी, उसका इस समय मुझ अनुमान नहीं है

श्री रामानन्द अग्रवाल : 20 लाख एकड़ का सीलिंग कमेटी ने अनुमान लगाया था ।

श्री रामकिशन : शोभाराम कमेटी में है।

श्री गंगाराम चौधरी : 20 लाख एकड़ अनुमान था लेकिन जो संशोधन हो गए हैं उनके बाद में इतना प्रभाव पड़ा है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह अलग चीज है।

श्री गंगाराम चौधरी : हमने 8,116 दावों का निपटारा किया है उसमे केवल 54,297 एकड़ भूमि मिली है। हो सकता है कि पहले के सीलिंग कानून में जितनी जमीन आने वाली थी उसके बाद में कम आने वाली है, लेकिन ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता कि कितनी भूमि राज्य सरकार को कम प्राप्त होगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आवश्यक नहीं है कि जो काश्तकार सीलिंग कानून से अफक्टेड हों- उनमें सेंट परसेंट व्यक्तियों ने घोषणा-पत्र दिए हों। आपकी सूचना यह है कि जो सीलिंग कानून से अफक्टेंड व्यक्ति जो एग्जेम्टेड एरिया के थे जिन्होंने घोषणा-पत्र दिए, कोई आवश्यक नहीं कि सेंट पर्सेंट व्यक्तियों ने घोषणा-पत्र दिए हों, बहुत से व्यक्तियों ने नहीं दिए हैं। हम जानना चाहते हैं कि संशोधनों के बाद सरकार के आंकड़े के अनुसार कुल भूमि राजस्थान में कितनी मिली है जो एलाटमट के लिए काश्तकारों को देंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : जो व्यक्ति घोषणा-पत्र भर कर नहीं देता है और इफेक्टेड हैं तो नियमों में यह प्रावधान है कि नियम 10 के अन्तर्गत एस० डी०ओ० को नोटिस देता है कि घोषणा-पत्र दीजिये । जो प्रभावित हैं उनको अधिकारियों ने नोटिस दिये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 12 वर्ष आपको इस कानून को बनाये हुए हो गये । नियम 10 के अन्तर्गत नोटिस देकर एक बीघा जमीन भी आपने प्राप्त नहीं की।

श्री गंगाराम चौधरी : सीलिंग के सम्बन्ध में 19 हजार नोटिसेज जारी हुए हैं। 3,416 की जांच की जा चुकी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भूमि तो नहीं मिली । यह तो वालीन्ट्रियरिली स्टेटमेन्ट भर दिये उनसे मिल गये ।

श्री गंगाराम चौधरी : नियम 9 और नियम 10 दोनों के मामले शामिल हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने यह फरमाया कि सेक्शन 10 के अन्तर्गत 16 हजार प्रार्थना-पत्र आयें..

श्री गंगाराम चौधरी : एक म 8 हजार और दूसरे में 3,700 मामले निपटाये। 16 हजार में से कम निपटाये है, शेष ज्यादा है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक लाख होंगे 20 लाख के बजाय। कितनी जमीन आ चुकी है और उसमें से कितनी अच्छी है और कितनी काम की नहीं है, यह भी तो बताय।

श्री गंगाराम चौधरी : आवंटन के सिलसिले में तारीखें निर्धारित कर दी हैं और तिथियां माननीय सदस्यों के सामने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। श्री गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल: राज्य सरकार की ओर से........

श्री डूंगाराम राजोरिया : कार्यक्रम क्या है यह तो बता दीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : कार्यक्रम बता दिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरक्युलर जारी किये हैं और क्या क्या सरकार ने स्टेप्स लिये हैं उनका एक नोट बना कर मेम्बरों को सरक्यूलेट कर नहीं सकते थे क्या? कौनसा आपका प्रिविलेज खत्म हो रहा है? कौनसा प्रिविलेज है? आप कहते हैं कि इन्स्ट्रक्शन्स जारी हो चुके हैं लेकिन मेम्बर्स को मालूम होता तो वे अपनी कोन्सिटुएन्सी में जाकर प्रेस कर सकते थे। कम से कम शिड्यूल बना कर तो मेम्बर्स को बताया जाता।

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोग्रम जो बना वह सब अखबारों में छप चुका है।

श्री कृष्णकुमार गोयल :-10,300 एकड़ जमीन बतायी जो सरकार के कबजे में गयी है। इसके लिये हमें विश्वास नहीं होता है। जिलावाइज इसका ब्रेक अप आप दे दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : आप चाहेंगे तो जरूर दे देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 10,347 एकड़ का कुल एचीवमेन्ट है जो कागजों में है और जिसका हम विश्वास नहीं होता है। बाड़मेर और रेगिस्तानी इलाके की। फर्टाइल लैण्ड जो किसानों को मिल सके और कितनी आपने उपलब्ध की उसके लिये आप जिलेवार आंकड़े दीजिये कि अमुक अमुक जिले में इतनी है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। दस हजार एकड़ की डिटेल्स आप चाहें तो आपको दी जा सकती हैं। सवाल के रूप में आप इसको मांग लीजिय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल में क्यों पूछ लें, व्यासजी महाराज। काल अटेन्शन नोटिस है। नोर्मल क्वश्चन था। आखिर किसके लिये ये मामले उठाये गय थ। खुद आकर गवर्नमेन्ट को स्टेटमेंट देना चाहिय था। इतने इम्पोर्टेन्ट सबजेक्ट के सम्बन्ध में आप मेम्बर्स को नोट सरक्यूलेट नहीं कर सकते? हाउस में कह देते हैं कि अखबारों म पढ़ लें। अखबारों में तो पचासों बातें पढ़ते हैं। हाउस में एक बात पूछी जाय कि फिजिकल पजेशन कितने डिस्ट्रिक्ट में क्या किया यह आपको बताना चाहिये। एक सवाल का जवाब दे दीजिये कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को छोड़ कर बाकी किसी जगह जमीन नहीं ली?

श्री रामकिशोर व्यास : गयी बार मैंने जिलेवार आंकड़े बताये थे । इस वक्त तो मेरे पास फीगर्स नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नियम 9 के तहत आपने 16,177 की सूचना जो आपने दी है, उसमें से स्वयं लैंड ओनर्स हैं उन्होंने 16,177 रिटर्न्स भरे उनमें से कितनी जमीन सीलिंग के अन्दर रिज्यूम हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : 32 हजार गांव हैं । 16 हजार एकड़ जमीन है । एक तिहाई एकड़ प्रति गांव आती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 16,177 रिटर्न्स हैं जमीन नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : दस हजार एकड़ ही जमीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पूरे गांव के साथ एक बीघा जमीन ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इससे यह सिद्ध हो गया है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया । जैसलमेर की या दूसरी जगह की वह भी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो यह बात कही जा रही है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यह बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम यह कह रहे थे कि सीलिंग मत लगाओ । तीस लाख एकड़ जमीन उपलब्ध हो सकती है उसको छिपाया जा रहा है । इम्पलीमेन्टेशन के जरिये से जमीन निकल सकती है उसको नहीं निकाला जा रहा है । चुहिया नहीं पहाड़ है । गवर्नमेन्ट तैयार है या नहीं और माननीय सदस्य जो इस बात के लिये लड़ते हैं वे रियली लड़न के लिये तैयार दिखते हैं या नहीं ? गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा जमीन सीलिंग में आ सकती है । नियम 9 में कितनी एप्लीकेशन्स आई और 10 में कितने नोटिस दिये ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सूचना अभी मंत्री महोदय के पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर इस पर हुआ क्या ? दुबारा हम चाहेंगे कि पूरी सूचना गवर्नमेन्ट उपलब्ध करे ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुन लें । सदन की व्यग्रता को, सीलिंग का कानून जल्दी से जल्दी लागू हो जाय और जमीन बंट जाय, एलॉटमेन्ट उसका हो जाय इसको मैं समझता हूं......

श्री रामकिशन : हिन्दी उर्दू तो बोलते हैं लेकिन फारसी जानने वाले जनसंघ में एक दो हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : सब ही पढ़े लिखे लोग हैं ।

मैं आपकी व्यग्रता में अपन आपको भी शरीक करता हूं । गयी दफा जब सेशन था मैंने निवेदन किया था कि इसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया जायगा । प्रेसीडेन्ट की मंजूरी आयी । संशोधन बिल के बारे में इन्स्ट्रक्शन्स भेज दीं । कलेक्टर्स को डाइरेक्शन्स

(श्री रामकिशोर व्यास)

भी दिये और टाइम प्रोग्राम बना कर दिया। अफसोस है कि आपकी जानकारी में नहीं आई। मैं उसको भेज दूंगा। कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेन्स भी हमने इसी वजह से बुलायी कि लॉ को जल्दी से जल्दी इम्पलीमेंट किया जाय। उन्होंने हमें बताया कि मौजूदा हालत में जो स्टाफ उनके पास है वह ही रहता है तो जल्दी इसका इम्पलीमेटन्शन नहीं हो सकता है। डिस्कस करके बातचीत करके, कुछ आधार ये किये गये। जो जो एडीशनल स्टाफ चाहा कलेक्टर्स को दिया। आर० ए० एस० और दीगर स्टाफ की नियुक्ति भी की इस पर स्टाफ देकर अमल शुरू किया। इत्तिफाक से इसकी प्रोग्रेस इस समय मेरे पास नहीं है। इसमें छिपाने की बात नहीं है। जिलेवार पहले भी फिगर्स बतायी थी। फिर बजट के समय जिलेवार आंकड़े भी बता दूंगा। फिर इसमें छिपाने की कोई बात है भी नहीं। जहां जमीन होगी वहीं तो आवेगी, नहीं होगी, नहीं आवेगी। अब नहीं आती है तो नहीं आती है। इत्तफाक से इस वक्त जानकारी मौजूद नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई रिवाईज्ड टारगेट भी दिया है क्या? ओरिजनल तो 20 लाख एकड़ जमीन लेने का टारगेट था।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें कुछ अन्तर तो अवश्य आवेगा क्योंकि ट्रान्सफर के पावर देने के कारण और दूसरे एग्जम्पशन देने के बाद अब कितनी जमीन बचगी यह सारी स्थिति के नये सिरे से सामने आ जावे तभी कुछ पता लग सकेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में तो वही 20 लाख वाला टारगेट स्टेन्ड करता है। अब पिछले पांच महीनों में आपने पांच हजार एकड़ प्राप्त की अगले पांच महीनों में पांच हजार और की। कुल लगभग दस हजार प्राप्त की दस महीनों में। यानि एक महीने में एक हजार का अनुपात रहा। इस हिसाब से तो आप बीस लाख एकड़ जमीन 108 वर्षों में प्राप्त कर सकेंगे?

श्री रामकिशोर व्यास : आप फिर यों क्यों नहीं कह देते कि 60 में कानून बनाया, 63 में लागु किया। अब उस पर अमल करने जा रहे हैं तो जल्दी ही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य।

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 पर अग्रेतर विचार

श्री रामकिशन : चर्चा लायक चीज तो यही है। अब जितना खर्चा इन्होंने किया और उसमें जितनी भी जमीन ये ले पाये उतनी जमीन तो इतने खर्चे में कोई भी दे देता।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, उत्तर देंगे।

श्री रामकिशन : यह तो दो दिन की बहस के लिये है। अब तो बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तो बोलने दीजिये। आपने सीलिंग के बारे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में टैनेन्सी बिल पर सूचना तो अब दी है। बोलने का अवसर तो अब आया है। कितना कल्याणकारी कदम आपने उठाया है यह जानकारी तो अब मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामकिशन : अब ये अग्रवाल नहीं रहे हैं, साहब।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो बिल सरकार की तरफ से पेश किया गया है इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है।

राज्य सरकार की ओर से केवल मात्र धारा 54 के बाद जो फ्रेगमेनन्टेशन को रोकने के लिये प्रतिबन्धात्मक धारा आई है वह 54/55 में आई है।

इसके अतिरिक्त इल्लीगल ट्रान्सफर या इल्लीगल एक्वीजीशन के बारे में गवर्नमेन्ट ने अभी तक तीन वर्षों की मर्यादा रखी थी उसको 12 वर्ष करने का इसमें प्रावधान है। मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में जो टीनेन्सी ला में अमेन्डमेन्ट लाने चाहिये थे जिसके लिये सरकार कमिटेड भी है, मैं इस बिल की भावना समझने में असमर्थ हूं कि इसके पीछे क्या मिस्ट्री है कि सरकार लगातार उस कानून को भी जो इस सदन में आ चुका, प्रवर समिति ने भी जिन पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जिससे पहले रेवेन्यू कमिश्नर ने अपनी सम्मति दी, उस कानून को क्यों पीछे धकेला जा रहा है। पिछली बार भी मैंने सदन में इस प्रश्न को उठाया था और माननीय मन्त्रीजी ने भी यह कहा था कि गवर्नमेन्ट की नियत कोई किसी प्रकार से उस बिल को टालने की नहीं है। लेकिन इस आश्वासन के बाद भी वस्तुस्थिति ज्यों की त्यों है और लैण्ड रेवेन्यू लॉ कमीशन ने जो मेहनत करके सिफारिशें की थीं, उन पर कोई विचार सरकार नहीं कर रही है, न अमल ही कर रही है। ग्रामदान बिल के बारे में जरूर कन्सल्ट कर रहे हैं। बाकी लैंड रेवेन्यू और टिनेन्सी बिल जो हैं जो क्रेडिटेबल बिल हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : ग्रामदान का तो आर्डिनेन्स है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य जो ये दो टिनेन्सी के बिल हैं इनको लगातार टालमटोल करती जा रही है यह सरकार।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित करे। 55 में टिनेन्सी एक्ट मौजूदा पास किया था। इसके बाद 15-16 सालों में परिस्थितियों में कितना ही परिवर्तन हुआ इसमें कितने ही लूपहोल्स नजर आये, और सरकार ने समय-समय पर दुरुस्ती करने की कोशिश भी की है पर खुद सरकार और जिस पार्टी की यह सरकार है उसने इस बिल को नेशनल लेवल पर स्वीकार किया है। जो भूमी-सुधार के अबतक के कानून हैं उनमें भारी लूपहोल्स रहे है। उन सबकी फिलिंग करके एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है। और इसलिये बार-बार प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने गवर्नमेन्ट लेवल पर भी और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कांग्रेस के अधिवेशन में भी, और खास तौर पर पिछले मध्यावधि चुनावों के अवसर पर इस बात के लिये कमिटमेन्ट हिन्दुस्तान की जनता को दिया है कि लैंड रिफार्म्स जल्दी से जल्दी किये जावेंगे। पर यह सरकार रिलक्टेन्ट है। इस सरकार को अपनी पार्टी की नेशनल पॉलिसी की लाइट में आकर काम करना चाहिये।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अपनी पार्टी की घोषित नीति की झलक इस संशोधन बिल में नहीं है जो कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा मन्जूर होकर इस सदन में भी जिसकी रिपोर्ट पेश हो चुकी है। इसलिये उम्मीद तो यह की जाती थी कि कांग्रेस ने अपने विभाजन के बाद अपनी बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में जो लैंड रिफार्म्स के बारे में नीति तै की थी उसी के अनुसार यह सरकार भी चलेगी, उसका क्रियान्वयन यह सरकार करेगी, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। मिसाल के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस नारे का कि जमीन को जोतने वाला, जमीन को खुदकाश्त करने वाला है वह जमीन का मालिक रहे इस नारे को नीति के रूप में जो मान रही है पार्टी उस पार्टी के द्वारा तैयार किया हुआ जो बिल है उसमें लूपहोल साफ नजर आ रहे हैं। इस सरकार के कानून में इस प्रकार का प्रावधान क्यों ?

इस बात को जानते हुए कि जागीरदार जिस जमीन को काश्त नहीं करते, एक पोलिटिकल सेटलमेन्ट के रूप में, जागीरदारों के आन्दोलन से घबराकर सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिये हैं और इस तरह का सेटलमेन्ट किया, जिसके तहत जागीरदार जमीन की काश्त नहीं करते तथा टिनेन्ट जिसको काश्त करता या तो राजस्व के रिकार्ड में जागीरदार द्वारा काश्त करना दर्ज होता है और टिनेन्ट जो काश्त कर रहा है वह दर्ज नहीं होता है इस तरह से वह जमीन जागीरदारों के पास छोड़ दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, वो जमीन और दूसरी जमीन जो है वह आज भी सबलेट की जाती है और दूसरे लोग जो सब टिनेन्ट हैं उनको खातेदार नहीं बनाया जाता है। वे लोग दूसरे लोगों को सबलेट करते हैं और वे खुद काश्त नहीं करते हैं लेकिन आज भी उनका इन्द्राज काश्तकार के रूप में होता है इस सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है कि टेनेन्ट्स् का रेकार्ड रखना ही छोड़ दिया गया है और कौन एक्चुअली काश्त करता है इसका रेकार्ड रखना ही इस सरकार ने छोड़ दिया है जिससे सब टिनेन्ट का रेकार्ड मिलने में बाधा पैदा हो गई है। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने भारत सरकार ने इस बात का साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस प्रकार से जो सब टिनेन्टस् है उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिये। वह जो सब टिनेन्ट जो खुद काश्त करता है तो उसका रेकार्ड रखा जाना चाहिये और इस तरह से इस कानून में सुधार किया जाना चाहिये। वेस्ट बंगाल और केरल की सरकारों ने इस प्रकार के सुधार किये हैं और इस प्रकार के जो सब टिनेन्ट्स क्राप अप हुए हैं उन सबको खातेदारी हकूक, उन सब को आनरशिप के राईट्स दिये हैं लेकिन हमारे राजस्थान में स्थिति ज्यों की त्यों है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो खुद काश्त की तारीख हमारे टिनेन्सी एक्ट में मौजूद है उसके अन्दर केपिटलिस्ट का और फ्यूडेलिस्ट का यानी जो अपना पसा लगाकर, वेजेज, लेबर लगाकर काश्त करवा सके, उसको खुद काश्त माना गया है, काश्तकार माना गया है। कोई साहब अपनी कार ले जाते हैं फार्म पर घूम आये, घोड़े पर सवारी कर फार्म पर घूम आये, उसको सुपरवीजन मान कर उसको खुदकाश्त माना गया है, और इस तरह फ्यूडेलिज्म और केपिटेलिज्म को, जिसको खतम करने के लिये हम दृढ़-प्रतिज्ञ हैं, उस सिस्टम को उखाड़ने में हम दृढ़ प्रतिज्ञ है, उस सिस्टम को उखाड़ने के बजाय उसको हम अपने यहां पर बरकरार रखे हुए हैं और यह सरकार भी इस प्रकार का कोई कानूनी प्रावधान नहीं कर रही है और न ऐसा कोई टिनेन्सी बिल है जो कि होना चाहिय जिससे कि जमीन के ऊपर जो कि वास्तव में उनके ऊपर हल चलाता है वह काश्तकार माना जाये और जो उस पर लेबर करने वाला है उसी को उस पर खातेदारी हकूक दिये जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कई सर्वे भी राजस्थान में हुए हैं। डा० धूतसिंह ने एक सर्वे किया है और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि काफी पर्सेन्टेज हैं इस प्रकार के लोगों का जो ऐसी काश्त करवाते हैं। मेरे खुद का अनुमान है कि राजस्थान में बावजूद अभी यह जितन लैन्ड रिफार्मस् एक्ट मौजूदा पास हुए हैं, उन सब के बावजूद कम से कम 25 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि सब टिनेन्ट्स हैं और जिनकी जमीनें खुद खातेदार नहीं करते हैं जिसको सब टिनेन्ट्स काश्त करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो लैन्ड रेगुलेशन है कि इतने से ज्यादा लगान नहीं लिया जा सकता है, वह बेकार है। आज उसकी वजह से, सब-टिनेन्ट की वजह से और लगान कितना गुना लिया जा रहा है और जो हमारा रेगुलेशन है वह तो केवल कागज के ऊपर है। हमने जो इस टिनेन्सी एक्ट के अन्दर यह प्रावधान किया है कि बंटाई सिस्टम नहीं होगा, उसको गैर कानूनी करार दिया हुआ है लेकिन बावजूद इसके वह फ्यूडल सिस्टम, वह बंटाई सिस्टम चल रहा है, वह आज भी जारी है। गंगानगर जिले में लोगों को नौकरी लिखवा कर, जो काश्त करते हैं, काश्तकार जो कि टिनेन्टस् हैं, सब टिनेन्ट्स् हैं, उसको पहले काश्त करवाने के पहले, लिखवा लेते हैं कि वह उसका नौकर है, मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है। इसके हिसाब से उन लोगों से काम करवाया जाता है, और करवाया जा रहा है। आज जरूरत यह है कि इस तरह के जो काश्तकार हैं या जो भी वहां पर एक्चुअली काश्तकारी कर रहे हैं, किसी भी रूप में, इस फ्यूडल सिस्टम में जो काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को चाहे उनसे नौकरी नामा लिखवा लिया हो या और किसी तरह से कानून की गिरफ्त से बचने के लिये कार्यवाही करवा रखी हो उन सब को टिनेन्सी राईट्स दे कर उनको बेदखली से मुक्त करवाया जाये, उनको बेदखली से इस सरकार को मुक्त करवाना चाहिये था और इस प्रकार का प्रोविजन इस टिनेन्सी बिल में जो अमेन्डिग बिल के रूप में आप पेश कर रहे हैं, उसमें लाना चाहिये था।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो बिल है उसमें एक बड़ी एनोमली है। सब लेटिंग पांच वर्ष के लिये हो सकता है और अगर पांच वर्ष से ज्यादा सब टिनेन्ट्स कन्टीन्यू कर जाये, सब-लीज कन्टीन्यू करने दिया जाये तो उसमें यह प्रोवीजन है कि उस खातेदार के टिनेन्सी राईट्स खत्म किये जा सकते हैं। लेकिन यह वास्तविकता है कि राजस्थान में इस प्रोवीजन के तहत किसी भी खातेदार के खिलाफ, एक भी मिसाल ऐसी नहीं है जिसमें किसी भी खातेदार के खिलाफ एक्शन लिया गया हो। इस कानून में यह लेकूना है। जो टिनेन्ट्स हैं, सब-टिनेन्ट्स बैठा हुआ है, जो पांच वर्ष से ज्यादा लगातार काश्त करता चला आ रहा है उसका कोई राईट एक्रू हो जाये इस प्रकार का कोई प्रोविजन आपके कानून में नहीं है। दरअसल वर्तमान टिनेन्सी एक्ट जो हमारा है उस टिनेन्सी एक्ट में जिन लोगों को धारा 15 के तहत 15 अक्टूबर, 1955 को ज़मीन पर काबिज होने की वजह से या धारा 19 के तहत एक पर्टिक्यूलर तारीख से 60 तक काबिज होने की वजह से सब टिनेन्ट्स खातेदार बन गये हैं या बना दिये गये किन्तु सन् 60 के बाद चाहे किसी तौर पर वह 10 साल से काश्त करता चला आरहा है और चाहे किसी की लगातार काश्त आज भी कर रहा है इस टिनेन्सी एक्ट के तहत उसको खातेदारी के राइट्स इपसो फ़ेक्टो मिलता हो या किसी भी तरह से मिलने का प्रोवीजन नहीं है। अगर कोई प्रावीजन है तो वह यह है कि यह गवर्नमेन्ट चाहे तो उस खातेदार की ज़मीन को केन्सिल कर सकती है, लेकिन जो उस जमीन पर काश्त कर रहा है यह जमीन केन्सिल हो कर उसको मिल जायगी, वह खातेदार माना जायेगा, इस तरह का कोई प्रावीजन इसमें नहीं है, और चूंकि गवर्नमेन्ट का रुख लेण्ड लार्ड्स की तरफ बड़े बड़े खातेदारों की तरफ, उनकी तरफ ही ज्यादा इम्पलाइड है इसलिए गवर्नमेन्ट लेन्ड लार्ड्स के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है। हमारी केबिनेट के अन्दर यह सब जो मिनिस्टर मौजूद हैं उन सब के पास में इन कानून की अवहेलना के बाद ज्यादा जमीनें ह और वे सब इसके शिकार होते हैं। जितनी भी जमीन है इन लोगों के पास में है। कोई इनमें खुद काश्त करने वाला नहीं है। इसकी चाहे तो फ्यूडल सिस्टम से काश्त करते है और चाहे तो केपिटेलिस्ट सिस्टम से काश्त करते हैं और चाहे वेजेज से काश्त करते हैं और चाहे बंटाई पर देते हैं, परन्तु वे खुद काश्त नहीं करते हैं, और जब खुद काश्त नहीं करते है तो कानून की अवहेलना करते हैं और यह अवहेलना जो उधर ट्रेजरी बैन्चेज पर माननीय सदस्य बैठे हैं वे करते हैं और खुद उनकी पार्टी यह घोषणा करे फ्यूडेलिज्म को खत्म करो की और उनकी ही पार्टी यह घोषणा करने कि वास्तव में हम जमीन का मालिक जमीन के काश्त करने वालों को ही बनायेंगे और जब स्वयं उसकी केबिनेट के अन्दर इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के मन्त्रीगण मौजूद हों जो खुले आम उस जमीन की उस घोषणा की अवहेलना करके जमे बैठे हैं तो मैं समझता हूं कि जो वायदा आप करते हैं वह पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां भी अगर ये लोग उसी प्रकार से चलें जिस प्रकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उड़ीसा में बीजू पटनायक या बिहार के अन्दर महामाया प्रसाद और उसी प्रकार के जो आपके नेता थे इसी प्रकार से कानून पर अमल करते रहे तो जिस प्रकार से उनका हश्र हुआ वह आपको स्पष्ट है, और आपकी पार्टी का जो स्पेल्ट हुआ उसमें वे सब नेता साफ हो गये। वे पुराने पुराने मठाधीश जो इस कानून की अवहेलना करके, गरीबी की बात करके फ्यडेलिज्य को खतम करने की बात करते हैं केपिटेलिज्म की बात को खतम करने की बात करते हैं, सोशियेलिज्म की बात करते थे आज जनता ने उनको उखाड़ फैंका है। उसको बदकिस्मती कहूंगा लेकिन यहां पर वही मठाधीश है, कोई अलग नहीं हुए हैं। वोट के लिये इन्दिरा गान्धी का नाम और अमल के लिये वही स्वतन्त्र पार्टी के मसानी का नाम। इसी प्रकार अमल के लिये वही अटलजी का नाम और घोषणा के लिए जवाहरलाल और इन्दिरा का नाम। हम भी समाजवादी हैं इस प्रकार की बात कहें आज यह स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय।

इस तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्थिति राजस्थान में जो सबलेटिंग की पांच वर्ष से ज्यादा की हो रही है वह बहुत बड़ा पैमाना है। मैं यह चाहूंगा, यह सम्भव तो नहीं है लेकिन यह होशियारी बरतने लगेंगे। किसी एक ही आदमी से काश्त 6 साल तक करवाना है तो उसका खसरा नं० बदल देंगे या सब-टिनेन्सी ही बदल देंगे और अमेन्डमेन्ट करके, सुधार करके नहीं, सब-टिनेन्सी उसका नाम ही उड़ा दिया। हरिजन काश्त करता था, या कोई भूमिहीन काश्त करता था उसका नाम ही अब खसरा-नम्बर में नहीं रखा जायगा उसके नाम का इन्द्राज भी किसी तरह का नहीं रहने देंगे। अब तो वह भूमि महन्तों के नाम, पूंजीपतियों के नाम, जागीरदारों के नाम की रहेगी, हरिजनों और भूमिहीनों के नाम की कोई जमीन ही नहीं रहेगी। अब तो वह यह भी कह सकता है कि मैं ही लगातार काश्त करता आ रहा हूं। शिकमी काश्तकार काश्त करता है और पैसे जमा होते हैं खातेदार के नाम से। पैसे जमा कराता है शिकमी काश्तकार और पैसे जमा होते हैं खातेदार के नाम से। यह सब सरकार की जानकारी में है। यह सब मिनिस्टरों को जानकारी में है। और यदि सही कहा जाय तो ये अपनी जमीन का भी इसी प्रकार कर रहे हैं इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आज हम नई स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के अन्दर मध्यावधि चुनावों के अन्दर एक बहुत बड़े रिएक्शनरी फोर्स को हराया है। आज जनता ने परिवर्तन के लिये वोट दिया है, भूमि-सुधारों के लिये वोट दिया है और वह केवल कांग्रेस तक ही सीमित हो यह बात नहीं है कांग्रेस के बाहर भी जो लोग भूमि सुधारों में विश्वास रखते हैं उन लोगों ने भी एकता-बद्ध होकर रिऐक्शनरीज को हराया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज इस सदन में चाहे किधर भी बैठने वाले हों हम सबका फर्ज हो जाता है कि जनता की रक्षा करें। जो भूमि सुधारों के दृष्टिकोण को लेकर बढ़ रहे हैं उस काम को पूरा करें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने राजाओं की जमीन को अधिग्रहण करने के लिये सन् 64 में कानून बनाया और उस सन् 64 के कानून बनाने के बाद उस पर अमल नहीं किया । रूल्स बन जाने के बाद किसी भी राजा की एक भी बीघा जमीन अधिग्रहण नहीं की। मैंने बार बार इस सदन में इस प्रश्न को उठाया है और राज्य सरकार की ओर से उत्तर मिला है उच्च न्यायालय में उसमें रिट पिटीशन कुछ राजाओं ने की है और उच्च न्यायालय ने उसको स्टे दिया है। मेरा यह कहना है कि राजस्थान में 22 रजवाड़े हैं। 22 के 22 राजाओं ने रिट पिटिशन नहीं की । रिट पिटिशन केवल 8 लोगों ने की है। 8 राजाओं को ही इण्डिविजुअल कैपेसिटी में स्टे मिला होगा तो उन 14 राजाओं की क्यों नहीं की? अभी सीलिंग के बारे में भी रिट पिटिशन की गई है वहां भी स्टे हुआ है और गवर्नमेन्ट ने बताया दो केसेज में स्टे हुआ है और वह स्टे इण्डिविजुअल में हुआ है और केसेज में कर रहे हैं । मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं यह सही दृष्टिकोण है लेकिन इसी बात को आप राजाओं पर लागू क्यों नहीं करते हैं ? क्या 22 के 22 राजाओं को हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है । क्या हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया है वह सब राजाओं के लिये दिया है । हर एक की रिट पिटीशन इन्डिविजुअल कैपेसिटी में है उसमें स्टे दिया है, लेकिन सिवाय इसके कि राजाओं के लिये आपके कुछ लोगों में सॉफ्ट कॉर्नर है। आप उनसे पोलिटिकल सेटिलमेन्ट करना चाहते हैं, आप उनसे पोलिटिकल समझौते करना चाहते हैं । राजस्थान का लैण्ड रिफॉर्म जो होना चाहिये उसको सबोटेज करना चाहते हैं। उनके लिये आप चुपचाप हैं और आपकी यही नीति रही है। इन मध्यावधि चुनावों के अन्दर महाराणा उदयपुर के साथ आखिरी वक्त तक पोलिटिकल सेटिलमेन्ट करने की आपकी कोशिश रही है, आखिरी वक्त तक उनके सामने हाथ जोड़ते रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कुछ शरारती लोग हैं जो हमारे मेवाड़ की एकता को तोड़ना चाहते हैं। जयपुर के राजा एक तरफ, जोधपुर के राजा एक तरफ, अलवर के राजा एक तरफ लेकिन राजस्थान में एक अनोखी बात है कि मेवाड़ में एकता नहीं टूटनी चाहिये और यह एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन कांग्रेस के नेताओं द्वारा मानी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आज अगर कांग्रेस की डिफीट हुई है तो वह उदयपुर डिविजन में उस फ्यूडलिज्म के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस कोई कदम नहीं उठाना चाहती, वहां के कांग्रेस लीडरशिप ने फ्यूडेलिज्म से समझौता किया है। यह सब आम जनता के खिलाफ है। आप में कनफ्रन्टेशन करने की हिम्मत नहीं है। आप हमेशा फ्यूडलिज्म से समझौता करके चलते रहे हैं, उनको रियायतें देकर चलते रहे हैं। यही कारण है कि आज राजस्थान की जनता ने बिड़ला, टाटा, सोमानी, तापड़िया को हरा दिया और यही राजस्थान की जनता इन राजाओं को नहीं हरा सकी—भरतपुर के इलाके के अलावा। राजाओं को जनता बहुत पसन्द करती हो आज यह बात नहीं रही है लेकिन आपका......

श्री मदनसिंह : राजा लोग जातिवाद तो नहीं फैलाते हैं लेकिन आप तो जातिवाद के आधार पर अग्रवाल अग्रवाल को......

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं ठाकुर साहब अपने ही चश्में से हरेक को देखने की कोशिश न करें। पता नहीं उनकी समझ की कमी है या क्या मेरी बात को ठीक प्रकार सुन नहीं पाये जाति भाई हो या गैर जाति भाई हो हम कम्युनिस्टों के लिये दो ही जातियां हैं एक अमीर और एक गरीब। हम हमेशा शोषक वर्ग के खिलाफ रहते हैं चाहे वह ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, जाट हो, राजपूत हो कोई भी जाति का ही कम्युनिस्ट पार्टी शोषक वर्गों के खिलाफ जनता को संगठित करके उनके खिलाफ संघर्ष करती रही है। मगर आज किसी को सबसे बड़ी खुशी हुई है तो वह कम्युनिस्ट पार्टी को हुई है कि इस चुनाव में बिड़ला, टाटा, सिंघानिया, तापड़िया, सोमानी आदि हरा दिये गये हैं। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खुशी कम्युनिस्ट पार्टी को हुई है और मैं कहता हूं खुशी ही नहीं बल्कि हमने जी तोड़कर कोशिश की है और यह बात किसी से छिपी हुई भी नहीं है कि जयपुर की राजमाता के लिये कांग्रेस के लीडरों ने, कांग्रेस के मिनिस्टरों ने साथ दिया और पी० के० चौधरी के साथ सेबोटेज किया। उनका साथ नहीं दिया। रानी का साथ दिया गया। मुझे यहां तक बताया गया है कि कांग्रेस के आदमियों ने ही कांग्रेस की पर्चियां नहीं दीं। जो पर्चियां बांटने के लिये कांग्रेस के नताओं को दी गई थीं उसे बांटो तक नहीं। कांग्रेस की पार्टी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी प्रगतिशील पार्टी ने ही रिऐक्शनरीज को हराया। इस पार्टी को आशंका थी कि कहीं रिऐक्शनरीज का कब्जा न हो जाय इसलिये हमने महारानी गायत्री देवी को हराने की कोशिश की, तापड़िया को हराने में मदद दी, जोधपुर की राजमाता को हराने में मदद दी, सोमानी और बिड़ला को हराने में सक्रिय रहे। हमने इन तमाम को हराने की कोशिश की थी।

मेरा यह कहना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि टेनेन्सी एक्ट के अन्दर जो संशोधन करने के लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की तरफ से सुझाव दिये जा रहे हैं जिनके बारे में घोषणा की जा रही है और डराया जा रहा है, जिनको छिपाया जा रहा है बारबार उसका कारण और उसकी वजह कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप है। मैं तमाम कांग्रेसजन के लिए नहीं कहता। मैं जानता हूं कि कांग्रेसजन जो बैठे हैं उनमें से बहुत से लोग तड़फते हैं, उतावले हैं लेकिन जब तक राजस्थान में कांग्रेस की सिन्डीकेट खत्म नहीं होगी- हिन्दुस्तान से तो सिन्डीकेट खत्म हो गयी लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की सिन्डीकेट अभी खत्म नहीं हुई है, अगर यहां के कांग्रेसजन नयी कांग्रेस कायम करना चाहते हैं तो पुराने कांग्रेसी जो आगे की बैंचों पर बैठे हैं उन्हें उस सिन्डीकेट को खत्म करना होगा। वास्तविक लोग बदलाव चाहते हैं। केवल घोषणाओं के जरिये या बातें कह कर आखों में धूल धोंकने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह से 71 के चुनावों में जो अजीब चुनावों के फल नजर आये हैं 72 में भी इसी तरह से लोगों को 420 तरीकों से चलाने की कोशिश की तो उसके उल्टे ही नतीजे निकलेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहते हैं राजाओं के प्रिवीपर्स खत्म करने की बात है और फिर आप कहते हैं कि हम इसको इम्पलीमेंट करेंगे, आप कहते हैं कि हम सीलिंग लगायेंगे प्रापर्टी पर- मैं कहता हूं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एग्रीकल्चरल लैण्ड के संबंध में, भूमिनुधारों के संबंध में मैं चार्ज लगाता हूं, इल्जाम लगाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस गवर्नमेंट पर कि जानबूझकर वह दिखावे के लिए और कानून स्टेचूट बुक कर पर ला दिया और नीयत नहीं है उस पर अमल करने की, और उसका सबूत यह है कि लम्बे अर्से तक आप अदालतों में नहीं गये। सालों में पेशीदरपेशी लगती गयी। गवर्नमेंट से मैं यह मांग करूंगा की अभी वह घोषणा करे इस बात की कि केवल 8 राजाओं पर जिनका हाई कोर्ट में स्टे है 64 के कानून के मुताबिक बाकी के राजाओं पर उसका अमल किया जायेगा और जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि अभी इस टेनेन्सी एक्ट के अन्दर जो चेप्टर तीन है जिसका ताल्लुक सीलिंग से है उसके बारे में माननीय मंत्रीजी अभी वक्तव्य दे रहे थे। पिछले सदन में नवम्बर के महीने में जब इस प्रश्न को उठाया गया तो माननीय मंत्रीजी ने यह कहा था कि पहले काम के लिए बहुत ढीलढाल रही इसका उनको भी खेद है और ऐसा लगा कि क्योंकि उस काम को वह नहीं संभाल रहे थे और जो बहुत ढीलढाल चली अब उस ढीलढाल को आगे नहीं चलने देंगे। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपकी रफ्तार वही मालूम पड़ता है और वही रफ्तार मालूम पड़ कर उस सीलिंग कानून म जो अमेन्डमेंट्स किये अगस्त के महीने में, जो इल्लीगल ट्रान्सफर्स थे उनको वेलीडेट कराने में ज्यादा इन्ट्रेस्टेड थे। आपके नेताओं की बात थी। आपका प्रशासनिक अमल इस बात को जाहिर करता है। गंगानगर जिले में बड़ा सेक्शन जो आपके साथ है उसको सेटिसफाई करने के लिए आप इन इल्लीगल ट्रान्सफर्स को वेलिडेट कराने में ज्यादा इन्ट्रेस्टड रहे हैं बजाय इसके कि जो उसमें एक्जम्पशन्स आपने खत्म किये उन एक्जम्प्शन्स के जरिये जो ज्यादा जमीन आपको मिल सकती है उसके अधिगृहण करने में आप कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, आप कोई इच्छा उसके लिए नहीं दिखा रहे हैं। अभी जो आंकड़े आपने पेश किये वह तो आप मैं कहना चाहता हूं कि विरोधियों के हाथों में खेल रहे हैं जो कि दिखावे के लिए बारबार प्रस्ताव रखकर, बारबार मोशन रख कर एक इमेज बनाना चाहते हैं कि सीलिंग के लिए लड़ रहे हैं। दरसल उनकी नीयत क्या है? कहते थे कि पहाड़ खोदेंगे, हम कहते थे कि इस पहाड़ में कुछ नहीं है चुहिया है। देखो दस वर्ष के बाद हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया और निकली चुहिया। देखो कितने नालायक और बेवकूफ हैं और भूमि का सीलिंग लगा दिया इसी तरह से शहरी सीलिंग लागू करके बेवकूफी मत करना। यह है भाषा राजनीति में कई तरह के पैंतरें अपनाये जाते हैं। इसको जनता समझती है लेकिन आप उनकी ताल में ताल मिला रहे हैं......

श्री विजयसिंह: राजनीति में कई तरह के पैंतरे अपनाये जाते हैं तभी आपने इन्दिराजी को समर्थन दिया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हमने तो नीति का समर्थन किया....

श्री मदनसिंह: इन्दिराजी की सही नीति थी और उसका कम्युनिस्टों ने साथ दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह इन्दिरा जी का समर्थन नहीं है वह आप जैसी रीएक्शनरी फोर्सेस और फासिस्ट फोर्सेस देश की हुकूमत हाथ में नहीं ले ले इस बात का प्रोटेक्टिव कदम है । वहुत क्लियर है....

श्री विजयसिंह : हमारे और आपमें अन्तर इतना है कि हम उनका विरोध करतें हैं और आप सपोर्ट करते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि हर बात की जो इन्दिरा जी कहे उसका विरोध ही करूं और न इस बात का कायल हूं कि उनकी हर बातों का समर्थन हीं करूं। मेहनतकश जनता के हित में हर इश्यू को मैं मैरिट्स से डिसाइड करता हूं और उसकी बुनियाद पर हमारी पार्टी की नीति तय होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहकर टिनेन्सी कानून और उसमें क्या संशोधन होने चाहिए उस तक सीमित रहकर यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सीलिंग बिल में जो कि इस टिनेन्सी एक्ट का हिस्सा है उसमें जिस तरह से आप अमल कर रहे हैं, आपकी निगाह उन लोगों पर नहीं है कि जिन लोगों ने डेलीबरेटली इस कानून का उल्लंघन करने के लिए, इस कानून को डिफीट करने के लिए फिक्टिशस पार्टीशन्स किये हैं, फिक्टिशस ट्रान्सफर्स किये हैं। अगर आप ईमानदारी से फालतू जमीन को लेना चाहते हैं तो आपकी उन पर नजर होनी चाहिए। आपको इस प्रकार का ट्रिब्यूनल बैठाना चाहिए और उस पर जनता की पापुलर कमेटी का सहयोग लेना चाहिए जो कि आपको हर जिले में और आपको हर गांव में यह बता सके कि यह गांव है और इसमें एक ठाकूर साहब हैं इनके 4 लड़के हैं और इनके पास हजार बीघा जमीन है। काश्त एक ही जगह हो रही है लेकिन जमीन को अलग अलग नाम से दर्ज करवा रखी है और असल में फार्म एक ही है, इस बात को बताया जा सकता है । ऐसी जगहें जयपुर में भी हैं और जगहों पर भी हैं वह चौधरी साहब की और हर तरह के लोगों की है, उसमें कोई जाति से ताल्लुक नहीं है। लोगों ने इस तरह से डिफीट करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाये हैं। अगर आप ऐसे लोगों की पकड़ कर जमीन निकालने की कोशिश करेंगे और नम्बर दो इन राजावादी कदमों को उठाये क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि राजा लोग इस सीलिंग से बचने के लिए जमीन को धड़ाधड़ बेच रहे हैं । आपने खबर पढ़ी होगी और जनसंघ के माननीय सदस्य सुन लें कि कोटा के महाराजा लगातार धड़ाधड़ जमीन को बेच रहे हैं। मैं माननीय जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों से कहूंगा, कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह संघर्ष निर्माण करें वहां पर कोटा महाराजा के खिलाफ जो सीलिंग कानूनों की अवहेलना करने के लिए जमीन बेच रहे हैं और मैं समझता हूं यह इस सरकार का निकम्मापन है. .....

(1.28 म०प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

श्री देवीदत्त गाड़िया : रूस ने जिस समय चकोस्लेवाकिया पर इस तरह का नरसंहार किया था उस समय भारतीय जनसंघ की पहली मांग थी कि इस तरह से चकोस्लेवाकियों की आजादी के ऊपर रूस इतना अन्याय कर रहा है और देश के अन्दर हर पार्टी ने आवाज उठाई लेकिन आपकी पार्टी जो कि रूस की गुलाम है वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी । इसी तरह से जब चीन ने भारत पर आक्रमण

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

किया उस समय भारत की हर पार्टी ने कहा कि चीन आक्रमणकारी है लेकिन जिस हिन्दुस्तान का अन्न खाते हैं वही कम्युनिस्ट पार्टी और आपकी हिम्मत नहीं हो सकी कि यह कह सके कि चीन आक्रमणकारी है। क्योंकि आप तो वही करेंगे जो रूस कहता है, आप तो वही करेंगे जो चीन कहता है और स्वयं का दिमाग तो रखते नहीं हैं ...

हमारी नीति और हमारे विचार स्पष्ट हैं। आप रूस और चीन के इशारे पर चलते हैं।

श्री मदनसिंह : आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदया, यह टिनेन्सी एक्ट का मामला है और माननीय सदस्य ने एक सही बात कोटा के लिए कह दी, तो जनसंघ के माननीय सदस्य द्वारा रूस और चीन की बात कहने का क्या सवाल है ? इस प्रकार सभा नहीं चलती है। कोई प्रगतिशील कदम की बात कह रहे हैं, वह सत्य है तो सत्य समझी जानी चाहिए; सत्य की जांच करनी चाहिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ठाकुर साहब प्रगतिशील हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ठाकुर साहब नीति की समझ चाहिए । कभी इधर, कभी उधर, जिधर बजे भोंपू उधर चले जायं– इससे मैं सहमत नहीं हूं । रामानन्दजी ने जो कहा उसका उत्तर मैंने दे दिया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रामानन्दजी के डर की वजह से इनके साथ हो गये ।

श्री मदनसिंह : मैं इनसे तब डरता जब इनसे ज्यादा सम्पत्ति मेरे पास होती । मेरे पास तो धोती और कमीज के अलावा कुछ नहीं है । सच बात कहते हैं इसलिए कहा ।

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य, धड़ाधड़ पेट्रोल बेच सकते हैं तो माननीय राजा जमीन क्यों नहीं बच सकते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, माननीय सदस्य को पेट्रोल की बिक्री से बड़ी दिक्कत है । उनको पेट्रोल के बिकने से दिक्कत हो रही है । उनकी पार्टी के प्रोग्राम में हो उसको बन्द करने का तो वह उस मामले में आ जायें मैं निराश नहीं करूंगा ।

सभानेत्रीजी, मैं निवेदन कर रहा था. . .

श्री बालसिंह सोढा : आप तो बड़ उदार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार रिएक्ट किया उससे ऐसा लगता है कि बात में सच्चाई है, मानें या न मानें। आपकी पहली नीति थी, आप सीलिंग लिमिट को बढ़ाना चाहते थे । अगर आपका ख्याल वही है, जो पुराना था, कि मौजूद 30 स्टैन्डर्ड एकड़ बहुत कम है, कम से कम 90 स्टेन्डर्ड एकड़ होना चाहिए – वह भी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। वह नीति भी चुनाव में हारने के बाद में बदल गई...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप तो जीत गयें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने आर्गेनाइजर पेपर में एडीटोरियल पढा, उसमें लिखा है कि कांग्रेस स्टन्ट खल रही है, इसलिए अपनी पार्टी को कामयाब होना चाहिए तो सुपर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्टन्ट खेलना चाहिए । अगर कांग्रेस पांच हजार कहती है तो जनसंघ को एक लाख कहना चाहिए और कांग्रेस के पीछे नहीं रहना चाहिए । इस प्रकार से नीति में परिवर्तन माननीय सदस्य की पार्टी ने किया है तो मुझे कुछ नहीं कहना । उन्होंने अभी स्टन्ट की पॉलिटिक्स को खेल कर देखा है और अभी 35 के बजाय 23 आये हैं । और अब भी स्टन्ट की पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे तो इसका नतीजा भविष्य बतायेगा......

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने कांग्रेस का सहारा पकड़ा है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपको गली गली में पकड़ पकड़ कर सीधा करेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अलवर में अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में कम वोट मिले हैं । इससे आपका पता लगता है । आपको कम वोट मिले हैं । इससे आपकी प्रगतिशीलता का पता लगता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आज यह तथ्य है, सब राजा लोग धड़ा धड़ जमीन बेच रहे हैं, आपके स्टे ऑर्डर का फायदा उठा रहे हैं, एक तरफ आपकी स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर रहे हैं, वह अलग बात है, वह माथुर साहब से ताल्लुक रखने वाली है, चाहे बीकानेर के महाराजा हों, चाहे दूसरे लोग हों– वह दूसरी कहानी है, लेकिन उनके द्वारा आपके भूमि सुधारों की पीठ पर छुरा भोंका जा रहा है । आज मेवाड़ की एकता टूट गई है उस लिहाज से मेवाड़ के महाराणा अपनी जमीन बेच रहे हैं । उनको नाजायज तरीके की रियायत दी जा रही है । पिछोला झील पर जिस प्रकार रियायत बरती गई, मैं समझता हूं, वह रियायत खत्म होनी चाहिए । अगर कांग्रेस के लोग, जो सामान्य कांग्रेसजन हैं, जो वास्तव में भूमिहीन हैं, उनसे मैं कहता हूं कि अगर यह प्लेज आपको पूरा करवाना है, राजस्थान में जमीन के बंटवारे का तो यह कदम हमको लाजिमी तौर से उठाना पड़ेगा । सभानेत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है कि जो भी इस बात का दोषी है, कहीं पर भी जमीन हो, जो लोग काश्त करने वाले नहीं हैं, चाहे मिनिस्टर साहबान हों, चाहे एम० एल० ए० साहबान हों ......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका यह ख्याल जो है कि सरकार जमीन बांटना चाहती है तो यह ख्याल गलत है । यह सरकार नहीं चाहती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात कुछ अंशों में, पार्शली सही है । मैं मानता हूं, गुप्ता की बात में कुछ अंश सही है लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती है, कुछ स्टन्ट खेलना चाहते हैं, कुछ सुपर स्टन्ट खेलना चाहते हैं, कुछ ईमानदारी से काम करना चाहते हैं । मैं कांग्रेस को धर्मशाला मानता हूं, कांग्रेस में हर प्रकार के मुसाफिर ठहरते हैं । सभानेत्रीजी, म निवेदन कर रहा था, सीलिंग .....

श्री विजयसिंह : धर्मशाला नहीं, पाप शाला है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीलिंग कानून को लागू करने के लिए एक तो आपकी निगाह उन लोगों की तरफ होनी चाहिए जिन्होंने कि पॉसिबली लॉ को डिफीट करने के लिए ट्रान्सफर और पार्टिशन किये हैं । यह न आपको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एस० डी० ओ० की रिपोर्ट से मिलने वाला है, न खुद इस कानून के तहत रिटर्न पेश करने वाला है। यह तो कार्यकर्त्ता लोगों के करने का काम है। आपकी पार्टी में भी हरएक आदमी करने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने इस लॉ को डिफीट किया है, इसलिए उनसे उम्मीद करें तो गलत है। इसलिए खास तौर से हरिजन कार्यकर्त्ता, खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स के कार्यकर्त्ता, खास तौर से लैंड रिफार्म्स समाजवाद म विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस बात के लिए प्रयत्न शील होना चाहिए और गवर्नमेंट को इस प्रकार का ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए जिसके अन्दर इस तरह के लोग एसोशियेटेड हों, ताकि वह इस भूमि की चोरी को रोक सकें, उनको अनअर्थ कर सकें। इस तरह से सीलिंग से ज्यादा भूमि का पता लग सकता है। नम्बर एक। नम्बर दो, आपने इस कानून में दिया है कि स्टे हाई कोर्ट से हुआ है, उसके तहत 14 राजाओं के खिलाफ कोई स्टे नहीं है, उस स्टे को फौरन खत्म करके उनकी जमीन को इमीजियेटली अधिग्रहण कर लीजिये। नम्बर 3, जो सेल कर रहे है लगातार, राजा लोग उस सेल के ऊपर किसी किस्म की आप रूकावट करने की कोशिश कीजिय क्योंकि आपके सीलिंग कानून के अन्दर, टिनेन्सी एक्ट के अन्दर कहा हुआ है कि जो भी सेल करने के लिए की जायगी, लॉ को डिफीट करने के लिए उसको नल एण्ड वोयड माना जायगा, आप जनता में इसका प्रचार करके, आप अपने पेम्फलेट निकाल कर घोषणा करके यह कह सकते हैं कि कुछ राजाओं के ऊपर सीलिंग लागू है, जो कानून बना है, वह सीलिंग कानून लागू होगा, उनकी जमीन सीलिंग म ली जायगी, और कुछ राजा लोग इस लॉ को डिफीट करने के लिए अपनी जमीन को बेच रहे हैं तो जो भी खरीदे वह होशियार रहे, ऐसी सेल लीगल नहीं इल्लिगल हो जायगी। आप इस तरह कर सकते हैं, और आप दूसरे लीगल तरीके ले सकते हैं जिसके जरिये इन सेल को रोका जा सकता हो वरना फिर जिस तरह से भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर कुम्भाराम जी ने कहा था, हाथी निकल गया, पूछ पकड़ना चाहते हैं। क्या फिर उसी रूप में बात पेश करना चाहते हैं रामकिशोर जी कि हाई कोर्ट ने हाथी को निकाल दिया, अकेले पूछ को क्या पकड़े। इससे काम चलेगा नहीं, सभानेत्री जी, इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि कॉम्प्रीहेन्सिव टिनेन्सी बिल आप लायें, और उसके अन्दर उन तमाम आप अपनी घोषणाओं को भी इनकार्पोरेट करें जो आपकी पार्टी ने, जो आपने प्लेज किया है इलेक्शन में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन के निर्देश हैं, जिसने बराबर माना है कि इन रिटेलिटी कोई भी किसी किस्म का इन्टरमीडियरी जमीन पर नहीं रहना चाहिए, टिलर आफ सॉइल और सरकार के बीच में न रहे। आज जो केपिटलिस्ट, फयूडेलिस्ट काश्तकार, खुदकाश्त जागीरदार के रूप में, किसी प्रकार के इन्टरमीडियरी मौजूद हैं, इन को लीगली एबॉलिश करने की जरूरत हैं। नंबर दो, आप उन तमाम जमीनों का बंटवारा कराने के लिये सीलिंग कानून का कड़ाई से लागू करके और फालतू जमीन को निकालें। नंबर तीन, इसी एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान लायें जिसमें ऑटोमेटिक लोगों को दो वर्ष की काश्त पर खातेदारी हक मिल जायें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ताकि व्यापक रूप में इस्तेमाल न हो सके। नम्बर 4, जो इमीजिएटली आप कर सकते हैं जो टिनेन्सी का इंद्राज जिनको ख़त्म कर दिया लैंडलेस को फायदा देने के बहाने और पटवारियों की रिश्वतखोरी बढ़ाई, उसको बंद करें ताकि सही तरीके से इंद्राज हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जनता की राय जाननी चाहिये और उसके बाद ही नया बिल पेश होना चाहिये।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमन्डी): सभानेत्री महोदया, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में जो संशोधन आया है सेक्शन 53 और 54 में, उस बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह जो क्लॉज मूल एक्ट में रखा गया, उसके पीछे जो मेन कारण था वह फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का उससे उत्पादन में कमी आती है। यह सही है कि सक्सेशन और पार्टीशन परिवार के सदस्यों के बीच में न्याय की दृष्टि से आवश्यक है लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर आपका उद्देश्य खेती को वास्तव म बढ़ावा देना है तो जिस तरह से अपर सीलिंग फिक्स की गई है उस तरह से लोवर सीलिंग का भी रखा जाना उत्पादन की दृष्टि से ज़रूरी है।

भावना में बहकर और नारे लगाकर और जनता को खुश करने की दृष्टि से लेजिस्लेशन लाने से हो सकता है कि आपको वोट मिल सकते हैं लेकिन जो आपकी संशोधन की भावना अगर उत्पादन की दृष्टि से है तो मेरा निवेदन है कि जितनी स्माल होल्डिंग्स होंगी, अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स होंगी, उसका नतीजा आखिर उत्पादन पर पड़ेगा और डिवीजन के बाद में अगर वह आदमी परिवार के लेबर को, बैलों की जोड़ी को, इम्पलीमेंट्स को फुल्ली यूटीलाइज नहीं कर सकता और अगर वह यनिट इतना छोटा हो जाता है कि उसके कारण से एग्रीकल्चर एक्सपेंसिव होने लगता है तो इस तरह की फ्रगमेंटेड होल्डिंग्स से आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा और अल्टीमेटली अगर खेती को बढ़ावा देना है तो यह तो आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग या कम्पलसरी बड़े फार्म्स बनाकर करना पड़ेगा। आप जो हाफ हार्टेड मेजर्स लाए हैं कि फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स फर्दर फ्रेगमेंट की जाय और छोटे छोटे यूनिटों का एक एक बीघा और आधा आधा बीघा करके आप बांटना चाहते हैं तो खेती की दृष्टि से यह व्यवहारिक नहीं होगा। आज कोटा में जिन छोटे 2 काश्तकारों को चंबल कमांड एरिया में जमीनें मिली हैं आप वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी से पूछ सकते हैं जिन आदमियों को खेती का अनुभव है उनसे पूछ सकते हैं कि एलॉटमेंट के बाद 5-5 बीघे की सिंचित भूमि पर काश्तकार अपने परिवार के साथ काश्त नहीं करके और उन्हीं बड़े काश्तकारों को जिनके पास किसी तरह के साधन हैं, सामान है, उनको बड़े दामों पर देकर उनसे काश्त करवा रहा है और हमारे सदस्यों की भाषा में शायद वह सही हो सकता है लेकिन जिस चीज को आप देखना चाहते हैं कि बड़े काश्तकार नहीं रहें, आप कानून में शायद आप हटा देंगे लेकिन इन इकोनॉमिक परिस्थितियों की वजह से वही बड़ा काश्तकार जो बेटर इक्विप्ड है मेकेनाइज्ड साधनों की वजह से या किन्हीं और कारणों से, छोटे काश्तकारों के छोटे छोटे यनिट्स उनको अवेलबल हुए हैं, आज के दिन आप देख

(श्री जुझारसिंह)

सकते हैं चंबल ऐसा क्षेत्र है राजस्थान केनाल में जो दूसरा कैन्लाइज्ड एरिया है उनमें मुरब्बों के हिसाब से जमीन बांटी है, इस क्षेत्र में पहले से खातेदारी राइट्स थे और पहले से मुरब्बों में साइन्टिफिक बसिज पर डिवाइडड एरिया नहीं था। इसमें छोटे और बड़े किसान सभी थे। तो वहां की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए और अनुभव का अंदाज लगाकर फिर इस लेजिस्लेशन को लायेंगे तो वह व्यवहारिक चीज होगी। हो सकता है, यह अध्यादेश चुनाव के समय जारी किया था और इसके पीछे मेरी समझ में कोई प्रेक्टिकल एस्पेक्ट नहीं था लेकिन लोगों को खुश करने के लिहाज से और वोट लेने की भावना से लगाया था और जिस समय यह एक्ट बना था उस समय भी इस तरह के प्रश्न आए थे। मैंने कई बार कहा है कि एक छोटा यूनिट जिसमें, कम से कम एक बैल की जोड़ी और एक परिवार का लेबर का अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है, जब तक यह यूनिट कायम नहीं करेंगे तब तक कृषि को बढावा नहीं मिलेगा। मेरा यह मकसद नहीं है कि छोटे आदमियों को जमीन न मिले लेकिन पिछले 22 वर्षों के इतिहास को उठाकर देखें तो सही फिगर तो मैं नहीं दे सकता लेकिन करीब करीब सही फीगर के हिसाब से राजस्थान के निर्माण के समय 241 लाख एकड़ का रकबा काश्त होता था और 1966 में जो जानकारी सदस्यों को वितरित की गई है उसके हिसाब से 500 लाख एकड़ का रकबा काश्त हो रहा है और उसमें सरकार ने बताया है कि इतना बड़ा रकबा जो राजस्थान निर्माण के समय के रकबे से डबल होता है उसको रिलीज करने के बाद जो भूमिहीन काश्तकार है, जो शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, सैनिक हैं, उनको केवल 37 लाख एकड़ उपलब्ध कराई गई है और 263 लाख एकड़ की एक्सेस भूमि जो सरकार ने रिलीज की है वह ऐसे आदमियों को की है जिनका खेती से कोई संबंध नहीं था या जो शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राईब्स के नहीं तो सरकार का उद्देश्य अगर यह है कि छोटे काश्तकारों को वह किस तरह से तरक्की देना चाहती है और जमीन देना चाहते हो तो जो जमीन पड़ी है उसमें से 263 लाख एकड़ भूमि उन सैनिकों को शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को न देकर नेता लोगों को दे दी, ग्रो मोर फूड के नाम से रिलीज की। राजस्व मंत्री अगर वास्तव में इस चीज की जानकारी चाहते हैं तो आप देखें कि इन 22 वर्षों के समय में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको ज्यादा जमीन मिली है, क्या यह खेती की दृष्टि से या सामाजिक न्याय की दृष्टि से योग्य था ?

आपकी सरकार मेरे ख्याल से करीब करीब कोमा में ऑपरेट हो रही है। कभी कभी होश आता है तो स्टेप्स लेते हैं। आप 1961 से रेग्यूलरली ट्रेसपासर्स का नियमन करते जा रहे हैं। और आपने बड़ा दिल बताकर इसको प्रोग्रेसिव स्टेप बताया है। आपने कभी सोचा है कि ट्रेसपासर्स किस तबके के लोग होते हैं? क्या वह शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स या भूमिहीन तबके का होता है ? ज्यादातर ट्रेसपासर्स वह आदमी हैं जो आपकी सरकारी मशीनरी की कनाइवेंस से, जो गांव का दादा होता है, जो मनमानी करता है, उस तरह के तबके ने जगह जगह ट्रेसपास किया है और आपकी जो उनको रेग्यूलराइजेशन करन की नीति है वह आपकी एलॉटमेंट की नीति को डिफीट करने की बात है। अगर आप

(श्री जुझारसिंह)
भूमिहीनों को जमीन देना चहते हैं तो जब तक ट्रेसपासर्स का नियमन बंद नहीं करेंगे तब तक यह साफ नहीं होंगे लेकिन आउट ऑफ वीकनेस, लेक ऑफ पोलिसी हर साल आपने इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया है और इससे जमीन अनडिजर्विंग आदमी के हाथ में चली गई है। इसलिये फ्रेगमेंटेशन के क्लॉज के बजाय इस तरह जोड़े कि जो फ्रेग्मेंटेड होल्डिंग्स के लोग हैं। उनका ट्रेस्पासिंग रेग्यूलराइज हो जाय लेकिन बड़े काश्तकार का और दूसरे जो साधन सम्पन्न हैं उन्होंने जो ट्रेसपास किया है उनको आपको एलाऊ नहीं करना चाहिये।

सभापति महोदया, इस टिनेन्सी एक्ट से जहां तक संबंध है मेरा इतना ही निवेदन है।

सभापति महोदया, एक प्रसंग आ गया है। कोटा के लिए माननीय रामानन्दजी ने एक रेफरेन्स किया। चूंकि मैं कोटा से आया हूं और माननीय रामानन्दजी ने एक न्यूज आइटम को रेफर किया था उसकी जानकारी मैंने की। मैं यह कह सकता हूं कि यहां खड़े होकर कोई बात कहने का प्रिविलेज हो सकता है लेकिन बिना जानकारी किये यह कह देना कि कोटा हिज हाईनैस सीलिंग के कानून को डिफीट करने के लिये अपनी जमीनें बेच रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि कोटा महाराजा ने जिन पर सीलिंग कानून लगता हो उसमें से एक बीघा जमीन भी नहीं बेची है। कानून के अन्तर्गत जो बेचने का हक दिया है, ऐसी प्रोपरटीज जो आपके सीलिंग एक्ट और टिनेन्सी एक्ट के तहत नहीं आती हैं उनको बेचने के बारे में सब आदमियों को हक है और वह बेच सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी लैंड है वह अखबारों में आयी।

श्री जुझारसिंह : मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वह एग्रीकल्चर लड नहीं है। अखबारों में न्यूज आयी होगी। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को चैलेन्ज करके कहता हूं कि आप इसकी जांच करवा लीजिए। गवर्नमेन्ट की ओर से इशारा होता है और माननीय मेम्बर यहां टौंटिंग वे में एटरन्डम अपनी पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार की अनगल बातें कहते हैं। आप इसकी जांच कराइये कि कोटा हिज हाईनैस ने टिनेन्सी कानून को और सीलिंग के कानून को डिफीट करने के लिए कानून के बाहर कोई जमीन बेची है। नितांत इस प्रकार के आरोप यहां पर लगाये जाते हैं यह बिलकुल झूठ है। यहां पर टौंटिंग वे के अन्दर जो आदमी यहां पर हाजिर नहीं हैं उनके लिए बोलना माननीय सदस्य का एक तरीका बन गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कोटा हिज हाईनैस से कोई ब्रीफ लेकर आये हैं क्या माननीय सदस्य ? आप किसके लिए कह रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : माननीय रामानन्दजी ने अखबारों की खबर के लिए कहा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप सुखाड़िया-जी की बतायी हुई बातों को बोलते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं स्टेटमेन्ट और पोलिसी पर बोलता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपका पार्ट तो रामानन्दजी अदा कर रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री जुझारसिंह : या तो ये साबित कर दें.....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ब्रीफ लेकर बोलते हैं। इसके लिये आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाइये। यहां हम इस प्रकार की बातों को सुनने के लिए नहीं आते हैं।

श्री जुझारसिंह : आपका काम कोर्ट में जाकर कहने का है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: कोटा हिज हाईनैस ने कैसे क्या किया यह यहां असेम्बली सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहां तो सिद्धान्त की बात होती है। पॉलिसी की बात होती है। कोटा हिज हाईनैस के पास नहीं है तो नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तो रेफरेन्स किया था राष्ट्रीय अखबार की एक आइटम का। इसका कोई कान्ट्राडिक्शन नहीं है। माननीय सदस्य कोई अथोरिटी रखते हों और उसकी बिना पर कॉन्ट्राडिक्ट करके कहते हों तो कह सकते हैं। मेरे पास तो इन्क्वायरी नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह गलत न्यूज है लेकिन आपको क्या अधिकार है मेम्बर्स का इस पर समय लेने का ?

श्री जुझारसिंह : आई केन स्पीक ओन दिस। आपको किस बात की पैरवी करनी है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप उनकी पैरवी सदन में नहीं कर सकते हैं। हिज हाईनैस के पास है या नहीं। इन सबके लिए कोर्ट ओफ लॉ में जाइये।

श्री जुझारसिंह : माननीय सदस्य को बड़ा अजीर्ण हो रहा है। मुझे बोलने की इजाजत दी गयी थी और माननीय सदस्य बीच ही में डिस्टर्ब कर रहे है....

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर बोलें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है! दूसरे कैसे बीच में बोल सकते हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : मैंने रूलिंग दे दी है। आप अपने विषय पर बोलिए।

श्री जुझारसिंह : रामानन्दजी बोल रहे थे इस विषय पर वह तो बोल रहे थे और जब मैं जवाब दे रहा हूं तो माननीय सदस्य को टोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। बेकार बीच में खड़े हो जाते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हमारा भी अधिकार है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आपने ऐसा विवाद बिना मतलब के उठा लिया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सही मतलब है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब भी राजाओं का सवाल आता है तो विवाद खड़ा कर देते हैं। कुछ जो राजाओं से बंधे हैं हुए है उनको बुरा लगता है। सच्चायी अगर हो तो बुरा लगता है।

श्रीमती सभानेत्री : जो आपका विचार हो वह कहें लेकिन आप दूसरों को क्यों इन्टरप्ट करते हैं।

श्री जुझारसिंह : सभानेत्री महोदया, मुझे सही बात की जानकारी थी और वही मैं कह रहा था। मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है कि कांग्रेस के सदस्य जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था, मुझे डिस्टर्ब करने के लिये बीच में जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं। सभानेत्री महोदया, यहां पर एक प्रसंग चला और वह हमारी ओर से नहीं उठाया गया था किन्तु एक माननीय सदस्य ने एक झूंठी बात कही थी इसलिये मेरी नॉलेज में जो बात सही थी उसकी मैं सफाई दे रहा था। चूंकि यह सब्जेक्ट खड़ा हो गया इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो रही है और जानकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पुराने जागीरदारों और पुराने राजा महाराजाओं की जो वास्तविकता थी उनको छिपा करके उल्टी असत्य बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है। किसी बात को एक्जाजरेट करने की कोशिश की जाती है। कोटा हिज हाईनेस की बात चल रही थी। मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान आजाद भी नहीं हुआ था उस वक्त कोटा हिज हाईनेस ने राष्ट्रीय भावनाओं की कद्र करते हुए जो सेवा की वह आपको मालूम होना चाहिये। जब 1943 में बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी बन्द कर दी गयी थी गवर्नमेंट की ओर से उस समय डॉ० राधाकृष्णन् कोटा में आये थे। उस जमाने में उन्होंने रिस्क लेकर बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी को दो लाख रुपये की मदद की थी। यह विक्ट इण्डिया मूवमेन्ट का समय था और बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी को अन-ला-फुल डिक्लेयर किया हुआ था। इस बात का आप पता लगा सकते हैं। इस प्रकार इन महाराजा साहब ने समय समय पर राष्ट्रीय आन्दोलन में मदद की है। बारहट केशरीसिहजी का नाम आपने सुना होगा। वे एक बड़े रिवोल्युशनरी थे। उनकी ग्रान्ड डाटर को आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि काले पानी की सजा दी गयी थी और अंडमान में भेज दिया गया था। उनकी राष्ट्रीय सेवा को रिकनॉगइज करके उनको पांच लाख की जागीर दी थी। उनके लिये आप इस प्रकार की बात करते हैं। यदि सही बात सुनने के लिये तैयार न हों तो कृपया गलत फैक्ट्स सदन के अंदर देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश क्यों की जाती है लेकिन इनकी तो सदन में इस प्रकार का वातावरण बनाने की आदत बन गयी है। पोइन्ट एट इश्यू यह था कि सेक्शन 53 और 54 में अमेन्डमेंट आ रहा है वह वाजिब है या नहीं और उस पर्टीकुलर क्लॉज पर न बोल कर इधर उधर की बातों का रेफरेन्स करना और कोई बोलना चाहें तो उसको न बोलने देना यह अनधिकार चेष्टा है।

सेक्शन 53 और 54 के बारे में मैं यह कह रहा था कि फ्रेग्मेन्टेशन ऑफ होल्डिंग्स को ज्यादा एन्करेज नहीं करना चाहिये और यदि गरीब काश्तकारों को तरजीह देनी है तो यह फ्रेग्मेन्टेशन ऑफ होल्डिंग को फिर ज्यादा फ्रेग्मेन्ट करने से नहीं होगा। ट्रेसपासर्स को जिस प्रकोर से रेगूलेट किया जा रहा है वह उचित नहीं है इनको इन्करेज न करते हुए इकॉनॉमिक होल्डिंग की दृष्टि से खती की उन्नती की जाय तो बहतर होगा। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं इस पर बोलना चाहूंगा।

श्री रामकिशन : मेरा पहले इसमें अमेन्डमेन्ट है।

Page No 74

श्रीमती सभानेत्री : बहुत संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभानेत्री महोदया, सेक्शन 53 और 54 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में एक अमेन्डमेन्ट के बारे में बिल रखा गया है सरकार की ओर से, इस बिल के बारे में मुझे यह निवेदन करना है जो अमेण्डमेन्ट रखा है उसके पीछे भावना यह है कि म्यूटेशन के मामले जो डिस्प्यूट में पड़े हैं उनका निपटारा कर दिया जाय डिविजन ऑफ होल्डिंग्स जो सक्सेशन के जरिये हो उसको भी रेगुलेराइज करना हो वह कर दिया जाय। परन्तु उसके लिये हमें सोचना है कि कहीं इससे उल्टा तो नहीं होगा।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत जो कुछ एडवान्टेज मिल रहा है वह दिया जाय। उसका दुरुपयोग न किया जाय। इसलिये इसके बारे में सोचना आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि आज अगर डिविजन होता है होल्डिंग्स का तो इसमें वह फ्रेगमेन्टेशन भी न होने पावे जो एक बीघा दो बीघा तक चला जाय, यह भी देखना है। अगर एक दो बीघा तक चला जाता है तो यह सरकार की पॉलीसी के खिलाफ जावेगा। प्रोग्रेस नहीं होगी इससे। तो इन सब बातों की पृष्ठभूमि में इसे देखने जांचने के लिये यह उचित ही होगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और वहां इन सब आधारों पर जांच लिया जाय। यह मेरा दृष्टिकोण है।

इसमें कुछ डिविजन होने से लाभ भी है। सक्सेशन से भी डिविजन हो जाता है और पार्टीशन से भी फेमिली के पार्टीशन से भी डिविजन हो जाता है तो कुछ ऐसी भी फेमिलीज हैं जिनके दादे परदादे तक से एक ही नाम पर वह होल्डिंग चली आ रही है। अगर उसका पार्टीशन नहीं करते हैं तो भी दिक्कत है, वह फिर सीलिंग के कानून से टकरावेगी। तो इस दृष्टिकोण से भी इसे देखना है। तो इसमें भी डिविजन को दस पन्द्रह बीस बीघा कुछ तो लावें। इससे तो कम न लावें।

कमेटी इस पर सभी मुद्दों से सोचकर निर्णय करेगी तो इससे किसान को और सरकार को सभी को लाभ होगा।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय,

एक माननीय सदस्य : सभानेत्री महोदया, कहिये।

श्री रामकिशन : मैं जानबूझ कर सोच समझकर यह कह रहा हूं।

श्री विजयसिंह : इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशन : यह विस्तृत सबजेक्ट है। आपकी जानकारी में देर से आवेगा यह सबजेक्ट। तो सभापति महोदय, भूमि सुधारों के इस बिल के संबंध में विस्तृत चर्चा इस समय होती तो उपयुक्त होता।

इस उद्देश्य से जो सरकार यह संशोधन लाई है नम्बर दो का संशोधन है 12 साल वाला। इसमें तो मुझे एतराज नहीं है। कुछ हरिजन या अनुसूचित जाति या जन-जाति के लोगों की जमीन खरीद लेते हैं और इसके बाद दावे का समय तीन साल का कम ही था, उसे बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया है तो यह ठीक है, अगर गलत ढंग से जमीन ले ली है तो इसका लाभ हरिजन और जन-जाति के लोगों को मिलेगा।

श्री रामकिशन)

अगर इस उद्देश्य से संशोधन लाये हैं तो म इसका समर्थन करता हूं। राज्य सरकार की यह मन्शा उचित है।

लेकिन सभापति महोदय, आज राजस्थान की जो स्थिति है हम इस प्रकार के छोटे मोटे कानूनों से राजस्थान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। आज सीलिंग कानून पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत राजस्थान सरकार ने जो सूचना दी है वे सारी सूचनाएं बड़ी दर्दनाक हैं। इस सूरत में कि एक तरफ जैसा कहा जा रहा है समाज में तबदीली के लिये वोट इन्दिराजी को दिये गये हैं बहतर जिन्दगी के लिये दिया गया है, मैं भी इसे आंशिक रूप में स्वीकार करता हूं कि अभी का जो निर्वाचन हुआ है उसमें कुछ सीमा तक सिद्धान्तों की चर्चा हुई है और कुछ सिद्धान्तों के आधार पर भी मतदाताओं का रुझान बना है। पर राजस्थान सरकार की जो आज की रीति नीति है उसके जित कानून कायदे और सोचने समझने के तौर तरीकें हैं और जिस तरह से कुछ अच्छे कानून कायदों की भी जिस तरह से दुर्गति हुई है उससे नहीं समझ पाता कि बेहतर जिन्दगी का कहीं प्रसंग भी ला पावेंगे या निराशा का वातावरण पैदा करके निराशावाद को जन्म देंगे।

आप स्वतः जानती हैं जो कानून सरकार बनाती है एक अच्छे उदेश्य से बनाती है और उसकी घोषणा सदन में करती है और चूंकि अच्छे उद्देश्य से वह कानून होता है इसलिये सदन उसका समर्थन करता है पर जब अमल का मौका आता है या अमल के परिणाम जानकारी के लिये प्राप्त किये जाते हैं तो अमल का परिणाम निराशा जनक मालूम पड़ता है।

अब इन परिस्थितियों में सोचना चाहिये कि अमल क्यों नहीं ठीक से हो पाता। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, यह एक अंश तक तो ठीक है पर साथ ही यह भी ठीक है कि सरकार कठोरता से अमल नहीं करा पाती। राजस्थान सरकार का जिस तरह से यह गठन हुआ है और जो एलीमेन्ट्स इसमें हैं उनके रहते मैं यह कतई नहीं मानता कि इन भूमि सुधारों में इस सरकार का कोई विश्वास है। कुछ लोगों के बारे में अलग बात हो सकती है अगर ये कुछ लोग भी चाहें तो इनकी सरकार के कर्मचारी उन पर अमल ही नहीं होन देना चाहेंगे। लोकतान्त्रिक सरकार को अपने कर्मचारियों के हर काम, भले बुरे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये। यह ठीक है। यह तहसीलदार, यह पटवारी, यह एस० डी० ओ० चाहे किसी भी प्रकार के सरकार के अधिकारी हो, नीति निर्माण करने वाला सचिवालय का सचिव और जो जिलाधीश वगैरह हैं, अगर यह सम्भव हो तो सरकार की नीतियों के साथ साथ उनका भी ट्रान्सफर कर देना चाहिये। अक्सर यह देखा गया है कि सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका अमल उसकी मंशा के अनुसार नहीं होता है। मैं जो बात कर रहा था यह दुनियां के कई मुल्कों में विद्यमान है। अमेरिका में है और भी 35। 40 देशों में यह है। खासतौर से मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर कहीं कांग्रेस का मंत्रिमण्डल बनता है तो जिलाधीश भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को बना देना चाहिये। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन इससे सरकार यह कह

Page No 76

(श्री रामकिशन)

नहीं निकल सकेगी कि हमारे कर्मचारी जो हम कहते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। दुनियां के कई देशों में यह प्रथा है कि सरकार के साथ साथ बड़े कर्मचारी जो कि नीति का निर्धारण करते हैं वे अधिकारी भी चले जाते हं, स्तीफा दे देते हं और या उनकी जगह पर नई नियुक्तियां कर देते ह। आज हमारे यहां पर हालत यह है कि एक भी कानून पर सही ढंग से अमल नहीं हो पाता है। आज राजस्थान सरकार जब इस प्रकार की बात कहती है और तीन वर्ष का समय बढ़ा रही है। जब कानून बना हुआ है कि कोई हरिजनों की जमीन को नहीं खरीद सकेगा और उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी तब यह हो क्यों जाता है ? और इसको बेच कैसे दिया जाता है ? इसका मतलब यह है कि गलत इन्द्राज किया जाता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। केवल कानून में संशोधन करने से इस समस्या का हल नहीं होगा जब तक नये ढंग से इस समस्या पर विचार नहीं करेंगे। तो इसका भी अमल पूरा नहीं होगा और यह संशोधन भी बेकार हो जायगा।

सभापति महोदय, सारी जमीनें जो बड़े बड़े लोगों ने सरकार के प्रचार के बावजूद, सीलिंग कानून के बाद भी दबा ली है और आज राजस्थान के अन्दर करीब 23 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास एक बीघा जमीन भी नहीं है और जो खेती का धन्धा करते हैं। क्या राजस्थान की सरकार ऐसी स्थिति में है कि वह उन लोगों के लिये खेती का प्रबन्ध करे या अन्य रोजगार का प्रबन्ध करे ? मैं जानता हू, सरकार के पास दोनों ही स्थितियां नहीं हैं। एक राजस्व विभाग ने प्रगति रिपोर्ट सरक्यूलेट की है और उसमें कहा गया है कि एक समाजवादी समाज बना रहे हैं इसलिये बड़े व्यवहारिक और ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे असमानता मिटेगी और गरीबी मिटेगी। लेकिन सभापति महोदय, यह राजस्थान सरकार जो भी कदम उठाती है और यह मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि इस सरकार के ज्यादातर कदम दम्भ और प्रचार के होते हैं और वास्तविकता के कम होते हैं। आज इतने दिनों के बावजूद भी राजस्थान के हरिजन भूमिहीन हैं। सरकारी और गैर सरकारी काफी जमीन राजस्थान में उपलब्ध है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ज्यादा जमीन है और यहां पर आबादी भी कम है। दूसरी ओर सरकारी जमीन काफी है और उस सरकारी जमीन को भी आप 23 वर्षों से भूमिहीनों को नहीं दे पाये हैं और जिन लोगों में आपने यह जमीन ऐलॉट की है उसमें भी अधिकतर खेती करने वाले नहीं हैं। जब सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी तो मैंने यह सुझाव दिया था कि काश्तकारों की परिभाषा को साफ तौर से किया जाये। क्योंकि अब यह स्थिति आ गई है कि एक आदमी को एक ही धन्धे में नहीं लगायेंगे तब तक जमीन उपलब्ध कर सकेंगे ? आज जो कपड़े का व्यौपारी है, उसके पास मकान है और 100 बीघा जमीन भी है। वह धड़ाधड़ जमीन को खरीदता चला जा रहा है और जमीन का मालिक बन गया है या सरकार ऐसे व्यक्तियों को भी जमीन का ऐलॉटमेंट करती चली जा रही है जो खुद तो काश्त नहीं करते हैं और नौकरी करते हैं। इसलिये आज यह बात जरूरी है कि काश्तकार की स्पष्टतौर से परिभाषा हो और वह यह हो कि काश्तकार वह हो जो हाथ से खेती करे। इसकी

(श्री रामकिशन)

एक सीमाबंदी भी की जानी चाहिये और यह भी कर देना चाहिये कि इतनी मशीन का प्रयोग जो करे वह काश्तकार होगा । आज की स्थिति में जो परिभाषा है उसमें हमारे काश्तकार की स्थिति जैसी की तैसी रहती है । इसलिये मैं समझता हूं कि कानून पर ज्यादा चर्चा करना इस सदन के समय को बेकार करना है और जनता को मुगालता देना है और जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और समाज में निराशा फैलेगी और यह समस्या दूसरा मोड़ भी ले सकती है । आज राजस्थान सरकार, सभापति महोदय, मैं कोई विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, म तो सिर्फ राजस्व मंत्रीजी को एक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कानून बनाया है लेकिन इस कानून को अमल में लाने वाले जो अधिकारी हैं, जिलाधीश हैं या जो नीचे के अधिकारी हैं, उन्हें आप जानते हैं वे किस तरह के लोग हैं । मैंने भरतपुर के सम्बन्ध में एक निवेदन किया था आपसे। आपने वहां पर जो तहसीलदार बैठा रखा है, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा या द्वेष उनसे नहीं है, वे तहसीलदार महोदय ऐसे हैं जो दस हजार तक की रिश्वत लेना तो अपना धर्म समझते हैं । दस हजार तक की रिश्वत तक तो उनको छूट है । जब मैंने राजस्व मंत्रीजी से यह बात कही–तो यह तो कानून बन चुका है । एक तहसीलदार आपका वहां है उसका ट्रान्सफर हुआ तो वे एक तेल का पीपा लेकर आ गय–गंगासहाय उनका नाम है और वे यह खुले आम कहते हैं कि पैसे लेते हैं । हमारे भी कई काम हैं । हम भी कहीं देते हैं । तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और यह एक तरह से कानून बन गया है राजस्व मंत्रीजी ने कहा बात तो सही है लेकिन मजबूरी है । फलां एम० एल० ए० मंत्री नहीं करने देते हैं, वे नहीं हटने देना चाहते हैं । मैं नहीं समझता कि आखिरकार ऐसे कानून का लाभ क्या है? कानून में संशोधन कर लें, बढ़िया से बढ़िया कानून आप बना लें लेकिन अमल करने वालों का दृष्टिकोण वही होगा तो कोई फायदा नहीं होगा यदि वे जिस नीति से, जिस उद्देश्य से कानून बनाया गया है उस उद्देश्य के साथ चलने वाले नहीं हों और इस प्रकार किसी कानून का बनना और न बनना बराबर है ।

सभापति महोदय, राजस्व विभाग में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उतना राजस्थान के अन्य विभागों में नहीं है । अगर कोई कर्मचारी ईमानदार है तो वह सरकार के भय से, या राज्य के भय से ईमानदार नहीं है बल्कि वह अपनी निष्ठा से ईमानदार है कि उसे बेईमानी नहीं करनी है अन्यथा राजस्थान सरकार की तरफ से ईमानदारी से काम करने वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और जो बेईमानी करता है उनके लिए आपने कोई दंड की व्यवस्था नहीं कर रखी है । यह स्थिति है और इस पर भी हम प्रगतिशीलता की चर्चा करें, भाषणबाजी करते रहें, तो यह एक गलत बात है । जितना भी कानून बनाया जा रहा है उनका अर्थ कुछ नहीं है । टिनेन्सी एक्ट की धारा 53।54 में संशोधन आप लाये हैं । उसके दोनों पक्ष हैं । एक प्रश्न तो यह है कि अधिक से अधिक कितनी सीमा रखी जाये कि उसका आगे और विभाजन न हो । हिन्दुस्तान की जिस तरह की व्यवस्था है और उसमें जिस तरह से पार्टीशन सक्सेशन की मारफत होती है उसको कैसे रोकें यह एक समस्या है । राज्य सरकार का इस तरफ ध्यान गया है । यह

(श्री रामकिशन)

उसके ध्यान में आया है कि अगर होल्डिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं तो सरचार्ज लगता रहता है । परन्तु इस राज्य सरकार को मालूम नहीं है कि सरचार्ज कोई स्थायी चीज नहीं है । पंजाब की गैर प्रगतिशील सरकार ने भी इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठाये हैं । उसने जो कदम उठाये हैं, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की अन्य सरकारों ने नहीं उठाये हैं । इस सरकार ने दो-तीन कदम बढ़िया उठाये हैं। लगान के मामले में, सरचार्ज के मामले में और शहरी सम्पत्ति के मामले में, लेकिन राजस्थान सरकार केवल इसकी चर्चा ही करती रहती है और इसकी पूरी चर्चा करने के बाद एक भी कदम नहीं उठाती है जिससे छोटे किसानों, साधारण किसानों को राहत मिल सके । होल्डिंग का विभाजन कैसे रुके, उसके लिये आपका कदम उचित नहीं है । इसके लिए और व्यवस्था भी आप कर सकते हैं । विभाजन नम्बर लिखकर इस तरह का इन्द्राज आप कर सकते ह और इतनी ही मंशा आपकी है । जिस तरह की स्थिति है उसमें सीलिंग कानून से बचने की प्रवृत्ति हमारे यहां बनती जा रही है और हमारी यह राजस्थान सरकार भी उसको प्रोत्साहन दे रही है । यह दुर्भाग्य की बात है । इसको रोकने के लिए राजस्व मंत्रीजी स्पष्टतौर से बतावें कि वे इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे । कानून से बचने के लिए जिस तरह से सरकारी मशीनरी का लगातार सहयोग हो रहा है और कुछ अपने प्रभाव से करा लेते हैं तो यह एक दुखद स्थिति है । यह जमीन का सवाल है । हिन्दुस्तान की राजनीति और अर्थनीति का सवाल है । यरो के देशों में जमीन का सवाल अर्थ का सवाल है । हिन्दुस्तान में जमीन का सवाल एक राजनीति का सवाल है । यूरोप के देश खेती से हटकर औद्योगिक विकास में खप गये हैं लेकिन हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में 100 में से 80 आदमी याने कि अधिक से अधिक लोगों का धन्धा खेती करना है ? जो छोटे मोटे कारखाने चल रहे हैं वे भी खेती की उपज पर आधारित हैं । इसलिए इस जमीन के सवाल पर सरकार को एक स्थायी और लम्बा कदम उठाने की जरूरत है । आज हम इस कानून में बार बार संशोधन करते हैं । इसलिये एक बार सोच-विचार कर के बैठें और उस पर विचार करें कि अगले 30। 40 वर्षों तक जमीन की इस प्रकार से हमें व्यवस्था करना है । हम एक साल यह नारा, दूसरे साल दूसरा नारा, तीसरे साल और कोई नया नारा देकर इस समस्या का हल नहीं कर सकते हैं, इसका निराकरण नहीं कर सकते हैं और बार बार संशोधन करने से नतीजा यह होता है कि जो जमीन पर खेती करते हैं उनके मन में एक प्रकार की अनिश्चितता पैदा हो जाती है । हमने सीलिंग का जो कानून बना रखा है वह कानून गलत था । इस कानून में जो सरकार ने अन्दाजा लगाया था वह गलत हो गया । पिछले सत्र में भी मांग की थी कि सीलिंग की सीमा को घटायें और तत्काल कानून बनायें तब तो ठीक है, अन्यथा कानून को कोई आधार नहीं है और तभी हम भूमिहीनों को जमीन दे पायेंगे अन्यथा नहीं लेकिन सरकार का जो इरादा है और अगर इरादा भी नहीं हो तो आने वाली सरकार या आने वाला समाज उसको बदलेगा । आपको निश्चित और लम्बी अवधि के लिए कानून बनाना चाहिए । यह निरन्तर छोटे मोटे संशोधन करने पड़ते है इससे काश्तकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको प्लानिंग कमीशन ने भी

(श्री रामकिशन)

एक सरक्यूलर भेजा होगा। जो भूमिहीन हैं उनको एक निश्चित दिशा दें और लम्बी दिशा द ताकि जमीनों का मामला खत्म हो जाय लेकिन यहां तो राज्य सरकार एक सत्र में कानून बनाती है और दूसरे सत्र में उस कानून में संशोधन लाती है। 6 महीने बाद ही आप संशोधन ले आते हैं उससे कोई लाभ नहीं होता है और राज्य के जो कर्मचारी हैं उनसे अनुचित लाभ उठाते हैं। राजस्व विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। गांवों में पटवारी से लेकर बड़े अफसर तक उससे लाभ उठाते रहते हैं। मैं राजस्व मंत्री से एक निवेदन करना चाहूंगा। कानून का मसविदा तैयार है इस पर आप सम्पूर्ण रूप से सोचें जो इस एक्ट के जरिये नई दिशा दी जा रही है उसमें और कोई जरूरत है और यदि जरूरत है तो महीने भर बाद, दो महीने बाद इस कानून को ले आयें, बहुत जल्दी नहीं हैं लेकिन अब ज्यादा देर तक गरीब लोग इन्तजार नहीं कर सकते हैं। एक बार दीर्घकालीन योजना के तहत इस पर विचार करें और फिर देखें कि अमल करने वाले लोग इस पर कितना अमल कर रहे हैं। विधान सभा में कानून पारित होने के बाद मंत्री जी और उपमंत्री जी दोनों चले जायेंगे आराम के कमरें में और कहेंगे हमारी तो छुट्टी हुई। जैसे इनकी बहुत बड़ी छुट्टी हो गई हैं। कोई गढ इन्होंने जीत लिया है और सोचेंगे कल की कल देखी जायगी। कानून तो आपका पास होगा जबकि आपकी संख्या 110 हैं तो इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। कोई यहां उचित या अनुचित बात कही जाय तो वह भी पास होगी क्योंकि बहुमत आपके साथ है। मेरा निवेदन करना यह है कि गांव के पटवारी तक आपकी नजर होनी चाहिए। जल्दी बाजी में आप कानून पास करा लेते हो और जिस समय कानून का मखौल बनता है मैं समझता हूं यदि समाजवादी सरकार होती तो वह अपना आप स्तीफा दे जाती लेकिन यहां तो विपरीत स्थिति है। इनकी सारी घोषणाओं का निरादर इनके कर्मचारी करते है क्योंकि उसमें मंत्री लोग भी शामिल हैं। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान का कौनसा ऐसा मंत्री है जो खेती करता है। इनमें से कोई पैतृक खेती वाले भी नहीं हैं मैं समझता हूं खेती नाम की चीज को समझते भी नहीं हैं और सत्ता में होने के कारण वह जमीनें खरीद कर रहे हैं, जमीन अलॉट करा रहे हैं, जमीनों को दाब रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। यानि मंत्रियों की सारी बातें जब गांव तक पहुंचती हैं, जब गांव का सरपंच इस बात को सुनता है, विधान सभा के मेम्बर जब इस बात को सुनते हैं तो वे भी इस दिशा में चल देते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जमीन ले ली, मंत्रियों ने जमीन ले ली तो उनमें भी यह भावना जागृत होती है कि हम भी इसका फायदा क्यों नहीं उठायें और इसका मतलब निकलता है तुम भी ले लो लेकिन जो बिना जमीन वाले हैं उनकी संख्या निरन्तर बढती जा रही है। अब यह किस कारण से है ऊपर की प्रवृति को देखकर है या आबादी के बढने के कारण इस पर आप स्वयं विचार कर सकते ह। इन दोनों में सामंजस्य बढ रहा हैं। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा हैं। मैं समझता हूं अबकी बार चुनावों में जो कांग्रेस की जीत हुई है जो वोट जनता ने आपको डाले हैं उसमें लोग यह मानकर चलें हैं कि कांग्रेस कोई परिवर्तन लायेगी, कांग्रेस कोई भूमि सुधार का कार्यक्रम लायेगी। आपको भी मौका है। आपका मौका सफल होता है तो

(श्री रामकिशन)

हमारे देश की जो स्थिति है, कोई सार्वभोम बड़ी पार्टी नहीं है आप सफल हो सकते हैं और अगर आप में अविश्वास पैदा हुआ तो मैं नहीं समझता कि लोग हिंसा पर उतारू हो जायेंगे । और दो तीन साल में आपके वजाय दूसरों पर विश्वास करने लग जायेंगे । जनता को कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता है और जब विकल्प नजर नहीं आता है तो हिंसा की तरफ जा सकते हैं और अगर जनता हिंसा की तरफ गई तो आप उसके सबसे पहले टारगेट बनोगे । काश्तकार की परिभाषा करते रहे हैं हाथ से जो खेती करेगा हाथ से जो बोयेगा और आप खुद काश्तकार बन गये तो अब इन छोटे मोटे संशोधनों से काम चलने वाला नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं और वह भरतपुर के संबंध में करना चाहता हूं । हमारे यहां जो चारागाह की भूमि है उस पर निरन्तर प्रभावशाली लोग कब्जा करते आ रहे हैं । प्रभावशाली लोग निरन्तर डंडे के जोर से भूमि पर कब्जा कर रहे हैं । शिड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं वे इनके डंडे के प्रभाव के कारण कब्जा नहीं कर पाते हैं और ग्राम पंचायतों में जो सरपंच हैं और दूसरे सवर्ण लोग ह गरीब लोगों की तुलना में जो उन्च जाति के लोग हैं जब रिपोर्ट वगैरह पेश करते हैं तो उनके पक्ष में करते हैं । लिख कर दे देते हैं कि ये ही लोग 10 साल से काश्त करते रहे है मैं समझता हूं यह रेट भी आपके दिमाग में होगी हजार पांच सौ लेकर एस० डी० ओ० और तहसीलदार उनके नाम दर्ज करते जा रहे हैं । पार साल भी मैंने निवेदन किया था आज भी कहना चाहता हूं उन जिलों की स्थिति बराबर बिगड़ती जा रही है। प्रभावशाली लोग निरन्तर चारागाह की भूमि को दबा रहे हैं। यही स्थिति अलवर व अन्य जिलों की है मेरा निवेदन है इन सबको रिलीज कर दें और जमीन भूमिहीनों को दे दें। दो साल में भरतपुर में एक लाख बीघा चारागाह की भूमि में 50 हजार बीघा जमीन पर प्रभाव शाली लोगों का कब्जा हो चुका है और मेरा ख्याल है दो तीन साल में बाकी 50 हजार बीघा भूमि पर भी ये प्रभावशाली लोग कब्जा कर लेंगे और आप ऐलान तो हर साल करते रहे हैं लोग यह कहते है किसी तरह कब्जा कर लें। राजस्थान की सरकार दूसरा ऐलान करने वाली है और किसी दिन यह भी हो जायगा कि 71 तक जिनका कब्जा होगा उनको बहाल माना जायगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर के लिये तो मैं समझता हूं इनको जरूरत थी लेकिन सारे राज्य में जो ऐलान किया है इसका असर यह होगा जो प्रभावशाली लोग हैं, जो डंडे वाले लोग हैं वे और अधिक जमीनों पर कब्जा करेंगे। अबकी बार लोक सभा के चुनावों में यह घोषणा की और अब विधान सभाओं के चुनाव आने वाले हैं। नाजायज कब्जों को जायज कर दिया जायगा इसलिये सभापति महोदय, मेरा निवेदन है यह प्रवृति बढ़ती जायेगी। राजस्व मंत्री जी को कोई स्पष्ट कदम उठाने चाहिये। आज हमारे राज्य की समस्या नियमों के बारे में ज्यादा नहीं है। जो छोटी मोटी आपकी नीतियां हैं इन चुनावों में जीत गये और आपने मान लिया समाजवादी हो गये, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। यह आपका आचरण बतायेगा। दो तीन जो बातें आप कहते हैं उसको अमल में लाने के लिये किस प्रकार कार्यक्रम बनाते हैं और उस पर किस प्रकार नजर रखते हैं ईमानदारी से अमल हो रहा है

(श्री रामकिशन)

या नहीं हो रहा है इसको अगर आप नहीं देखेंगे तो चाहे कोई कानून लाय आपको लाभ होने वाला नहीं है। आप समझते हैं इससे लाभ हो जायगा इससे कतई लाभ होने वाला नहीं है। भूमिहीनों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपके दिमाग में यह बात आ जाये और यह दृष्टिकोण बना लें तो कुछ हद तक लाभ होने वाला है अन्यथा नहीं। सक्सेशन के मारफत पार्टीशन नहीं रहे तो और समस्या खतम हो जाती है.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो बूढ़े बैल मुकन्दी हरी का जिक्र है...

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं इस संबंध में जिक्र कर रहा था इस पर पुनः विचार करें। यह एक पक्ष की बात नहीं है-भूमि के अधिक टुकड़े हो जांय, भूमि अनुत्पादक हो जाय, भूमि अन-आर्थिक हो जाये और जो दिक्कत है पार्टीशन वाली यह भी बनी हुई है और आप आर्डिनेन्स के मारफत तत्काल विधान सभा में पारित कराना चाहते हैं। मैं समझता हूं इसमें अलग से विचार करें तो इसमें दोनों ही पक्ष हैं और उन पक्षों पर जब तक गम्भीर चिन्तन नहीं होगा, दोनों पक्ष को नहीं समझा जायगा तो इसका भी बुरा परिणाम निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में राज्य सरकार को निवेदन करूंगा इस पर दुबारा विचार करे। जो भूमिहीन हैं उनकी स्थिति को सुधारा जाय अन्यथा जो सीलिंग कानून की जो अवहेलना हुई है उससे राज्य की स्थिति सामने है। उसको नये ढंग से सोचें तो मैं समझता हूं इस विधेयक को पारित करने से ज्यादा लाभ होगा।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (उप-मंत्री, राजस्व) (राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में) : सभापति महोदया, टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट बिल पर दो दिन से विचार हो रहा है......

श्री रामकिशन : वो (राजस्व मंत्री) आ गये, बैठ जाओ।

रामानन्द जी कह रहे थे जिस समय मैं बोल रहा था 'बूढ़ा बैल मुकन्दी हरी'

श्री रामकिशोर व्यास : जाकी रही भावना जैसी।

श्री रामकिशन : इनकी तो भावना ही नहीं है कोई।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं है तो नहीं सही।

सभानेत्री महोदया, यह जो बिल आपके सामने पेश हुआ है इसका जो आर्डीनेन्स जारी हुआ था उसके बारे में तो कि क्यों जारी हुआ और ऐसी क्या जल्दी थी उस पर तो मैंने कल ही निवेदन कर दिया था। आम तौर से इस बिल में जो प्रावीजन्स हैं, उसका ज्यादातर लोगों ने स्वागत ही किया है और बड़ी थोड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया है। बाकी जिन्होंने विरोध किया है उनमें से भी तीन-चार को छोड़कर सिद्धान्त रूप में माना है कि उनको यह बात स्वीकार है और सबसे बड़ी बात मैं यह मानूं कि हमारे रामचन्द्र जी आर्य जो आम तौर से गवर्नमेन्ट को किसी वक्त पर बख्शते नहीं हैं......

श्री रामकिशन : आप उन्हें याद और दिला रहे हैं वह खड़े और हो जायेंगे। आज हैं नहीं वो।

Page No 82

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने भी कहा कि यह जो कानून है इससे हजारों आदमियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मेरे खुद का भी ऐसा मानना है कि इस कानून के बन जाने से एक बहुत बड़ी कठिनाई जो काश्तकारों को आई है उसमें राहत निश्चित रूप से मिलेगी।

अब किन किन वजह से और क्या उद्देश्य थे हमारे यह आर्डीनेन्स निकालने के पीछे और कानून बनाने के पीछे वह मैंने कल सदन में निवेदन किये थे लेकिन फिर भी मैं उनको दोहराना पसन्द करूंगा। एक बात तो यही थी कि जो लेण्ड रेकर्ड्स हैं, कागजात हैं उनमें और जो वास्तविक रूप में परिस्थितियां हैं उनमें एक बहुत बड़ा अन्तर पैदा होने लग गया था और अगर उसको नहीं रोका जायेगा तो फिर लेण्ड रेकर्ड्स बहुत आथेन्टिक नहीं रहने वाले हैं और वह अनरिलायेबल हो जायेंगे। कागजों में कुछ होगा और अमल में दूसरी बात होगी और इसको ज्यादा बढ़ने देना मुनासिब नहीं है। यह आप लोगों की भी जानकारी में है और मेरी भी जानकारी में आया है कि खाता किसी एक आदमी के नाम लिखा हुआ है बल्कि ऐसे केसेज भी हैं कि खाता लिखा हुआ है और वह मर भी गया फिर भी उसी के नाम पर चल रहा है और उसके वारिस का नाम दर्ज नहीं हो पाया या जहां पर दर्ज होगा तो वह मुश्तरका तरीके पर दर्ज होगा और उसमें हिस्सों का बंटवारा नहीं होगा और दर असल में उन्होंने आपस में तो बंटवारा कर लिया है। मिसाल के तौर पर कहूं कि मान लीजिए कि 'ए' आदमी के नाम का खाता था उसका इन्तकाल हो गया, उसके 4 लड़के हैं और चारों लड़कों के नाम में ज्वाइन्टली लिखा हुआ है और वह अलग अलग उसको इस लिए नहीं करा सके कि अगर वह कराते हैं तो लॉ ऑफ फ्रेगमेन्टेशन उनके लिए दिक्कतें पैदा करता है। प्रावीजन्स तो आपको मालूम हैं कि टिनेन्सी एक्ट की दफा 53 और दफा 54 इससे संबंधित है और दफा 53 में रिवीजन ऑफ होल्डिंग के बारे में यह कहा गया है कि एक कम से कम आधार जो गवर्नमेन्ट मुकर्रर कर दे उसके नीचे नहीं होगा। तो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग तरीके से है। टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 5 के 11 (2) में फ्रेगमेंट को डिफाइन किया है। फिर मिनिमम क्या हो और क्या नहीं हो इसके बारे में भी रूल 24 जो कि सेक्शन 53 के तहत में बनाया गया है उसमें दिया गया है और उसमें रेफरेन्स दिया गया है कि 180 के अन्दर जो मिनिमम प्रेस्क्राइब किया है उसको 115 उस परपज के लिए माना जाये यह उसका मौजूदा प्रावीजन है। इन प्रावीजन्स के रहते हुए और इस कानून के रहते हुए यह मुमकिन नहीं हो रहा था कि वह लोग तकासमा अपना करा सकें। तो स्थिति यह पैदा हो गयी कि एक तरफ हजारों केसेज ऐसे हैं कि जहां वाकया में तकासमा हो गया, भाइयों ने बंटवारा कर लिया, अलग अलग खेती करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कागजों में मुस्तरका एक ही खाता लिखा हुआ चला आ रहा है तो केवल लेण्ड रेकर्ड ही इससे अनअथेन्टीकेटेड नहीं बन जायेगा बल्कि काश्तकारों को भी मुश्किलें पैदा हो जायगी और उसको यह मुश्किल होगी कि उसके जो हक हैं, उसका ठीक तरह से फायदा नहीं उठा पायेगा। म्यूटेशन के केसेज जहां

(श्री रामकिशोर व्यास)

फ्रेग्मेन्टेशन का प्रिन्सिपल एप्लाई हुआ था उसकी जगह बहुत से रुके पड़े हैं। दूसरी बात यह हुई कि डवलपमेन्ट के लिए जो लोन मिलने लगा और चाहे वह जमीन के समतल करने का हो या और दूसरी बात का लोन हो उसमें उसको बैंक से मिलने में मुश्किलें पेश आई और जहां ज्वाइन्ट खाते हैं वहां कर्जा मिलता नहीं है, बैंक वाले नहीं देते हैं क्योंकि अलग 2 हिस्से हों तो देते हैं बाकी अनडिवाइडेड शेयर हों तो उस वह पर कर्जा नहीं देते हैं। जैसे चार आदमियों का लिखा है तो वह चारों को कर्जा नहीं देते हैं। वह तो अलग 2 डिफाइन्ड शेयर्स हों तो उस हालत में दे सकते हैं और एक मुश्किल यह भी आ जाती है कि बाजवक्त चारों भाई भी एग्री नहीं करते हैं। आपस में तालुकात किसी के अच्छे होते हैं किसी के खराब भी होते हैं, कोई एग्री करता है कोई एग्री नहीं करता है–वह भी मुश्किल थी कि जिसकी वजह से डवलपमेन्ट के लिए लोन मिलने में काफी मुश्किलातें आई और जगह जगह इसकी समस्यायें आई। तो यह एडवान्टेज उनको मिले कि वह कर्जा ले सकें, विकास के लिए कर्जा ले सकें इसलिए भी उनका अलग अलग हिस्सा हो जाये, डिवाइडेड शेयर हो जाये यह भी उनके लिए बहुत जरूरी था।

दूसरे इम्प्रूवमेन्ट की जो बात है इम्प्रूवमेन्ट में भी जब तक शेयर अनडिवाइडेड रहता है तब डिफिकल्टी आती है। यह तो डिफाइन्ड होता है अनडिवाइडेड शेयर में कौनसा हिस्सा किसका है और इसलिए वह इम्प्रूवमेन्ट नहीं कर पाते हैं–वह भी एक समस्या थी सामने। इसी तरह से सरचार्ज वाली बात भी है। सरचार्ज वाली बात मुख्य नहीं है लेकिन यह भी एक अंग है इसका कि खाता चूंकि एक नाम का है, उसी नाम पर सरचार्ज की रकम चार्ज होगी। अलग अलग तरीके से वाकई तकसीम हो गई है, उस तरह से चार्ज होती तो सरचार्ज का फायदा लोगों को मिल सकता था। चूंकि खाता मुश्तरकता है, एक खाता है, उसका फायदा उठाने वाले कई है, अमल में तकसीम हो गई है, इसलिए सरचार्ज का जो असैसमेंट होता है वह एक खाते से होता है इसलिए ज्यादा देना पड़ता है। यह कारण थे, और जगह जगह पर मैं गया, दौरे पर गया, तो लोगों की आम शिकायत थी कि अमल में और कागजों में काफी अन्तर आ गया है, उसको सही करने की जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए। यहां पर भी सवाल आया और माननीय सदस्यों ने कहा कि फ्रेगमेंटेशन का ला है, उसकी दफा 53, दफा 54 उसके अन्दर है, और आगे यह चीज आपके सामने है, तो जो कि तजवीज की है, उसे स्वीकार करने की बात है, अगर यह स्वीकार किया जाता है तो असर तो इस बात पर पड़ेगा कि अनइकांमिक होल्डिंग हो सकती है बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाने की वजह से। आपने कहा कि पैदावार भी कम हो सकती है तो उसे मैं मान सकता हूं कि अनइकानामिक होल्डिंग हो सकती है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। अब हमारे सामने सवाल दो है, और दो में से एक बात को चुनना है। एक तो अनइकानामिक होल्डिंग हो जाती है, वह इस तरह होती है कि एक बाप के चार बेटे हैं, उनको तकासमा होता है जमीन का, यह कागज में लिखा है या नहीं लेकिन आम तौर पर 90–95 फीसदी यह स्थिति है चाहे फ्रेग्मेंटेशन का ला माने या न माने, चाहे उसकी इजाजत दें या न दें

Page No 84

(श्री रामकिशोर व्यास)
चाहे सक्सेशन माने या न मानें, अमली तौर पर वह ढाई बीघा या चार बीघा के टुकड़े कर लेते हैं और उस पर अमल कर लेते है। आपके सामने यह बात है तो इसको मानना होगा, अनइकानामिक होल्डिंगस वाली बात माननी होगी। या फिर यह चीज कन्टीन्यू ....

श्री मदनसिंह : उसका इलाज था, वह यह था कि कापरेटिव बेसिस पर काश्त करें।

श्री रामकिशोर व्यास : यह स्थिति कन्टीन्यू कराई जा सकती है लेकिन कागज और रिकार्ड में तकासमा नहीं करा लिया होता है, बंटवारा नहीं करा लिया होता है तो दिक्कत रहती है। अमल में तकसीम हो गई है। तो फ्रेग्मेंटेशन की चीज है उसको मानना उचित है। कुछ हद तक अनइकानामिक होल्डिंग रहती है, अमली तौर पर यह चीज रहती है तो इसको करना बेहतर होगा।

दूसरी बात यह थी कि पहले कन्सेप्ट था, और फ्रेग्मेन्टेशन था, और जो एरियाज फिक्स किये थे, उससे थोड़ा बहुत रिवर्स भी सोचा जा सकता है, लेकिन आज के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके हैं, जो कृषि के साधन हैं, उनसे प्राडक्शन बढ़ सकता है उस एरिया के अन्दर। पहले जहां एक एकड़ में बहुत सी जगहों पर एक एकड़ में दस मन गेंहू पैदा हो सकता था वहां आज एक एकड़ में तीस मन पैदा होता है। तो उस एरिया में साइंटिफिक बेसिस पर खेती की जाय तो प्राडक्शन बढ़ सकता है। यह निवेदन है ......

एक माननीय सदस्य : इर्रिगेटेड हो तो, नो बारानी पर।

श्री रामकिशोर व्यास : हां, वह ठीक है। मैंने जो कहा वह साधनों की बात कही, अब साधनों के लिए लोन मिलतें हैं, कुए बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। तो यह भी है कि कुछ लेसर एरिया में थोड़ी बहुत ही हो, प्राडक्टिविटी बढ़ सकती है...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन में सोने का अधिकार है ?

श्रीमती सभानेत्री : मैं खुद सोच रही थीं।

श्री रामकिशन : दोनों अग्रवाल बन्धु सो रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दोनों अग्रवाल बन्धु हैं।

श्री रामकिशन : अग्रवाल बन्धु एण्ड कम्पनी सो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्पीच पर निर्भर होता है, कितना वजन है।

श्री केदारनाथ : ज्यादा कन्सेन्ट्रेशन हो जाता है सोने से।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मानते हुए यह विचार करना है कि किस हद तक एक्सेप्टेंस हो। अमली शक्ल वही रहती है, इसलिए अपन आउट ऑफ टू, दोनों में से किसको तरजीह द। तो हमने सोचा कि असल में जो हो रहा है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी इस बात की कोशिश की है कि यह प्रोविजो जितने

(श्री रामकिशोर व्यास)

मिनिमाइज कर सकते हैं उतना किया जाय ज्यादा एक्स्टेन्ड न किया जाय। वैसे इसके जरिये से जो रिकंग्नीशन दिया है, जो इजाजत दी है, खाली सक्सेशन और पार्टीशन की दी है, सेल और ट्रान्सफर को लीगेलाइज नहीं किया है। अब यह प्रश्न आया है कि सक्सेशन और पार्टिशन को लीगलाइज किया, तो ट्रान्सफर को क्यों नहीं किया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दस बारह साल बाद कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास : यह दलील हो सकती है, लेकिन क्यों कि इससे अनइकानामिक होल्डिंग की थ्योरी को सेंट परसेन्ट एप्लाइ करने वाली बात है, और सक्सेशन एक मजबूरी की बात है, नार्मल बात है वह रोकी नहीं जा सकती, बाप बेटे को भाई को तकसीम कर सकता है, वह करेगा तो उसको मान लेना ठीक है। अब यह समझें कि इस सील रिलेक्स कर दिया है सक्सेशन और पार्टिशन तक रिलेक्स किया है, ट्रान्सफर जो है उसको लीगलाइज नहीं किया है, इसमें उद्देश्य यह था कि प्रेक्टिकल चीज है इसको मान लेना चाहिए यह डिफीकल्टी लोगों को बहुत बड़ी तादाद में हो रही है, उनको राहत मिल जाय-इसके पीछे यही उद्देश्य था।

अब यह बात कही जाती है इसमें कई दफा राजनीति आ जाती है, कई दफा सही होती है। यह कहा गया कि इस कानून को लाया गया तो सीलिंग लॉ को अवाइड करने के लिए, सीलिंग ला को डिफीट करने के लिए लाया गया है। हमारी मन्शा इस कानून को लाने की थी, वह बताई, इसलिए लाना पड़ा। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इससे सीलिंग ला डिफीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अव्वल तो यह है कि इस एक्ट के जरिये मिनिमम प्रेस्काइब करेंगे। इसके जरिये यह कहा जा सकता है कि इस हद तक तकसीम कर सकते है, इस पर्सेन्ट तक कर सकते हैं। यह कहते हैं कि इसके अलावा एक्ट के अन्दर पार्टिशन के लिए मौजूद है, तो उसमें यह है आन दा डेट अनाउन्स्ड बाई दा गवर्नमेंट। वह अनाउन्स हम कर चुके हैं। तो उस पर तो असर नहीं पड़ने वाला है। उस डेट तक पार्टिशन हो गया है-वह सीलिंग से कवर होगा। वैसे सीलिंग के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है? मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि यह जो ख्याल है कि सीलिंग ला को अवाइड करने के लिए, उसको डिफीट करने के किया गया है, तो यह बात नहीं है। असल में जो बात मैंने कही है, उसके लिए लाये हैं और लोगों को राहत देने के लिए इसको किया है।

और जो बातें कही गई हैं उन बातों का जवाब मैं देना नहीं चाहता। कहा गया कि कांग्रेसमेनों के पास जमीन है, मिनिस्टरों के पास जमीन है, उसको बचाने के लिए लाये हैं...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप जानते हैं...

श्री रामकिशन : इसका मतलब क्या है?

श्री देवीदत्त गाड़िया : लेकिन बताने की आपमें हिम्मत नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह गलत बात है।

श्री रामकिशन : गलत ईमानदारी से कहते हैं, क्या कह रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि यह बात गलत है कि इसलिए यह कानून लाया गया है ।

श्री रामकिशन : यह बात गलत है कि जो काश्तकार नहीं हैं उनके पास जमीन है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जमीन की बाबत तो सदन में बता चुका हूं । लेकिन उसमें अन्याय क्या है ? यह सदन में कह चुका हूं, ज्यादातर ऐसी है जो अपने तरीके से खरीदी है , एलाटेड लैंड है नहीं । जैसा साधारण नागरिक को अधिकार है, वैसा उनको है । आप बताइये, मिनिस्ट्री जो है वह तनिक सुहाग तो है...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : परमानेन्ट सुहाग ।

श्री रामकिशन : तनिक सुहाग क्यों ? पन्द्रह साल हो गये । बीच में पांच साल नहीं रहे ।

श्री रामकिशोर व्यास : जिन्दगी के अन्दर पन्द्रह साल कोई चीज नहीं होती है, यह जिन्दगी का हिस्सा है ।

श्री रामकिशन : अब बुढ़ापे में सुहाग की क्या जरूरत है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सुहाग तो उम्र भर अच्छा रहता है ।

श्री मदनसिंह : बुढ़ापे का सहारा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बुढ़ापे का सहारा सुहाग है ।

श्री रामकिशोर व्यास : एक सवाल यह आया, यह समझ में नहीं आता.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इन्ट्रप्शन के लिये माफ करें, आपने तहकीकात की है क्योंकि राजस्थान के मंत्रिमण्डल में जितने सदस्य हैं, उनके पास सीलिंग प्राविजन्स सीलिंग से एक्सेज लैंड नहीं है ? है तो उनको नोटिस दिये गये हैं और उन्होंने सरेन्डर की है ? राजस्थान में आम जनता में हवा बनाना चाहते हैं लोगों को वालियन्टरिली स्टेटमेंट भरने करने के लिए, या सरेन्डर करने के लिये आप एन्करेज करना चाहते हैं, तो मैं समतझा हूं कि एक आइडियल लोगों के सामने रखना पड़ेगा । यह स्थिति सदन के अन्दर साफ कर दें तो बाकी के लोगों को एन्करेजमेंट मिलेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : स्थिति स्पष्ठ है, लॉ स्पष्ट है । मिनिस्टर हो, कोई हो उसके पास जमीन सीलिंग से ज्यादा हो तो जमीन ली जायगी नोटिस दिया जायगा.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फेक्ट पूछ रहा हूं ।

श्री रामकिशोर व्यास : फेक्ट का क्वेशचन पूछेंगे तो जानकारी करके कहूंगा । अलग अलग जिलों में किस की कहां है, वह इन्फार्मेशन आप चाहें तो मंगा कर वह इन्फार्मेशन दे सकता हूं, इसमें गुरेज की बात नहीं है ।

एक बात अक्सर यह कही, बहुत से माननीय सदस्यों ने कही, वह यह कही कि टिनेन्सी बिल यहां लाया तो गया, लेकिन ला कमीशन ने, रेवेन्यू लॉज कमीशन

(श्री रामकिशोर व्यास)

ने जो रिकमन्डेशन की हैं, यह कहा गया कि यह राज समझ में नहीं आया, उनको पेश क्यों नहीं किया गया ? उसको सदन के आगे क्यों नहीं लया जा रहा है ? गवर्नमेंट की मन्शा नहीं थी यह बात नहीं है। जो भी मेजर है, गवर्नमेंट उन सब मेजर्स को लेना चाहती है। इसलिए इस बिल को लाई और रिपोर्ट आपके सामने पेश हो गई। हाउस को बताने का मौका लेने की काफी कोशिश करता हूं लेकिन हाउस एडजोर्न हो जाता है। उसमें नीयत खराब होने की बात नहीं है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश नहीं की?

श्री रामकिशन : आपका कहना यह है कि आप लाना चाहते हैं, सरकार नहीं लाना चाहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा मतलब यह है कि हाउस लम्बा बैठता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 15 मार्च से 18 मई तक लम्बा चलने वाला है।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा मतलब है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : 11-12 मई खाली है।

श्री रामकिशोर व्यास : जब भी हाउस चाहे, मेरी तरफ से सौलह आने तैयार है, सब तैयार कर चुके हैं, इस सारे को डिस्कस कर लिया है, आप चाहें तो इस सब में भी डिस्कस हो जाय। सवाल रहा, बीच में पीस मील अमेन्डमेन्ट क्यों ले आते हैं ? इसलिये लाते हैं, कि यह जो प्रोविजन लाये हैं यह उसमें नहीं है। आप कह सकते हैं कि उसके लिए वेट करते हैं तो मैं नहीं कह सकता, वह कब पेश होगा कब पेश नहीं होगा यह कहा नहीं जा सकता। उसका वेट करते रहें तो इमदाद देने की बात पूरी नहीं होती। यह आपके सामने आया है, वह भी आपके सामने आयेगा, दोनों को आप कन्सोलीडेट कर लें उसमें दिक्कत क्या है ? इसमें जो इम्पोर्टेन्ट प्रोविजन रख कर लाये हैं यह उसमें प्रोविजन नहीं था।

श्री मदनसिंह : अब जाने दें.........

श्री रामकिशोर : उसमें यह प्रोविजन नहीं है, यह नई बात लाना चाहते हैं, यह जनता के हित के लिये है। गवर्नमेन्ट का इसमें करीब करीब नुकसान रहेगा। यह जनता के हित में है। इस तरह गवर्नमेन्ट जिसकी जरूरत समझती है उसको ले आती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी सेशन में उसे लायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा मेरी तैयारी हर वक्त है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तैयार हैं, ये तो एवररेडी शैल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम इनकार कर रहे हैं क्या ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सदन के नेता तैयार नहीं हैं।

श्री रामकिशन : यह विलक्षण स्थिति है। लाने वाले तैयार हैं सभी तैयार हैं तो फिर लाते क्यों नहीं हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ठीक है, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने आयेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात काफी जोर से करप्शन के मामले की कही गई कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, और विशेष रूप से सवाई माधोपुर से आये माननीय सदस्य हैं, उन्होंने यह बात कही थी, उसका कुछ अंश सही है, मैं वहां दौरे पर गया था तो वहां के बार रूम में गया था वहां उन्होंने कुछ शिकायत की थी, वहां ऑफिसर के खिलाफ की थी, लेकिन वहीं कान्ट्रेडिक्शन हो रहा था। दूसरे लोग थे जो विरोध करने लग गये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : दूसरे मेम्बरों ने कुछ नहीं कहा। कान्ट्राडिक्शन नहीं था।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि लिखित में दे दें तो उस पर हम तहकीकात करा लें। वह सामने आया नहीं। अब सदन में बातें बतलायी हैं कि किसी एलॉटमेन्ट के केस में 20 हजार रुपये या कितने किसने लिये तो स्वयं आपने जो यहां फरमाया है, उसको नोटिस समझ कर एक्शन ले लेंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जनरल करप्शन के चार्जेज पर आप जांच करायें, पूरे केसेज की लिस्ट आ जायेगी कि किसने कितना कमाया है। आप कहते हैं कि कान्ट्राडिक्ट किया तो वह लोग आम पब्लिक में कह दे कि नहीं खाता हूं पैसे, पब्लिक के सामने खड़े हो कर कह दें।

श्री रामकिशोर व्यास : वहां एस० डी० ओ० जो हैं उनसे कोई नाता नहीं रिश्ता नहीं मेरा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : नाता और रिश्ता हो तो बख्श देंगे क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेन्ट ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहती, आपका सहयोग लेना चाहती है, कानूनी कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो सके इतना मेटिरियल मिल जाय, हम इतना चाहते हैं फिर जितना करना होगा, हम करेंगे। अब जितना हाउस में आ गया है वह हम गेदर कर लेंगे और उस पर जो कार्यवाही हो सकती है वह करेंगे। और मेटिरियल आप सप्लाई कर सकें तो आपका आभार होगा।

श्री मदनसिंह : एज ए मिनिस्टर आप जागरूक नहीं है। इतना हल्ला होता है ऐसे ऑफिसर के खिलाफ इन्क्वायरी में खुद जागरूक रहें। आप जागरूक नहीं हैं, नहीं तो आपके ऑफिसर हैं, उनकी रिपोर्ट आती होगी, कोई सीक्रेट रिपोर्ट आती होगी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अर्ज कर दूं, ठाकुर साहब जमाना बदल गया है आज सीक्रेट रिपोर्ट की बिना पर एक्शन ले नहीं सकते। एक्शन लेने के लिये कान्सटीटयूशन में है।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री रामकिशोर व्यास : कान्सटीट्यूशन में एक्शन लेते हैं तो प्राइमा फेसी केस बनाना पड़ता है चार्जशीट देनी पड़ती है, एक्शन सीक्रेट इनफोर्मेशन मालूम हो जाय, लेकिन उसके साथ साथ प्रमाण की जरूरत पड़ती है। ऐसी खबरों पर एक्शन ले लें कि अदालत से उसके सब फैसले सेट एसाइड हो जाते है.....

श्री मदनसिंह : विधान सभा में किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत तरीके से हल्ला हो तो आप एक्शन ले लेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मतलब नहीं है। मेरी अर्ज यह है कि कोई माननीय सदस्य किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बात बतलायें, तथ्य बतलायें, उस पर इन्क्वायरी की जरूरत हो तो इन्क्वायरी की जायगी, तहकीकात की जायगी।

श्री मदनसिंह :अपने स्तर पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी हो, कुछ नहीं होने वाला है। यह देखते आये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं, ठाकुर साहब, निवेदन करूंगा कि मैंने पांच सात तहसीलदारों को ससपेन्ड किया है। यहां की बात नहीं है, दूसरी जगहों पर गया था तो मैंने सस्पेन्ड किया है कई मामलों में। लेकिन वह अलग है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इतना पर्याप्त नहीं है। आपके पास रिपोर्ट आती है कि कितने केसेज में फैसले हुए और कितने फैसलों में फैसले बदले गय। वहां सैंट पर्सेन्ट बदलते हैं। रेवेन्यू के 107 और 145 के केसेज हैं, वह आगे जाकर सेंट असाइड हो जाते हैं। जितने पीरियड से वह वहां रहे हैं, चाहे रेवेन्यू का केस हो, चाहे क्रिमिनल केस हो, चाहे और किसी में फैसला हो जाय वह फैसले बदल गये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आप तो वकील हैं, फैसले बदल जाने की कोई दलील नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सैंट पर्सेन्ट बदल जाना इस बात का प्रमाण है कि वह करप्ट है। सारे फैसले बदलते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुनना चाहते हैं या नहीं। आप आखिर में फर्मा लीजिये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जिसके 75, 80 पर्सेन्ट फैसले बदलते हैं, चाहे क्रिमिनल केसेज हों, चाहे रेवेन्यू केसेज हों, 90 पर्सेन्ट फैसले बदलते हैं, रिवर्स होते हैं, उसको क्या कहेंगे ? क्या उसको आप एफीसियेन्ट एस० डी० ओ० मानते हैं ? क्या वह वहां रहने लायक मानते हैं ? उससे कितनी लिटिगेंट पब्लिक को परेशानी होती है। आपको इन्क्वायरी करवानी है तो ओपन करवायें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने घर में करवाने की बात नहीं कही। ओपन की बात कही है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : ओपन क्या होती है ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक मुद्दे पर क्यों करवा रहे हैं, हरएक केसेज में करवानी चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार बहस में चलें तो घण्टा भर यों ही चला जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 54 ए प्रोविजन बनाने के बाद सेक्शन 54 की क्या उपयोगिता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 54 की फिर क्या उपयोगिता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्यों, इसमें सक्सेशन पार्टिशन को कवर किया है, और ट्रान्सफर के लिए......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नो नो, सेक्शन 54 देखिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : 54 में यह है, इसमें यह है कि फ्रैग्मेंटेशन के नीचे आयेगी इसके लिए है । वोट देंगे, नीलाम कर देंगे, उसका......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सैकिण्ड, 54 उन केसेज के लिए है जहां पर पार्टिशन फ्रैग्मेंट करता हो, किन्तु मिनिमम एरिया प्रेस्काइब्ड है उसका पार्टिशन नहीं होगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : डिवीजन ऑफ होल्डिंग नहीं हो चाहे सक्सेशन का बहाना हो, पार्टीशन का बहाना हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार की इन्टेन्शन यह है, हम पार्टिशन और सक्सेशन, पार्टिशन बिलो दी मिनिमम प्रेस्काइब्ड–यह जनरल करना चाहते हैं तो सेक्शन 54 के बाहर करते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन 54 में यह है कि......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिनिमम से बिलो फ्रैग्मेंटेशन होता है तो पार्टिशन नहीं होगा । नहीं होगा ? यह प्रोविजन है 54 में ।

श्री रामकिशोर व्यास : उसे रिवाइज कर देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेक्शन 54 में अगर पार्टिशन में मिनिमम एरिया प्रेस्काइब्ड से कम होता है तो उसका पार्टिशन नहीं हो सकता है । डिविजन ऑफ होल्डिंग नहीं होगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी सुन लीजिये, 54 है, उसको बढ़ा रहे हैं और उसमें एक्सेप्शन किया है, वह पार्टिशन के लिए किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पढ़ देता हूं, एक सैकिण्ड में पढ़ देता हूं......

"Section 54 (1).—Whenever in any suit for the division of one or more than one holding the court finds that such division among the persons entitled thereto will result in shares of less area than the minimum prescribed under sub-section (1) of section 53, the court shall, instead of proceeding to divide the holding or holdings, direct a sale of the same and a distribution of the proceeds there of among such persons."

(श्री सतीशचंद्र अग्रवाल)

इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 53 के तहत जो पार्टीशन के अधिकार हैं, वह 54 में कोर्ट डिक्री ग्रांट करेगी कि मिनिमम प्रेस्काइब्ड एरिया से फ्रेगमेन्ट हुआ है तो जब सेल होगा तो म्यूटेशन का सवाल कैसे खड़ा होगा ? सेक्शन 54 में प्रोहिबिशन है। अगर आपकी मन्शा है आप पार्टिशन और डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स मिनिमम एरिया प्रेसक्राइब्ड से कम पर आप परमिट करना चाहते हैं तो सेक्शन 54 को डिलीट करें। अगर यह मन्शा नहीं है तो 54 रिडन्डेन्ट हो जायगा।

श्री मदनसिंह : अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टिशन होने के बाद कोर्ट में जायेंगे। लिटीगेशन होगा। हल कहां हुआ ? हाउ केन यू रिकन्साइल ?

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन 54 जो है वह तो मिनिमम से अगर कम है, चाहे सक्सेशन का हो, चाहे पार्टिशन का हो या ट्रान्सफर का हो, मोर्टगेज हो या सेल हो, सभी ग्राऊंड्स पर नहीं कर सकते हैं, बाकी पर यह लागू होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेक्शन 53 व 54 डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स का है। ट्रान्सफर का सवाल नहीं खड़ा होता "......the court shall, instead of proceeding to divide the holding or holdings, direct a sale of the same and a distribution of the proceeds there of among such persons." यह तो कोटेन्ट्स का डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स चाहता है उनके लिए आप एग्रीमेन्ट से करें, चाहे दावे में करें लेकिन 53 कहता है :

"(1) No holding shall be divided so as to result in holdings of less area than the minimum prescribed by the State Government for each district, or part of a district.

(2) A division of a holding shall be effected in the following manner:—

(i) by agreement between the co-tenants in respect of—

(a) such division of the holdings, and

(b) the distribution of rent over the several portions into which the holding is so divided.

श्री रामकिशोर व्यास : आपके और मेरे बीच में सिर्फ इतना अन्तर है कि मेरा कहना है कि सेक्शन 54.........

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आपका मतलब है सक्सेशन और डिवीजन के अलावा सेक्शन 54 लागू रहेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (श्री शंकरलाल से) : आप तो वकील हैं आप जानते हैं......

श्री शंकरलाल : मैंने तो कहा था सिलेक्ट कमेटी में, लेकिन आप माने नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पोइंट रह गया।

श्री मदनसिंह : यह सही बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : किसी के पास 100 बीघा जमीन है, उसमें से 10 बीघा जमीन ट्रांसफर कर देता है तो वह डिवीजन पर एप्लाइ करता है, एनामली नहीं है। प्रोवीजन साफ है। सेलिंग क्लाज है उसके लिए प्रोवाइडेड है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो कोटेन्ट्स हैं, आप सूट फाइल करते हैं। मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एरिया से कम होगा....

श्री शंकरलाल : पार्टिशन और सक्सेशन के अलावा भी हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैसे होगा?

श्री शंकरलाल : क्यों? पार्टीशन के अलावा भी डिवीजन हो सकता है। कन्डीशन्स दी हुई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सक्सेशन अलग चीज है। मैं पार्टिशन की बात कहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे ख्याल से Section 54 applies to division by courts.

श्री रामकिशोर व्यास: डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स।

श्री रामानंद अग्रवाल : ऑल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली थ्रू पार्टिशन और सक्सेशन।

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात और आपने कही थी सेटिलमेन्ट के बारे ....

श्री मदनसिंह : जनता को राहत आप देना चाहते हैं लेकिन यह कोर्ट में चैलेंज होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इतना बता दें कि सेक्शन 54 बदस्तूर कायम है?

श्री रामकिशोर व्यास : हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका प्रभाव बदस्तूर कायम है तो इसका मतलब मिनिमम एरिया प्रेस्क्राइब्ड से कम का डिवीजन नहीं हो सकता है।

श्री मदनसिंह : नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब कोर्ट नहीं देगी....

श्री शंकरलाल: ओन्ली इन केसेज ऑफ सक्सेशन एण्ड पार्टिशन। ज्यादा से ज्यादा 54 में सीलिंग, सक्सेशन और लगा दें। "ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ सकते हैं 54 ए। कन्डीशन्स दी हुई हैं कोटेनन्ट्स की सब-टेनेन्ट्स की। कोर्ट से जो सेल होगा....

श्री मदनसिंह : दो बिस्वा वाला आदमी अपना अधिकार नहीं कर सकता है अगर 54 है तो।

श्री रामकिशोर व्यास: 54A में साफ लिखा है:—

"54A. Restrictions on division of holding not to apply.—The restrictions imposed on division of holding under sections 53 and 54 shall not apply in matters of succession and partition."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब क्या हुआ? रेस्ट्रिकशन्स जो 54 में हैं वह सक्सेशन में और पार्टिशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
में दोनों में एप्लाई नहीं करेंगे। आप अगर होल्डिंग्स को पार्टिशन करना चाहते हैं तो 54 एप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब डिवीजन आफ होल्डिंग करना चाहते हैं? तो फिर 54 रिडण्डेट हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिवीजन आफ होल्डिंग्स सक्सेशन और पार्टिशन के अलावा भी हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पार्टिशन मीन्स डिवीजन ऑफ होल्डिंग।

श्री रामकिशोर व्यास : सक्सेशन और पार्टिशन के अलावा गिफ्ट कर सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: डू यू मीन ओन्ली फैमिली पार्टिशन? आपका पार्टिशन से क्या मतलब है? एक्स वाई ने जमीन खरीदी दोस्त से ....

श्री मदनसिंह : लेकिन फेमिली पार्टिशन थोड़ा ही है?

श्री रामकिशोर व्यास: अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वह फ्यूडलिज्म विचारधारा के हैं। माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं हैं जो इस बिल से संबंधित नहीं हैं। उनका जवाब तो बजट के समय लैंड रिफोर्म्स पर बहस के समय ही दिया जा सकता है लेकिन रूलर्स की बात आपने कही, आपने उदयपुर की मिसाल दी। मेरा निवेदन है इतनी बड़ी लड़ाई आजादी की कांग्रेस ने लड़ी, प्रिवी पर्सेज का मामला कांग्रेस ने उठाया है और जगह जगह लड़ाई लड़ी है। भरतपुर में कांग्रेस ने रूलर को हराया तो यह कहना कि उनके साथ काम्प्रोमाइज है, सही नहीं है। अब जो हमने लड़ाई लड़ी वह केपीटलिस्ट्स के साथ हुई है तापड़िया, सोमानी, बिड़ला वगैरह। अब निश्चित रूप से इन राजाओं से लड़ाई लड़ने की बारी है।

श्री मदनसिंह: वाट अबाउट साँघी एण्ड हिज हाइनेस काश्मीर?

श्री रामकिशोर व्यास: 8 रूलर्स ने रिट की है। इसका चेप्टर 2 व 4 हाईकोर्ट ने क्वाश किया। उस पर हम एक्शन नहीं ले सकते, हमने अपील कर रखी है। अपील जब एक्सेप्ट हो तब ही वह एक्ट किया हुआ ओपरेट होगा।

श्री मदनसिंह : मेरा एक सवाल है। 8 रूलर्स का आपने डिसिजन ले लिया। छोटे 2 जागीरदारों को उनके मुआवजे का इन्ट्रेस्ट मिले। सिद्धान्त की बात है.........

(व्यवधान)

थोड़ी खामोशी रखिये।

कोई स्टे लाये तब ही मानते हैं। नेहरू अवार्ड के लिये चार जागीरदारों को दे दिया और बाकी को कहा कि हाई कोर्ट में जाओ। वैसे रूलर्स को क्यों नहीं कहा?

श्री रामकिशोर व्यास : हमने तो उनको नहीं कहा कि हाई कोर्ट में जाओ। आप एग्रीव्ड होकर गये।

श्री मदनसिंह : छोटे जागीरदारों को आपने जाने के लिए कहा। आप समझे नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : आप हमारे फसले से असंतुष्ट थे ।

श्री मदनसिंह : चार जागीरदार स्टे ले आये उनको तो दे दिया, बाकी को हाई कोर्ट में जाने के लिये कहा । यही बात रूलर्स को क्यों नहीं कही ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बात तो सही है ।

श्रीमती सभानेत्री : दूसरा और विधेयक रखना है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टे तो आपने पहले लागू कर रखा था । सबको क्यों स्टे किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : चरागाह के बारे में एक सवाल था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उप-मंत्रीजी को कह दीजिये कि टिनेन्सी एक्ट में पार्टिशन का कोई सेक्शन हो तो बता दें ।

श्री रामकिशोर व्यास : चरागाह के लिए आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर्स को यह अधिकार दिया है कि जहां पर वे ठीक समझें, व्यवस्था को देखते हुए चरागाह को रिलीज कर सकते हैं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर के सेटलमेन्ट का क्या जवाब है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कह दिया था आपने सुना नहीं ।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज़ ।

श्री केसरीसिंह हाडा : बूंदी जिले में यह नामांकन कैसे बन्द हो गये इस बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी संशोधन विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें (हां)

जो विरोध में हो वे 'ना' कहें ।

'ना' की ध्वनि'

श्री मदनसिंह : डिप्टी मिनिस्टर साहब ने 'हां' कहा है ।

श्रीमती सभानेत्री : ना पक्ष जीता ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

खण्डशः विचार ।

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 पर खण्डश: विचार

श्रीमती सभानेत्री : खण्ड 2 । श्री केसरीसिंह हाड़ा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, क्लाज बाई क्लाज यह चल रहा है । राजस्व मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहता हूं कि पार्टीशन वर्ड का कोई सेक्शन है क्या सिवाय 53,54 टिनेन्सी एक्ट के ?

खण्ड 2

श्री केसरीसिंह हाड़ा : समानेत्री महोदया, खण्ड 2 में मेरा निम्नलिखित संशोधन है:

In line three of Section 54-A, sought to be inserted after section 54 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955,

after the word "succession" and before the words "and partition" the following expression shall be inserted:—

"including succession according to Hindu Law, will, gift."

समानेत्री महोदया, अभी जो मैंने बहस में जिक्र किया था उसका तो उत्तर दिया नहीं कि नामांकन जब सारे राजस्थान में लागू कर रहे है तो बूंदी में क्या कारण है इसको बन्द कर दिया गया । इसके लिये माननीय मंत्रीजी के पास कोई उत्तर नहीं है ।

खण्ड 2 में जो संशोधन है मेरा उसका तात्पर्य यह है कि पार्टीशन और सक्सेशन यही नहीं होता है केवल कि लड़के के नाम पर ही हो । पार्टीशन बेटों के नाम पर न हो ऐसी बात नहीं है । और भी इत्तिफाक हो सकते हैं । किसी के कोई बच्चा न हो । उस जमीन का बंटवारा विल के जरिये कर दे और मरने के पहले गिफ्ट कर दे वह भी उसमें जोड़ा जाना उचित होगा इसके अतिरिक्त सक्सेशन में अगर किसी के लड़का नहीं है, और लड़की है तो उसको भी इसमें राइट मिलना चाहिये कि वह भी उस अपने पिता की जायदाद में अधिकार पा सके ।

ये दो बातें और इसमें जोड़ दी जावे तो काश्तकार को काफी राहत मिल सकेगी । इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मनोहरसिंह मेहता ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं वे मुझे स्वीकार नहीं है । आपके इस संशोधन के मानने से इसका दायरा विस्तृत हो जावेगा, हम इसे काफी सीमित दायरे में ही रखना चाहते हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केसरीसिंहजी, आप इसे वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री केसरीसिंह : वापिस लेने के लिये थोड़े ही रखा जाता है ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री केसरीसिंह हाड़ा ने जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड दो में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 पारित किया गया ।

खण्ड 3

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मेरा संशोधन तीसरे खण्ड में भी है जो इस प्रकार है:–

In lines third and fourth of the clause the words "Twelve years" shall be substituted by the words "Three and half years."

सभानेत्री महोदय, राज्य सरकार के संशोधन करने के बाद संशोधन कानून बन जाने के बाद कुछ विचार आया करता है । जैसे कि नामांकन का जो विचार सरकार का हुआ है कि काश्तकारों को राहत दिलाई जावे । वह इतने साल बाद उनका दिल पिघला है । इस प्रकार इस खण्ड में 12 साल की अवधि बढ़ाई गई है । इसका तात्पर्य क्या है ? यह तो मैं समझ नहीं पाया पर एक तात्पर्य यह है कि जो शिड्यूल्डकास्ट के या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं वे किसी को अगर अपनी जमीनें दे देते हैं या सबलेट कर देते हैं तो तीन साल में वापिस उनको अधिकार मिल सकता था, वह अब बारह साल कर दिया जावेगा । मगर इस कानून के अन्दर और जो अभी संशोधन किया जा रहा है उसमें काफी अरसा बीत गया है और उसके दरमियान में जिन लोगों ने जमीनें बेच रखी हैं और जिन्होंने खरीद ली हैं उसके अन्दर खरीदने वाले ने जो भी उसके अन्दर इम्प्रूवमेन्ट कर लिया है आखिर उसका क्या होगा ? तो इस पर विचार करना चाहिये । आखिर इसका कोई अन्त आना चाहिये । या तो सरकार यह कहे कि इसको परमानेन्ट फीचर बना दिया जावे कि यह सदा के लिये यह रहेगा या इसमें यह परिवर्तन लाना चाहिये कि जो जमीनें पहले बिक चुकी हैं उसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेन्ट कर दिया गया है तो उसको वापिस नहीं लिया जावेगा । वरना जिन्होंने जमीनें खरीद ली हैं और इम्प्रूवमेन्ट कर दिया है उसके साथ काफी हार्डशिप होगी । इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री दिग्विजयसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी एक ही वजह थी कि 175 में ट्रान्सफर इल्लीगल है उनको सैट असाइड कर सकते हैं अप्लाई करके । शिड्यूल्डकास्ट और ट्राइब्स के लोगों को जमीनों को नॉन शिड्यूल्डकास्ट या ट्राइब्स को बेजा करार दिया है । पर अक्सर देखने म आता है कि तीन साल का अरसा गुजर जाता है और सरकार उसको रिमाण्ड नहीं कर पाती । ट्रेस पासर्स के लिये भी 12 साल की मियाद है तो इस वजह से भी इसको 12 साल रखा है ।

आशा है इस स्पष्टीकरण के बाद आप अपना संशोधन वापिस ले लेंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन श्री केसरीसिंह हाड़ा द्वारा पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड चार को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड चार स्वीकार किया गया ।

अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना और नाम ।

प्रश्न यह है कि इस बिल के अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना और नाम को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड के अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना और नाम स्वीकार किये गये ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक): सभानेत्रीजी, इस के विरोध में जिस प्रकार के टैक्निकल ओब्जेक्शन्स जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रेज किये और जिस प्रकार का भ्रम इस सदन में पैदा किया गया कि यह सीलिंग के लॉ को डिफीट करने के लिये अमेण्डमेन्ट लाया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि यह कतई गलत है ।

सरकार ने सीलिंग का लॉ बनाया । यह ठीक है कि उसे ढंग से लागू नहीं किया गया । अब इसके पीछे नीयत कैसी, क्या थी, यह अलग प्रश्न है ।

अब सीलिंग से जो प्रभावित होने वाले थे उनमें ज्यादा जमीनों वाले राजा महाराजा, जागीरदार, बड़े बड़े फार्मों वाले वे लोग थे । पर उनको मौका दे दिया गया कि वे अपनी अधिक जमीनों को ट्रान्सफर कर दें ।

श्री मदनसिंह : वाट अबाउट दी पण्डित्स ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब सीलिंग का कानून पास किया गया था तब भी जानते थे कुछ लोग कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है । इसमें खास कोई दम नहीं है । यह आशा भी नहीं करते थे कि इससे कोई भूमिहीनों को काफी जमीनें मिल जावेंगी । इस बारे में इसके पहले भी मैंने सदन में निवेदन किया था । अब विरोधी पक्ष वाले बार बार इसे दोहराते हैं, इसके पीछे भी राज है ।

सरकार ने कलेक्टर, एस० डी० ओ०, तहसीलदार और सारे विभाग को आदेश दिया कि इसे फौरन लागू कर दो । अब क्या होता है कि जिन पर यह लागू होना चाहिये था बड़े बड़े राजा, महाराजा या जागीरदारों पर वे तो अपनी जमीनों का ट्रान्सफार कर चुके । अब कौन बचा ? वह गरीब गांव का काश्तकार जो एक सामूहिक परिवार के रूप म पीढ़ियों दर पीढ़ियों से अपनी जमीन जोतता आ रहा था बाप दादों के नाम पर जिनके खेतों के पट्टे थे, जिनमें एक एक परिवार में बीस बीस, तीस तीस आदमी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

थे और जिनकी खातेदारी एक आदमी अपने बाप दादा के नाम पर चली आ रही थी। ऐसे लोग इस कानून के चक्कर में फंस गये। सैकड़ों की तादाद में ऐसे गरीब किसानों को नोटिस दे दिये गये। इससे ग्रामीण हल्के में बड़ी खलबली मची। उनको इस कानून का ज्ञान नहीं था वे बड़े बड़े तो बच गये। उन्होंने ट्रान्सफर कर कराकर अपनी जमीनें बचा लीं और इन कानून के फंदे से भी बच गये, जिनके लिये यह फन्दा वास्तव में था वे तो बच गये, उल्टे गरीब किसान फंस गये। चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग जब गांवों में पहुंचे तो यह समस्या सामूहिक रुप से हमारे सामने भी आई। सरकार ने इसे समझा। सैकड़ों की तादाद में इन को जो नोटिस दे दिये गये थे उनको विथड्रा किया। करप्शन भी हुआ इस में काफी सीमा तक। पर इसके मेन शिकार अधिकांश में गरीब काश्तकार हुए। जिनकी शामिल में खेती थी। वे अखबार पढ़ते नहीं, कानून के जानकार नहीं। किसी ने कानून की जानकारी उनको कराई नहीं।

श्री मदनसिंह : आप लोग देते, चुनावों में ही सम्भालते हैं आप तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप भी और हम भी। मुख्य बात से डाइवर्ट करने की कोशिश न करिये। तो मैं कह रहा था कि जिनको कानून की जानकारी थी वे तो बच गये पर अनपढ़ गरीब काश्तकार जिसको इस कानून की जानकारी नहीं हो पाई वे फंस गये। तो इस अमेण्डमेन्ट से उनको बचाना चाहते हैं। आधों को तो नुकसान हो चुका है। उनसे तो पैसा लेकर केस विथड्रा हो चुके हैं।

सीलिंग की दिलचस्प कहानी है जो मैं निवेदन करना चाहूंगा। जब पहले यह तै किया गया कि प्रैस्क्राइब्ड लिमिट से कम कोई ट्रान्सफर न कर सके तो बहुत से जागीरदारों ने क्या किया कि काफी अरसे पहले गरीब काश्तकारों को अपनी बहुत सी जमीनें बेच दीं और पैसा वसूल कर लिया। कब्जा उनको दे दिया पर खातेदारी उनके नाम से कन्टीन्यू रही। पर जब सीलिंग की कानून की बात सामने आई और घोषणापत्र प्रस्तुत किया कि हमारे पास इतनी इतनी जमीनें हैं तो जो गरीब किसानों को बेच दी थी और पैसा ले लिया था, उस जमीन को भी अपनी बता दी, बताते ही क्योंकि खातेदारी उनके नाम से कन्टीन्यू थी और उसे सरप्लस बता दी कि वह सरप्लस है, वह ली जा सकती है। उस जमीन के लिये जो लोग उस पर काबिज काश्तकार थे, उन लोगों को ट्रैसपासर मान कर नोटिस इश्यू हो गये और उस जमीन का मुआवजा जागीरदारों को मिलने की तैयारी होगी और महज फ्रेगमेन्टेशन को रोकने के लिये इस कानून का शिकार गरीब काश्तकार हो गये और साथ में उसका मुआवजा भी जागीरदारों को मिलने लगा और जब कि उस जमीन को उन्होंने बेच खाई।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गलत परम्परा है। फ्रेगमेन्टेशन होने से काश्त नहीं होगी, जमीन खराब हो जायेगी तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब काश्तकारों के पास जमीन आयेगी कहां से। रेगुलराईज करने से आम हालत क्या हो रही है? जिनके पास पैसा है उनके पास जमीन बढ़ती जा रही है और जिनके पास ज्यादा जमीन है उन्होंने उसको बेच दी है, गरीब आदमी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नें उस जमीन की कीमत चुका दी है। परन्तु उसके पास आज कोई रास्ता नहीं है। अदालत में जाकर वह दावा नहीं कर सकता है। और उसका खातेदार वही बड़ा आदमी है। 100 बीघा जमीन है। उसके पास कोई कानूनी राहत नही है और उस गरीब आदमी को आप उस जमीन से फेंक सकते हैं। म यह निवेदन करूंगा कि इन हालतों के अन्दर, आखिर ऐलाटमेन्ट के अन्दर भूमिहीन के पास, गरीब काश्तकार के पास जमीन नहीं पहुंचती है, तो यह एक गलत परम्परा है। वह गरीब काश्तकार दो-चार बीघा जमीन ही खरीद सकता है। गांव का रहने वाला है। 150 बीघा जमीन रखने की उसकी हैसियत नहीं है और उसके ऊपर उसका मालिकाना हक नहीं होता हैं। इसलिये यह बड़ी इम्पारटेन्ट और पब्लिक इन्टेरेस्ट की बात है कि जमीन जो जोते उसकी हो। जब तक जमीन के जोतने की परिभाषा नहीं बदली जायेगी तब तक इससे–इस कानून से बचने के लिये एक सौ एक गलियां निकाली जाती रहेंगी। सुपरवीजन, बाद वे ऑफ लेबर के नाम से जो जमीन को जोतता है उसकी जमीन हो सकती है। और जो जमीन खरीद सकता है, ट्रेक्टर को खरीद सकता है, वही आदमी जमीन रखेगा और जो आदमी गरीब है, जो जमीन को जोतता है, उस पर मेहनत करता है, उस पर धान पैदा करता है वह जमीन का मालिक नहीं होता है। तो इसके लिये परिभाषा के परिवर्तन की आवश्यकता है। एक गरीब आदमी की तकलीफ को आखिर में हमारी राज्य सरकार ने कदम उठाया है। जो लोग यहां पर सीलिंग कानून को लागू करने की बात कहते है, वे दरअसल यह चाहते हैं कि राज्य सरकार इस कानून की मार्फत गरीब काश्तकारों से लड़ें। जनसंघ के नेता जो कि रिएक्शनरी है, वह इस बात को उछाल उछाल कर यहां पर कह रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने जो बड़े भूमि वाले हैं सीलिंग कानून से बचने की गली निकाल ली है और जो बचे हैं वे गरीब हैं। जिनके पास में जमीन है वे बीस बीस परिवारों के बीच में हैं। इसलिये उनके सामने समस्या है और ये लोग उन आदमियों से सरकार को लड़ाना चाहते हैं। ये रिएक्शनरी लोग हमारी राज्य सरकार को गरीब काश्तकारों से लड़ाना चाहते हैं। उनकी इस साजिश को हमें समझना है। राज्य सरकार को चाहिये कि इन चुनावों के बाद काश्तकारों में वह बहुत रिवोल्यूशन चेन्जेज लायें और जैसा मैंने अभी यहां पर निवेदन किया है, कृषक की खुद काश्त करने की परिभाषा को बदलना चाहिये और इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट आना चाहिये और जो बड़े राजा महाराजा हैं, पैसे वाले हैं जिनके पास अधिक जमीनें हैं, उन पर कुठाराघात करना चाहिये, उनके इन्ट्रेस्ट पर अटेक करना चाहिये और उससे गरीब आदमियों के उपर राहत पहुंचाना चाहिये और यदि राज्य सरकार इन बड़े लोगों के खिलाफ, इन पैसे वालों के खिलाफ कानून नहीं बना सकती है तो कम से कम मध्यम श्रेणी के लोगों के खिलाफ गरीब लोगों के खिलाफ इन प्रोग्रेसिव कानूनों का नाम लेकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिये और यह कानून लागू करना चाहती है तो बड़े लोगों के खिलाफ लागू करना चाहिये। सरकार को राजा महाराजाओं के खिलाफ......

एक माननीय सदस्य : आपके उधर भी नवाब साहब बैठे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हमारे इधर नवाब साहब बैठे हैं तो वे नवाब की हैसियत से नहीं बैठे हैं और नवाब की हैसियत से बैठे हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। वे साधारण कांग्रेसमेन की हैसियत से बैठे हुए हैं और एक साधारण आदमी की हैसियत से बैठे हुए है और जहां तक नवाब लुहारू या कोई मिनिस्टर या कोई कांग्रेसमेन हो और चाहे उसके साथ भी इस जमीन का सवाल हो तो वह खुद जमीन को जोतता है तो ठीक है और ज्यादा जमीन है, बेकार पड़ी है तो मेरा यह निवेदन करना है कि उनके लिये भी एक कानून होना चाहिये और जो खुद जमीन को जोतता है उसको ही जमीन सरकार दे। साधारण किसानों को बीज खरीदने के लिये, कुएं के लिये और खेती के अन्य साधन मुहैय्या करने के लिये राज्य सरकार आवश्यक सहायता उपलब्ध करें। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि जनता की समस्या को हल करने के लिये सरकार के जो उद्देश्य हैं......

श्री रामचन्द्र आर्य : कांग्रेस के कई मिनिस्टर राजा से अधिक बन कर बैठे हुए है ?......

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आप गलत समझ गये हैं। सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार चुनावों के दौरान राज्य सरकार का जनता से सम्पर्क होता है और राज्य सरकार को भी इस बात का अन्दाजा हो गया है कि गांव की जनता किस प्रकार से संकट में हैं सीलिंग कानून की वजह से और किस प्रकार से एस०डी०ओ०, पटवारी और दूसरे अधिकारियों ने मिलकर इस कानून को तमाशा बनाया है उस बात से जागरूक होकर सरकार जिस प्रकार का यह अमेन्डमेन्ट ला रही है, उससे उसने आम जनता की कठिनाई को समझ लिया है। हम कोई भी काम करें वह ऐसा हो जो गरीब और अमीर की खाई को मिटाये और समाजवाद को लाये तो अच्छा हो और समाजवाद को नहीं लाये और उसके नाम पर गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों को यह ब्यूरोक्रेसी बर्बाद, परेशान करे तो उसके ये द्वार सरकार को बंद करना चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सभानेत्री महोदया, मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं। जो अमेन्डमेन्ट यह लाया गया है वह सही है और जो आपने अभी कहा, यह चुनाव जो हुआ है उसमें अबकी बार आपको वास्तविकता देखने को मिली है। आज तक 22 साल से आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और आपने वोट भी घर बैठे लिये हैं। अब की बार आपको सही स्थिति का पता लगा है। जो काश्तकार वर्ग है वह गरीब है जिनके पास पांच पांच सौ बीघा जमीन है वह वास्तव में गरीब है क्योंकि वास्तव में वह सारी जमीन उनकी नहीं है सारे परिवार की है। वे कानून को नहीं समझते हैं इसलिए उन्होंने उसका इन्द्राज नहीं कराया है। और अगर कानून को समझ लेते तो वे भी अलग अलग इन्द्राज करा लेते और सीलिंग के कानून में नहीं आते। प्रैक्टिकली रूप से उनको इस अमेन्डमेन्ट से फायदा होगा। यह निश्चित बात है कि कम से कम 22 वर्षों में इस बार आप काश्तकारों की आवाज को उठा रहे हैं। मेरे इलाके में भी ऐसे एसे काश्तकार हैं जो पीढ़ियों से काश्त करते चले आ रहे हैं और जमीन

(श्री मदनसिंह दांता)

उनके दादा की है जो मर गयें हैं और परिवार में दस दस आदमी हैं । एस० डी० ओ० ने उनको सीलिंग के कानून में जकड़ लिया परन्तु वास्तव में यह अलग अलग खानदान है परन्तु उनका एक ही सैटलमेन्ट है वह मरे हुए के नाम पर है इसलिये सीलिंग का नोटिस उनको मिल गया है। इसलिये जो मध्यम श्रेणी के काश्तकार हैं वे साफ तौर से इस अमेन्डमेन्ट का फायदा उठायेंगे । सभापति महोदय, अगर किसी के पास 500 बीघा. जमीन है और वह खुदकाश्त करता है ठीक है किन्तु बिड़ला, तापड़िया के पास जो जमीन है और वह ट्रैक्टर पर बैठ कर फार्म पर घूमता है वह कोई खुदकाश्त नहीं है । इस तरह से तो वे सौ जगह बैठ कर काश्त कर सकते हैं । इसलिये इस प्रकार के काश्तकार को रोकने के लिये या तो उसकी इनकम पर सीलिंग लगे और जब तक इस पर सीलिंग आफ इनकम नहीं होगी तो यह मसला हल नहीं होगा ।

(3.35 म०प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : सभापति महोदय, यह जो हमारा बिल पेश किया गया है उसको मैं कई अंशों में समर्थन करती हूं और अुमोदन करती हूं यह जमीन के टुकड़े फ्रगमेन्टेशन के नाम पर उसकी मन्जूरी नहीं देते है उसके फलस्वरूप पारिवारिक कलह भी बढ़ता जाता है। एक बाप के चार बेटे तो उनको कई तरह की दिक्कत होती है इसलिये यह एक ठीक कदम है जिससे छोटे छोटे काश्तकारों को जिनका कि वाकई में परिवार का बंटवारा हुआ है उनको फायदा पहुंचेगा इस तरह का जो कानून लाया गया है । इस तरह के एक नहीं अनेक कानून टिनेन्सी कानून में, इस एक्ट में आज भी लाने की जरूरत है । आज यह कानून एक जंजाल बना दिया गया है । इसमें इतनी तरह के संशोधन है, इतने कानून बना दिये हैं कि शायद ही टेनेन्सी एक्ट का कोई एक अच्छा जानकार इन संशोधनों से, सारे कानूनों से वाकिफ हो जबकि बड़े बड़े विद्वान ऐसे उलझ जाते हैं जैसे जानवर जंगल में फंस जाते हैं। जो हमारे छोटे छोटे अफसर हैं– तहसीलदार, पटवारी आदि इन कानूनों की कई तरह की डिफिनेशन निकालते हैं । इन कानूनों में बहुत कुछ गलफहमी पैदा कर देते हैं । आज आम किसान के सामने कितनी तरह की दिक्कतें आ रही है मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी जो कुछ कायदे कानून बनाने हैं एक दफा बना लें चाहे उसमें देर लगे । हर आदमी उसको समझ सके, रोज नये नये कानून बनते हैं और रोज नये नये संशोधन होते हैं । कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती हैं और उनके लिये रोज नई नई बातें आती है तो उसके लिये परेशानी का कारण बन जाती है । आप एक दफा चाहे दो महीने ले लें, चाहे चार महीने ले लें लेकिन हमारे कानूनों को आईने के माफिक रखें । उसमें किसी प्रकार का संशोधन बार-बार न होता रहे । हमारे गॉव के लोग कानूनों से वाकिफ नहीं हैं इसलिये साफ और स्पष्ट

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत)

कानून बनाया जाय । आज छोटे छोट अफसर. उनको कानून में उलझा कर भ्रष्टाचार इतने जोर-शोर से फैला रहे हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगी आप अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको रोकिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ताकत की जरूरत नहीं है ।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : सभापतिजी, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट... मेरे को इजाजत है न ?

श्री सभापति : आप बोलिये ।

श्री जगन्नाथ : राजस्थान टिनेन्सी एक्ट जो कानून बना और कानून को लागू करने की राजस्थान सरकार ने सन् 1955 से ही इसके नियम बनाने शुरू हुए और इस नियम का पालन, कानून का पालन जबसे किया है तब से पूरा नहीं हुआ है । यह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट कानूनन किसान पर बहुत असर किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट से पहले किसान जमीन का मालिक नहीं बनता था......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज भी नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मालिक सरकार है ।

श्री जगन्नाथ : मेरा अर्थ है मैं टोंक तहसील का काश्तकार था और सन् 1947 के पहले इस जमीन को मैं काश्त करता था लेकिन वह जमीन मेरी किस्मत बिगड़ी और कुछ कमजोरी थी वह जमीन मेरे हाथ से निकल गई । अब वह जमीन जागीरदार, नवाब दूसरों से काश्त करवाते हैं । इसलिये राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बहुत अच्छा बना है लेकिन इसका पालन नहीं हो सका । इस कानून का मैं स्वागत करता हूं और जो बंटवारा किया जाना था यह छोटा छोटा वह किसान के हित में नहीं है । आज इस एक्ट से किसान को बड़ा फायदा है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा उसके बाप के नाम जमीन है और बाप के नाम.....

(विराम)

श्री सभापति : बोलिये ।

श्री जगन्नाथ : बाबा के नाम जमीन है, बाप काश्त कर गया और मर गया और अब बेटा काश्त कर रहा है लेकिन नाम अभी भी बाबा के है और अब बेटा यह सोचता है मैं भी चला जाऊंगा और यह जमीन मेरे बाबा के नाम ही रह जायगी । यह मिसाल के तौर पर बात कही है। ऐसे कम से कम टोडा तहसील के अन्दर 14 हजार काश्तकार हैं जिनमें एक बीघा से लेकर 10 बीघा तक जमीन है । जमीन उनके खाते हुई ही नहीं है और ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है चाहे वह कोई ट्रेस पास हो या कोई और हो । पटवारी लोग नहीं लगाते है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में काश्तकार अपनी लगानी भूमि का मालिक है उसमें पक्का मकान बना लेगा तो उसके कोई पैनेल्टी नहीं लगे लेकिन पटवारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं काश्तकार को ताला रखने के लिये कोई बाड़ा वगैरह नहीं है । उसने अपने हक में बाड़ा बना लिया तो उस पर पैनेल्टी हो गई । इसलिए इस कानून को बनाकर इसको लागू कर दिया जाय ।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : सभापति महोदय,...

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री विट्ठल भाई : यह कानून जो टिनेन्सी एक्ट का लाये हैं उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन इस विधान सभा में कई मर्तबा सुझाव भी रखा था इस कानून के तहत हमारे जिले में जो किसान है उनको काफी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों के कारण न तो भूमिहीन किसान को भूमि मिली और न जो सुविधायें है गवर्नमेन्ट की तरफ से अदिवासी क्षेत्र होने के नाते वह मिली। लकड़ी के जंगलों के लिये, मकानों के लिये जो सुविधा थी वह नहीं मिल पाती थी, तकावी वगैरह की सुविधा नहीं मिलती थी। मैं निवेदन करूं बांसवाड़ा जिले में, हमारे यहां सीलिंग का सवाल ही नहीं है। इने गिने दो चार पच्चीस आदमी इस सीलिंग में आ सकते हैं क्योंकि वहां कोई बड़ी जमीन नहीं है, छोटी जमीन है और छोटी जमीनों पर 80 परसेन्ट ज्वाइन्ट खाता होने के कारण सभी भूमिहीन माने जाते थे वे नाजायज कब्जा करते रहे है और पैनेल्टी भरते रहे हैं। अभी 10 बीघा की भूमि तक सरचार्ज माफ किया है लेकिन मैं निवेदन करूं मंत्री महोदय, उस जिले के लिये स्पेशल कुछ ऐसी व्यवस्था रखें क्योंकि वह आदिवासी इलाका है, अनपढ़ लोग है और जो वहां पर ज्वाइन्ट खाते हैं तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर को इमदाद की जाय अलग अलग करने के लिये। उन क्षेत्रों में जाकर खातों को अलग अलग करने की कार्यवाही करें और जो सुविधा है वह दी जाय न कि एक तरफ आप कानून बना दें। कानून बनाने से ही काश्तकारों को पूरी जानकारी नहीं रहेगी। जिले में जाकर अलग करने की कार्यवाही करें। इसलिये जहां पटवार घर है वहां तहसीलदार जाकर अलग खाता करने की कोशिश करे यही मेरा सुझाव है। यह जल्दी से जल्दी करना चाहिये क्योंकि बहुत बरसों से पिछड़े हुये हैं। बहुत जल्दी होना चाहिये। कानून बना दें और लागू न करें वह भी आपके लिये अच्छा नहीं रहेगा। आपके इस कानून के लिये तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसमें जल्दी करें तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल रहेगी।

श्री सभापति : राजस्व मंत्री जी।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य जो भी बोले हैं सभी ने इसको स्वीकार किया है और एक अच्छा कानून बताया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान बालक संशोधन विधेयक, 1971।

श्री बी० एन० जोशी।

औचित्य प्रश्न

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर) : सभापति महोदय ये प्रस्ताव रखें उससे पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और मेरी व्यवस्था का भी प्रश्न है। मंत्री महोदय,

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 विचारार्थ रखने वाले हैं इसके पहले मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जो शुरू में सदन के सम्मुख बिल विचारार्थ रखा था और जैसा कि विचार करने के पश्चात् सदन ने उस बिल को पास किया तो उस समय इसका खण्ड 50 है उसमें 488 लिखा हुआ है और उसी रूप में सदन ने इसको पास किया और सभापति महोदय इसको ऑथेन्टिक करते हैं स्पीकर महोदय, मूल एक्ट में भी 488 होगा और राज्यपाल महोदय ने भी उसी रूप में इस बिल को स्वीकृति दी। प्रिन्टिंग एरर को मान लें कि 488 की जगह 88 छप गया या कुछ और छप गया है तो आगे उस संशोधन के लिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या हाउस में उसको लाना था या उसको सिर्फ प्रिन्ट करा के ठीक किया जा सकता था। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि जो बिल आया उसमें ठीक था या नहीं और जिस रूप में बिल पारित किया गया उसमें भी ठीक था या नहीं। क्योंकि कोई प्रिन्टिग एरर रह जाती है तो विधान सभा की कार्य प्रणाली के नियम 87 के तहत स्वयं स्पीकर महोदय उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब बिल पास हो जाता है तो स्पीकर महोदय उसको ऑथेन्टिक करते हैं 93 के तहत और उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास वह प्रेषित हो जाता है तो उन प्रतियों में यह बिलकुल करेक्ट है और केवल प्रिन्टिग के समय में एरर हो गई है तो क्या यह आवश्यक है कि उसको यहां सदन में लाकर उस पर विचार करके और उसमें अमेन्डमेन्ट करना पड़े? जिस रूप में बिल पास हुआ है वह जब बिलकुल करेक्ट है तो आप क्या करेक्ट करवाना चाहते हैं? यही मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री समाज कल्याण): सभापतिजी, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें 488 लिखा हुआ है, सम्भवतः उन्होंने उसके इंग्लिश वर्शन को ही देखा है क्योंकि सदन की भाषा केवल हिन्दी ही है और इसलिए हिन्दी वरशन को ऑथेन्टिक माना जाता है। और हिन्दी में दुर्भाग्य से 488 की बजाय 88 रह गया है। असल में 488 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हवाला बिल में आया था उसकी धारा 50 में और वहां 488 की जगह 88 रह गया और 4 शब्द निकल गया। रूल्स ऑफ बिजनैस का जो रूल 87 है उसमें सभापति महोदय, स्पीकर महोदय भी उसको दुरुस्त कर सकते थे और यह मामूली सी मुद्रण की भूल थी। अब चूंकि वह स्टेज निकल गई और उसके बाद में राज्यपाल महोदय की स्वीकृति इस पर हो चुकी और उसके बाद में कोई एरर रह गयी है तो उसको करेक्ट करने की कॉम्पीटेन्स स्पीकर महोदय को नहीं रहती है लिहाजा वह स्टेज निकल जाने के बाद एक ही विकल्प रह गया है कि हाउस में ही एक अमेन्डिंग बिल लाकर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदन की अनुमति से ही यह संशोधन हो सकेगा अन्यथा नहीं।

श्री सभापति: मेरे ख्याल से जो स्पष्टीकरण किया मंत्री महोदय ने वह काफी है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आई विथड्रा।

राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार

श्री बी० एन० जोशी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

श्री रामचन्द्र आर्य, श्री वृद्धिचन्द्र जैन, श्री हरिवल्लभ शर्मा ने प्रस्ताव किया कि

"राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परीचालित किया जाये।"

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, जहां तक प्रिन्टिंग एरर को ठीक करने का प्रश्न है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसकी तो मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हुं लेकिन मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है वह कुछ बातें कहने के लिये रखा है क्योंकि राज्य सरकार के कदम प्रगतिशीलता के नाम पर बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं कानून बनाने के लिए लेकिन जहां उनकी क्रियान्विति का प्रश्न आता है वहां यह बिलकुल हाथी की चाल चलते हैं वह तो धीरे धीरे और जैसी कि पहले भी माननीय सदस्य बहुत चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं यह बात बिलकुल सही है कि इन कानूनों पर अमल होता नहीं है और अगर अमल होता भी है तो बड़ी गलत तरीके से और जिनके लिए कानून बनाया जाता है और जिनके हित के लिये कानून बनता है उनको फायदा नहीं होता। मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को अधिनियम के अन्तर्गत जो पावर्स डेलीगेट की गयी है उनके तहत किस किस बोर्ड का कान्सटीट्यूशन सरकार ने कर दिया है, कहां कहां चिल्ड्रन्स होम खोले गये हैं कहां वहां उनकी व्यवस्था की है और भी राज्य सरकार ने जो नियम बनाने के पावर्स दिये हैं उनके तहत क्या नियम बना दिये हैं? क्या आपने इस कानून को अच्छी तरह से क्रियान्वित करने के लिए कोई प्रगति की है? कृपया मंत्री महोदय इसकी सूचना देने की कृपा करें।

मैं इसी अवसर का लाभ उठाते हुए सभापति महोदय, मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की अभी वित्तीय स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि जिससे आप इस कानून को सारे जिलों में लागू कर सके और इसी कारण अभी दो ही जिले चुन हैं कि जहां आप यह कानून लागू करना चाहते हैं तो दो जिलों में जब आप कानून लागू करना चाहते हैं और उन्हीं के लिए क्षेत्रीय बोर्ड बनायेंगे तो बाकी के जो उपेक्षित बालक हैं वे बाकी जिलों में

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

जितने हैं वह उसी प्रकार से रहेंगे तो मेरा सुझाव यह है कि कम से कम आप नियम बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब तक आप पूरे राजस्थान में इस कानून के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकें उस समय तक उन बोर्ड्स को ऐसे पावर्स जरूर हों कि जो उपेक्षित बालक हैं उनकी ट्रायल या जैसे चिल्ड्रन होम में उनको एडमिशन दूसरे जिलों वालों को भी मिलें और इसका लाभ मिल सके इसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जब तक कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस कानून को लागू नहीं कर सकें तब तक यह लाभ दूसरे जिले वालों को भी मिल सके यह मेरा कहना है। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में और थोड़ा प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा हो।

श्री बी० एन० जोशी : सभापतिजी, माननीय सदस्य ने प्रस्तुत बिल पर बोलते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रगतिशील कानून लाने और पास करने में काफी जल्दबाजी करती है लेकिन क्रियान्वित करने के बारे में कोई कारगार कदम नहीं उठाये जाते और जैसा आपने कहा कि बहुत ही मन्द गति से चलने की रफ्तार रहती है तो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस सदन में जब यह बिल पास हुआ था उसके बाद में सरकार ने इसकी क्रियान्विति में कितना सक्रिय और कारगर कदम उठाये उन सबको देखते हुए नहीं कह सकते कि कोई बहुत धीमी रफ्तार है ....

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या क्या हुआ है बताय।

श्री बी० एन० जोशी : तो मैं आप को बताना चाहता हूं कि सदन से पास होने के बाद और गवर्नर महोदय की अनुमति के बाद इस बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया और वहां से आने में इसको 4 महीने का समय लग गया। क्योंकि यह बिल दूरगामी और प्रगतिशील और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था इसमें असलियत में भारत सरकार के तीन-चार मंत्रालयों में इसकी स्क्रूटिनी की गयी क्रिमिनल प्रोसीजर कांड के अन्दर एक प्रकार से अमेन्डमेन्ट करने का, यहां तक कि जुवेनाइल आफेण्डर्स की ट्राइल करने का सवाल है, इसलिए होम मिनिस्ट्री का भी इसमें दखल था। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय को भी इसे देखना था। फाइनेन्सियल इम्प्लीकेशन्स भी इसमें है, इसमें बहुत सा खर्चा होगा इसलिए फाइनेन्स मिनिस्ट्री को भी देखना था। इसके अलावा सेन्ट्रल लाज का सवाल था, एवीडेन्स एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड इन सबकी दृष्टि से ला मिनिस्ट्री को स्क्रूटि करनी थी..

श्री केदारनाथ : एजूकेशन मिनिस्ट्री का भी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसलिए तीन चार अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अन्दर जाकर इसकी स्क्रूटिनी हुई, और वह सारी फार्मलिटीज पूरी होने के बाद में राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति की औपचारिकता पूरी हुई। इसमें चार महीने की अवधि लग गई, लेकिन इन चार महीने की अवधि को भी हमने बेकार नहीं खोया।·····

श्री मदनसिंह : सब जगह गया, लेकिन यह 88 का 88 रहा, यह किसी ने नहीं देखा राष्ट्रपति ने भी 88 ही देखा।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : आप सुनिये, यह इतनी माइनर चीज थी कि वह क्या देखते। दूसरे इंगलिश का वर्शन एक्जामिन हुआ••

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि राष्ट्रपति के पास मंत्रीजी गये थे, लेकिन वहां चपरासी ने पहचाना नहीं और धक्का दे दिया।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जो इंगलिश का वर्शन था, उस अंग्रेजी वाले वर्शन को देखा। वैसे इसमें कोई खास फर्क नहीं था। वहां पर मद्रास के और दूसरे दूसरे प्रान्तों के ऑफिसर रहते हैं, वह इंगलिश का वर्शन देख कर काम चलाते हैं। आप जानते हैं इस बात को।

तो यह जो चार महीने की अवधि का सवाल है, इसमें रूल्स, जिनको बनना जरूरी था इसके क्रियान्वयन के लिए वह तैयार करवाये गये, और तैयार करवाने के बाद वह डाइरेक्टली सेक्रेटरी महोदय की मार्फत मेरे पास तक आ गये। मैं उनको अन्तिम स्वीकृति प्रदान नहीं कर सका क्योंकि स्वयं बिल पर राष्ट्रपति महोदय की...

श्री मदनसिंह : हां, गाड़ी में आये, हवाई जहाज में आये।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : स्वीकृति नहीं मिली थी, उसके पहले रूल्स को फाइनल कर लेते तो कन्टेम्पट ऑफ लेजिस्लेचर हो जाता। राष्ट्रपति महोदय ने जब बिल को...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि आप बिल लेकर स्वयं दिल्ली पधारे थे?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जी नहीं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : हमारी यह सूचना है। क्या यह सही है कि चपरासी ने आपको धक्का देकर निकाल दिया, और पहचाना नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : न मालूम आप क्या क्या ख्वाब देखते हैं। विधान सभा के सदस्य होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिस्टर बिल लेकर नहीं जाता है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : पहले आपने बताया था कि चार महीने इसलिए लग गये कि आप स्वयं मिलने के लिए गये थे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : किसने कहा। आप प्रासीडिंग्स निकाल कर देखिये। मेरे ख्याल मे आपको चिकित्सा की आवश्यकता मालूम पड़ती है जो कही नहीं गई बात, वह आपने सुन ली!

श्री मदनसिंह : बच्चों का बिल है इसलिए बचपना हो रहा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं कह रहा था कि यू० पी० के अन्दर चिल्ड्रन एक्ट के तहत जो इन्स्टीट्यूशन्स चलती हैं, उनको मैं देखने गया था। मैंने सम्बन्धित व्यक्तियों से जानकारी की तो पता लगा कि यू० पी० जसे बड़े और प्रगतिशील राज्य में इस तरह के कानून को विधान सभा द्वारा पास करने के बाद रूल्स वगैरह की फार्मेलिटी पूरी की जाकर इसका

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

क्रियान्वयन प्रारम्भ करने में आठ-नौ साल अर्सा लग गया था। इसके बजाय, मैं कहना चाहता हूं कि इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आये तीन महीने से ज्यादा नहीं हुए हैं, इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि मध्यावधि चुनाव न आये होते तो राजस्थान में 31 मार्च, 1971 के पहिले ही इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया होता। आप जानते हैं कि जो समाज कल्याण के सचिव है, वह राजस्थान में इलेक्टोरल ऑफिसर थे, इलेक्शन सचिव थे और इलेक्शन की व्यवस्था करने में, इन्तजाम करने में वह बहुत व्यस्त रहे और सारे रूल्स के कम्पलीट फेक्ट्स को देख कर, उनको स्क्रूटिनाइज करके मुझसे डिस्कस करने की स्थिति में नहीं थे....

श्री मर्दनसिंह : अब और डिले नहीं हो इसलिए हम जल्दी पास कर दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं कहना चाहता हूं अगर मध्यावधि चुनाव न होते, तो इतना समय नहीं लगता और मार्च, 1971 तक इसका क्रियान्वयन शुरू कर देते। इलेक्शन के दौरान सारी मशीनरी, ऑफिसर और खास तौर से समाज कल्याण के सचिव, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, सचिव हैं वह दूसरे दूसरे कामों में व्यस्त रहे.........

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप से ज्यादा योग्यता रखते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसलिए इतनी देरी लगी। अब जयपुर और अजमेर जिले में इस संशोधन के बाद बहुत जल्दी, मई जून से इसका क्रियान्वयन शुरू हो जायगा और इन्स्टीट्यूशन अपना फंक्शन शुरू कर देगी। हमने स्टाफ का पैटर्न तो फाइनल कर दिया है, रूल्स को फाईनल करने का काम बाकी है, जो पूरा करके इसको मई जून तक श्रीगणेश कर देंगे। मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को यह जानकर संतोष होगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आप इसे दो जिलों, अजमेर और जयपुर में लागू कर रहे हैं, तो अभी राजस्थान के सब जिलों में लागू करने में काफी समय लगेगा, यानि उसमें पांच साल लग सकते हैं, सात साल लग सकते हैं सारे जिलों में लागू करने के लिए। तो आप बतायें कि तब तक दूसरे जिलों के जो डेलिक्वेन्ट चिल्ड्रन है, उपेक्षित बच्चे हैं, उनके लिए इस दरम्यान क्या करेंगे, या दो जिलों की इन्स्टीट्यूशन को आप पावर देंगे, पूरे राजस्थान के स्टेट के लिए ? आप बतायें कि आप क्या करेंगे ? क्या इन सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनको ही इसका लाभ मिल सकेगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन दो जिलों मे ही ऐसे बच्चे हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : दो जिलों में इसे प्रारम्भ किया जायगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके पीछे केवल आर्थिक खर्च का ख्याल ही नहीं रखा है, लेकिन प्रगतिशील कानून के बारे में हमेशा से मेरी कम से कम यह मान्यता है कि अधिक, जरूरत से ज्यादा, उज

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

काम नहीं लेना चाहिए। इन दो जिलों में परीक्षण करने से जो अनुभव होगा, उसके आधार पर जो कुछ आवश्यकता समझेंगे, रूल्स, नियम में परिवर्तन करने की, हेर फेर करने की उसका फायदा उठा कर दूसरे जिलों में इसको लागू करेंगे और दूसरे जिलों में जल्दी से जल्दी इसको लागू करने की कोशिश की जायगी।

यह भी मुद्दा उठाया कि जब तक दूसरे जिलों में लागू नहीं हो, तब तक उन जिलों के बच्चों का क्या होगा ? मैं यह कह सकता हूं कि हमारी जो कुछ भी वर्तमान संस्थायें हैं समाज कल्याण की, उनके माध्यम से जो लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से और नियमों की दृष्टि से जो फीजेबल होगा, व्यवहारिक होगा, वह करने की कोशिश की जायगी। और राजस्थान राज्य में जल्दी से जल्दी अगले वर्ष के प्रारम्भ में इस सारे अनुभव के बाद में इसको लागू करने की कोशिश करेंगे।

एक माननीय सदस्य : कितने वर्ष में पूरे राजस्थान में कर देंगे ?

श्री सभापति : आप हरिवल्लभजी, वापिस ले रहे हैं संशोधन प्रस्ताव।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : हां, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : वापिस ले रहे हैं। संशोधन प्रस्ताव, सदन की अनुमति से, वापिस लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय मंत्री महोदय !

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित भी किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लाज वाई क्लाज मंजूर करवाइये।

श्री सभापति : जरूरी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : देयर इज नो अमेंडमेंट।

श्री सभापति : देयर इज नो अमेंडमेंट।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय।

Page No 110

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 4 बज कर 8 मिनिट पर बुधवार, दिनांक 14 अप्रैल, 1971 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 220 की सूची)

कार्यालय, विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, सीकर ।

सूची उन अध्यापकों की जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दांता में दस साल से कार्य कर रहे हैं:—

क्र०सं०	नाम अध्यापक	वर्तमान संस्था में कार्य करने की तिथि	कुल अवधि वर्ष	माह
1.	श्री गणपति राय, स० अ०	18-7-60	10	8
2.	श्री रामेश्वरप्रसाद, स० अ०	9-7-50	20	8
3.	श्री दीपा राम, स० अ०	8-7-50	20	8
4.	श्री मक्खन लाल, स० अ०	13-11-57	13	5

विजयचन्द्र,
विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, सीकर ।

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चूरू अस्पताल में एक्सरे की मशीन

224. **श्री मेघराज (चूरू)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतीया होस्पीटल, चूरू में एक्सरे मशीन पहुंच चुकी है?

(2) क्या यह भी सही है कि उस मशीन के इन्स्टालेशन की धनराशि मिल जाने पर भी महीनों से वह कार्य नहीं करवाया जा रहा है?

(3) क्या सरकार लोगों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से इस कार्य को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाने की कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 5-12-70 को।

(2) मशीन के इन्स्टालेशन की कार्यवाही चालू है।

(3) जी हां।

जुजानी जोड़, तहसील भीनमाल

225. **श्री आईदानसिंह (भीनमाल)**: क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर, तहसील भीनमाल में "जुजानी जोड़" के नाम से एक बीड़ वन विभाग के अधीन है?

(2) उपरोक्त "जोड़" का क्षेत्रफल कितना है?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त "जुजानी जोड़" में होकर एक रास्ता चलता था?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त "रास्ता" बन्द कर दिया गया है? अगर हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त "जोड़" के चारों ओर खाई खोदी गई है?

(6) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त खाई भीनमाल-जुजानी सड़क के बहुत नजदीक है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 1,778.4 हैक्टर।

(3) जी हां।

(4) जी हां। 1969-70 में रास्ता बन्द किया गया। इस गाड़ें के बजाय भीनमाल-जुजानी-काबतरा की फेमिन सड़क तैयार हो जाने के कारण रास्ता बन्द किया गया ताकि जोड में घास उत्पादन एवं सुरक्षा में वृद्धि हो।

(5) जी हां।

(6) खाई सड़क के निकट तो है किन्तु सड़क की सीमा छोड़ कर खोदी गई है।

ई० एस० आई० डिस्पैन्सरी, कोटा

226. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में ई० एस० आई० डिस्पैन्सरी है? अगर हां, तो कहां कहां व कब कब से व उनके स्टाफ की कितनी कितनी संख्या है?

(2) उपरोक्त डिस्पैन्सरी कितने मजदूरों के लिए पर्याप्त है व वास्तव में कोटा में मजदूरों की कुल संख्या कितनी है?

(3) क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र में एक भी डिस्पैन्सरी स्थापित नहीं है? अगर हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि निगम इस सुविधा हेतु ई० एस० आई० की सहायता देती है? अगर हां, तो कितनी व किस दर से?

(5) क्या यह सही है कि श्रमिक वर्ग को शैय्या सुविधा प्राप्त नहीं है? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) निगम के नियमानुसार साधारणत: 5,000 बीमित मजदूरों के लिए एक औषधालय पर्याप्त है। कोटा में श्रमिकों की संख्या 10,250 है।

(3) जी नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में चलित वाहन औषधालय मजदूरों को चिकित्सा हेतु सहायता पूर्णरूप से कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा स्थाई औषधालय की भी स्वीकृति दे दी है।

(4) निगम व राज्य सरकार क्रमश: 7 : 1 के अनुपात में इसको वहन व्यय करती है। व्यय की निर्धारित सीमा प्रति बीमित 54 रु० श्रमिक प्रति वर्ष है।

(5) जी हां, 24 शैय्याओं का वार्ड महाराव भीमसिंह अस्पताल में पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही चालू किया जा रहा है। वैसे बीमित व्यक्तियों के लिये प्रावधान न होने पर भी सरकारी अस्पताल में समस्त श्रमिक वर्ग को पूर्ण सुविधा दी जाती है।

Page No 114

	औषधालय नं० 1, कोटा	औषधालय नं० 2, कोटा	चलित औषधालय	औषधालय नं० 3, कोटा
प्रारम्भ होने की तिथि	15-8-65	12-6-67	4-7-56	भवन उपलब्ध पर
स्थान	होर्पिग सेन्टर, गुमानपुरा (कोटा)	जंक्शन क्षेत्र, कोटा	गुमानपुरा (कोटा)	„
				निर्धारित मार्गों पर कार्यरत
स्टाफ				
1 चिकित्सा अधिकारी	2	3	1	3
2 औषधि संयोजक श्रेणी I	1	...	...	1
3 औषधि संयोजक श्रेणी II	1	3	1	2
4 औषधि संयोजक श्रेणी III	1	2	1	2
5 स्टाफ नर्स	1	1	...	1 (एक्षेयग्स में)
6 मिडवाइफ	1	2	...	...
7 टैकनिशीयन	1	...	...	1
8 लिपिक	2	1	...	3
9 चालक	...	—	1	..
10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2	1	5

पशुधन की क्षति

227. **श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर):** क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत भयंकर अकाल से पशुधन को जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में भारी क्षति हुई है और यहां के लोगों का जीवन आधार पशुधन ही था ? अगर हां, तो जब बाढ़ से क्षति होती है तो राज्य सरकार व केन्द्र सरकार पुनर्वास के लिए सहायता देती है तो पशुधन की क्षति के लिए सहायता क्यों नहीं दी जा रही है ? अगर दी जावेगी तो कब तक ?

(2) क्या राज्य सरकार पशुधन के ह्रास से जो क्षति गत अकाल में हुई उसके लिए एक योजना बना रही है ? अगर हां, तो वह योजना क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। सम्वत् 2025-2026 में अकाल पशुधन की जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में क्षति हुई है, किन्तु जब बाढ़ से क्षति होती है तो राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार पुनर्वास के लिये सहायता नहीं देती। जिन लोगों के मकान और खाने पीने की सामग्री इत्यादि बाढ़ में बह जाती है या क्षतिग्रस्त होती है तो उन लोगों के अस्थायी आवास की व्यवस्था तथा अस्थायी रूप से राशन आदि की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार सहायता देती है। अत: पशुधन की क्षति के लिये सहायता दी जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) सहायता विभाग में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

हरसोरा बांध

228. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के हरसोरा बांध को बांधने के लिये पिछले साल के बजट में प्रोवीजन रखा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक इस बांध को बंधवाने का ठेका किसी को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार अब इस बांध को शीघ्र बंधवाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, इस कार्य का बजट में प्रावधान तो था, पर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पाई लेकिन बइन्तजार मंजूरी इस कार्य के टेण्डर मांग लिये गये थे, लेकिन बहुत ऊंचे होने की वजह से मंजूर नहीं किये गये।

(3) जी हां।

ग्राम पंचायत, अकलेरा

229. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा):** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकलेरा कस्बे की ग्राम पंचायत में कुल कितने सदस्य थे जिनमें कितनों को

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

पद एवं प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने पर हटा दिया गया और इस समय कितने पंच कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त पंचायत की गत 2 वर्ष से कोई नियमित एवं वैधानिक मीटिंग नहीं हुई और पिछले 2 साल से अकेला सरपंच ही ग्राम पंचायत चला रहा है ?

(3) क्या यह सत्य है कि इतने बड़े कस्बे में 2, 2½ वर्ष तक रिक्त स्थानों की पूर्ती के बाबत बारबार विभाग को एवं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

(4) यदि राज्य सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है तो उक्त पंचायत को भंग किया जाकर तहसील एवं एस० डी० ओ० के सुपुर्द क्यों नहीं किया जाता ?

(5) क्या मंत्री महोदय शीघ्र ही चुनाव कराने का आश्वासन दे सकेंगे ?

(स्थगित किया गया)

गोगासर में हायर सैकण्डरी स्कूल

230. श्री लाभचन्द्र वैद (सुजानगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि रतनगढ़ तहसील में गोगासर नामक एक बड़ा गांव है जहां मिडिल स्कल व गर्ल्स स्कूल चल रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस ग्राम के चारों ओर बड़े बड़े गांव है जिसमें प्राथमिक पाठशालायें है और जिनसे एक बड़ी संख्या में लड़के पढ़ने के लिये आते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस गांव में हायर सैकेन्ड्री स्कूल के लिये मकान बना हुआ है ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस गांव में शीघ्र एक हायर सैकण्डरी स्कूल खुलवाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । लड़कियों की प्राथमिक शाला पंचायत समिति की तरफ से अलग भवन में चलाई जाती है।

(2) जी हां।

(3) इस गांव में हाई स्कूल हेतु इमारत दो खण्डों में बनी हुई हैं। एक पुरानी इमारत है जिसमें कमरें निम्न प्रकार से हैं:—

पुराना भवन			नया भवन		
चार कमरे	20	8	2 कमरे	22	18
एक कमरा	8	8	2 कमरे	22	18
एक कमरा	8	7	2 कमरे	12	8
एक कमरा	25	12			
एक बरामदा	64	8			
एक बरामदा	25	7			
एक बरामदा	17	8			

दो कमरे व एक हॉल की नींव गत वर्ष डाली गई थी जो अभी पूरी नहीं हुई है।

(शिक्षा मन्त्री)

(4) भविष्य में शिक्षा सुविधाओं के उचित प्रसार के समय इस प्रश्न पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

ग्राम पंचायत पीपल्या द्वारा भेंस की नीलामी

231. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डोली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरपंच श्री मिश्रीलाल ग्राम पंचायत पीपल्या, तहसील नैनवां द्वारा चार भैंसों की नीलामी की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि उनमें से दो भैंसों की बोली अधिक होते हुए भी कम दामों में सरपंच द्वारा स्वयं के भाई एवं चपरासी के नाम नीलामी बतला कर रखली है ?

(3) क्या सरपंच की इस अवैधानिक कार्यवाही की जांच जिलाधीश द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो कब और जांच का परिणाम क्या रहा ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1968 में।

(2) जी हां ।

(3) जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है । आगामी जांच का दिनांक 17-5-71 निश्चित है ।

बाड़मेर पावर हाउस की क्षमता

232. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर नगर के बिजलीघर की विद्युत क्षमता कितनी है ?

(2) उक्त बिजलीघर में कितने डिजल सैट कितनी क्षमता के किस मेक के कितने पुराने एवं किस हालत में हैं ? इन सैटों की वास्तविक क्षमता कितनी है ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर मजल प्रदाय योजना को ग्रीष्मकाल में सफल व सुचारू रखने के लिये एवं नगर के सभी उप-मार्गों एवं उपभोक्ताओं की विद्युत् सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक शक्ति वाले नये पावर हाउस की शीघ्र स्थापना होना आवश्यक है ? यदि ऐसा है तो अभी तक नये पावर हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ है ? यह निर्माण कार्य शुरू होने एवं नये डीजल सैट आने में क्या विलम्ब है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर बिजलीघर की इंनस्टाल्ड केपेसिटी 2268 किलोवाट है व डिरेटेड कैपेसिटी 910 किलोवाट है ।

(2) विवरण संलग्न सूची 'ए' में दिया गया है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) बाड़मेर की विद्युत् की वर्तमान मांग वहां का पावर हाउस पूरी कर रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ANNEXURE 'A'

Particulars of Diesel Sets installed at Barmer

Name of make	Installed Cap.	Derated Cap.	Year in which installed	Year of manufacture
1. Lister Black Stone	75	40	1958	1956
2. Lister Black Stone	75	Out of order	1958	1956
3. Lister Black Stone	268	150	1968	—
4. MAN	640	300	1969	1963
5. MAN	640	350	1970	—
6. MAN	120	70	—	—
7. MAN	120	Out of order	1968	1955
8. Catter Piller	100	—do—	—	—
9. Catter Piller	100	—do—	—	1956
10. Cummins	40	—do—	1967	—
11. Cummins	45	—do—	1967	—
12. Cummins	45	—do—	1967	—
	2268	910		

राजस्थानी भाषा को मान्यता

233. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थानी भाषा को साहित्यक मान्यता प्राप्त हो गई है ?

(2) यदि हां, तो इस स्टेटस के मिल जाने के बाद राजस्थानी साहित्य की उन्नति के लिये सरकार क्या करने का सोच रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, मगर यह मान्यता केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने दी है ।

(2) राज्य सरकार की नीति रही है कि राजस्थानी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहित किया जावे । एकेडेमी व शिक्षा विभाग इस ओर आवश्यक कदम उठाते हैं जैसे राजस्थानी साहित्य की खरीद इत्यादि ।

कुशलगढ़ क्षेत्र में बिजली

234. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में चम्बल की बिजली दी जाने की योजना है ? यदि हां, तो बिजली कब तक दी जायेगी और यदि नहीं तो क्यों ?

(2) कुशलगढ़ में कितने गांवों में सिचाई के लिये बिजली दी जा रही है तथा कितने कुओं व एनीकट पर ? गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ॥

(3) कुशलगढ़ से सिंचाई के लिये जो बिजली दी जा रही है उसका समय क्या निर्धारित किया गया है ?

उत्तर

(1) अभी तक इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

(2) केवल कुशलगढ़ ग्राम में 12 कुओं पर विद्युत दी जा रही है ।

(3) कुशलगढ़ में डीजल स्टेशन से अपरान्ह 3 बजे से दूसरे दिन सवेरे सात बजे तक कुल 16 घंटे प्रतिदिन बिजली दी जाती है ।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिये धनराशि

235. श्री मजलिसखां (कामां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिये कुछ धनराशि जिलाधीशों को अलॉट की गई थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि को जिलाधीशों ने पंचायत समिति-वार अलॉट कर दिया था ? यदि हां, तो भरतपुर जिले की किस किस पंचायत समिति को उक्त योजनाओं के लिये कितना कितना पैसा दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि कामां पंचायत समिति को भी लघु सिचाई योजनाओं के लिये पैसा दिया गया था ? यदि हां तो किस ग्राम को और कितना कितना ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना की धनराशि से पंचायत समिति कामां ने ग्राम मुरार, ग्राम मुल्लाका और ग्राम नगला हरनारायण के तीनों बांधों का नव निर्माण अपनी देख रेख में कराया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बान्धों के कच्चे और पक्के कार्यों के टेन्डर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कामां ने ही मांगे थे और स्वयं ने ही उनका निर्णय किया था ? यदि हां, तो उक्त तीनों बांधों के कच्चे और पक्के कामों के ठेके किस नाम के ठेकेदारों को दिये गये ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में वर्षा का औसत माप 20 इन्च और 25 इन्च के लगभग है ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 13/14 अगस्त, 70 को उक्त तीनों बांधों के कच्चे और पक्के काम टूट गये जबकि उस समय उस क्षेत्र में दस बारह इन्च वर्षा भी

(श्री मजलिसखां)

मुश्किल से हुई और उनके पानी से ग्राम कानबाडा, नन्दोला और चक नन्दौला की फसल खरीफ नष्ट हो गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी कि क्या कारण रहा जिससे इतनी थोड़ी वर्षा में उक्त बांध टूट गये ?

उत्तर

(1) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिलाधीशों को कोई धनराशि अलॉट नहीं की गई थी। अतः उनके द्वारा पंचायत समितिवार राशि अलॉट करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। क्षतिग्रस्त बान्धों व तालाबों की मरम्मत हेतु सहायता विभाग से प्राप्त धनराशि में से भरतपुर जिले की पंचायत समिति, कामां को 45,00.00 रुपये, पंचायत समिति, डीग को 20,000.00 रुपये, पंचायत समिति, बयाना को 25,000.00 रुपये, पंचायत समिति, नगर को 35,000.00 रुपये, पंचायत समिति, वैर को 25,000.00 रुपये, पंचायत ससिति, रूपवास को 40,000.00 रु०, पंचायत समिति, नदबई को 21,000.00 रुपये व पंचायत समिति, बसेड़ी को 5,000.00 रुपये की राशि दी गई थी।

(2) लघु सिचाई योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि नहीं दी गई थी।

(3) जी नहीं। क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत हेतु मिली धनराशि से माचो, मुरार मुल्लाका एवं नगंला हरनारायण (पाछोल) के क्षतिग्रस्त बान्धों की मरम्मत ही कराई गई थी।

(4) बांधों की मरम्मत कार्यो के टेन्डर पंचायत समिति मे ही लिये गये थे और पंचायत समिति की कृषि स्थाई समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये थे। मरम्मत का कार्य श्री सत्येन्द्र कुमार, श्रमिक, ठेका सहकारी समिति, डीग, श्री सत्य नारायण, व श्री भगवत प्रसाद ठेकेदारों को दिया गया था।

(5) केवल मुल्लांका बांध की पक्की दीवार टूट गई थी जिसका पानी पुराना रास्ते से जाकर कनवाडा के डहर में पहुंच गया था जो हर वर्ष वहां होकर ही जाया करता था। इस पानी से फसल नष्ट होने का कोई आवेदन-पत्र पंचायत समिति में प्राप्त नहीं हुआ। बांध टूटने की जांच सहायक अभियन्ता, सामुदायिक विकास, भरतपुर द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा है।

राणावत आयोग की रिपोर्ट को प्राइवेट स्कूल व कॉलिज के कर्मचारियों पर लागू करने के आदेश

236. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राणावत आयोग की रिपोर्ट के सुझाव सरकारी स्कूल व कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट स्कूल व कॉलेज के कर्मचारियों पर भी लागू किये जाने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक राजस्थान के सभी प्राइवेट स्कूलों व कॉलेजों में उक्त आदेश लागू नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो किस किस प्राइवेट स्कूल व कॉलेज

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

ने कब कब से लागू कर दिया और किस किस ने अभी तक लागू नहीं किये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान की सभी प्राइवेट स्कूलों व कॉलिजों में राजस्थान वेतन श्रृंखला निर्धारित करने सम्बन्धी सरकार की नीति पूर्व से सहायता नियम 1963 के नियम 4 (बी) के अनुसार निजी सहायता प्राप्त संस्थाओं में स्पष्ट है। अध्यापकों के लिये वे ही वेतन मान होंगे जो राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में।

(2) जैसे जैसे राणावत वेतन श्रृंखला में स्थिरिकरण कर मामले निदेशक जी के पास आते है उनकी स्वीकृति की जाकर अतिरिक्त अनुदान भी दे दिया जाता है।

चूरू जिले में राहत कार्य

237. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में इस वर्ष कौन कौन से सहायता कार्य कब से कब तक चालू रखे गये ?

(2) प्रत्येक कार्य पर कुल कितने मजदूर रहे और कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(3) इससे पहले उन्हीं कार्यों में गत वर्षों के अकाल सहायता कार्यों के समय कितनी कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

(4) उन स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिये अनुमानित व्यय कितना होना था और कितना हुआ और कार्य पूरा करने के लिये कितना और चाहिये ?

(5) किन किन उच्च अधिकारियों ने इन कार्यों का निरीक्षण किया ? निरीक्षण के समय के उपरान्त उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ?

(6) क्या इन कार्यों पर लगे कर्मचारियों और उनके पर्यवेक्षक अधिकारियों के विरुद्ध कामों में और ठेकेदारों से मिलकर भ्रष्टाचार और भारी घोटाले करने की अनेक शिकायतें उच्च अधिकारियों, सहायता विभाग और मंत्री स्तर तक सरपंचों, प्रधानों व जनता की ओर से की गई थी ? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही के क्या परिणाम रहे ?

(7) क्या यह भी सही है कि मजदूरों को 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे और 20 पैसे मजदूरी चुकाई गई ? यदि हां, तो कितने मजदूरों को कितनी बार ?

(8) यह भी बतलाया जाय कि कुल मजदूरों की संख्या के हिसाब से उन्हें निर्धारित दरों से कितनी मजदूरी चुकाई जानी थी और कितनी चुकाई गई ? कुल कितने रुपये की कटौती की गई तथा क्यों ? क्या यह प्रोग्रेस रिपोर्ट और मेजरमेन्ट में कांट छांटकर कटौती की गई है ?

(स्थगित किया गया)

श्री गंगानगर जिले की बन्द नहरें

238. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में नहरों की लम्बे समय तक बन्दी रही है ? यदि हां, तो जुलाई, 1970 से 15 मार्च, 1971 तक कुल कितनी बन्दी कौन कौन नहरों की रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि नहरों की बन्दी रहने से काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कुल कितना नुकसान हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष कपास व कमाद की बिजाई की रुणी के लिये पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कौन सी नहर के क्षेत्र में ऐसा हुआ है और ऐसा किस कारण से हुआ है ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान नहर, गंग तथा भाखरा प्रणालियों में नहरों की बन्दी का महीनेवार विवरण संलग्न है ?

(2) नहरों में पानी की बन्दी रहने से कृषकों को कुछ नुकसान होना तो स्वाभाविक है, परन्तु अधिक नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं, जो पानी उपलब्ध है, दिया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत आसोटा द्वारा भूमि का विक्रय

239. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत आसोटा, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में एक प्रस्ताव पास करके हरिजनों को बसाने के लिये जिलाधीश नागौर से ग्राम आसोटा के पास कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित कर दिया था ? यदि हां, तो पंचायत के प्रस्ताव और जिलाधीश की आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त भूमि का किस प्रकार से वितरण किया गया तथा किस किस व्यक्ति को यह भूमि कितनी कितनी मात्रा में कितने कितने मूल्य में दी गई और भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सरपंच से क्या क्या रिश्ता है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में सरकार को कोई जानकारी मिली है ? यदि हां, तो कब और क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पंचायत आसोटा द्वारा 6 मार्च, 1967 को काश्तकारों, हरिजनों व बलाइयों के आवास की व्यवस्था के लिए कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने

(पंचायत मन्त्री)

का प्रस्ताव पारित किया गया था और जिलाधीश द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी। प्रस्ताव की प्रतियां सदन की मेज पर रखी गयी हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रखी गयी है, जिसमें पूर्ण विवरण दिया गया है।

(3) इसकी जानकारी दिनांक 19-11-70 को सरकार को मिली। सरपंच, उप-सरपंच तथा सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और अवैध विक्रय निरस्त करने हेतु जिलाधीश अपने स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीपेज से क्षति

240. **श्री ब्रजवल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीपेज के कारण राइट मेन कैनाल से तहसील लाड़पुरा तक दीगोद की कितनी भूमि किस गांव में ऊसर एवं क्षार से ग्रसित हो चुकी है ?

(2) जिन व्यक्तियों की वह जमीन खराब हुई उनका नाम तथा रकबा मय गांव के नाम के सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूतपूर्व सचिवों की बकाया

241. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व सचिवों का वेतन बकाया है ?

(2) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि बकाया है ?

(3) बकाया वेतन के चुकारे के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं और कब तक वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

मेड़ता क्षेत्र के ग्रामों में बिजली

242. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता क्षेत्र के ग्राम माकाला, इन्दावड, बासनी, ढाटासनी गंठीया, गगराना, पल, धनापा, गोठन, शिव, मेड़ता रोड, छापरी में काफी कुएं हैं एवं वहां कई गांवों में कुओं पर इन्जन सिंचाई के लिये लगे हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों में अब तक विद्युत नहीं पहुंची है ?

(श्री गोरधन सोनी)

(3) क्या सरकार उपरोक्त गांवों में शीघ्र ही विद्युत् देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इन सभी ग्रामों में अधिक कुए हना या कई ग्रामों में कुओं पर एंजिन लगे होने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) जी हां।

(3) ग्राम पुन्दलू, गगराना एवं गठिया का विद्युतीकरण वर्ष 1970-71 में स्वीकृत कर दिया। ग्राम माकोला एवं धनापा की संशोधित योजना बनवाई जा रही है। शेष गांवों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्थगित प्रश्न

(30-3-71)

प्रधान, पंचायत समिति लाडनूं द्वारा यात्रा भत्ते के रूप में उठाई गई राशि

142. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के प्रधान द्वारा सन् 1965 से लेकर अब तक प्रति माह कितने कितने रुपयों के यात्रा भत्ते के बिल किस किस तारीख को समिति कोष से उठाये गये ? पूर्णविवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस अवधि में प्रधान द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर की यात्रायें भी की गई हैं जिनका यात्रा भत्ता लिया है ? यदि हां, तो कहां कहां की यात्रायें कब कब, किस किस कार्य हेतु समिति क्षेत्र से बाहर की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित-प्रश्न

(30-3-71)

चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों का चुनाव

140. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव बहुत समय से नहीं करवाये गये हैं ? यदि हाँ, तो किन किन के कब कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरदारशहर तहसील क्षेत्र की एक न्याय पंचायत के चेयरमेन एक कत्ल के मामले में बहुत समय से फरार है जिससे उस न्याय पंचायत की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस न्याय पंचायत के पंचों ने सम्बन्धित अधिकारी तथा पंचायत विभाग को कई बार लिखित शिकायत इस चेयरमन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों नहीं की गई ? अब राज्य सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है और कब तक ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(30-3-71)

पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के प्रधान का चुनाव

155. **श्री रामकुमार नान्दवाना** : (चित्तौड़गढ़)। क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में 1 मार्च, 1963 से प्रधान के इस्तीफा देने के बाद से ही उप-प्रधान श्री शान्तिलाल भड़कत्या इस पद पर कार्य कर रहे है ?

(2) नये प्रधान का चुनाव क्यों नहीं कराया गया है और कब तक प्रधान का चुनाव कराने का सरकार का इरादा है ?

(3) क्या यह सही है कि उप-प्रधान के प्रति पंचायत समिति के सदस्यों में असन्तोष फैल रहा है ?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं० 217 की सूची)

जिन कार्यों का चुकारा किया जाना बाकी है उनकी अभिकरणवार सूची:—

सार्वजनिक निर्माण विभाग:

1. कल्याणपुर-सलम्बर वाया मोराई इन्टाली खेड़ा सड़क
2. कल्याणपुर से पलोदड़ा सड़क
3. जयसमन्द-नठारा सड़क
4. पलोदड़ा से जावर माइन्स सड़क

सिंचाई विभाग :

सन् 1969 के उदयपुर उप-खंड :

1. हरचन्द
2. केजड
3. वड़गारी
4. सेमारी
5. अदवास

सलूम्बर उप-खंड :

1. पिलाघर
2. माट केनाल
3. कम्योड़ा पिकअपवियर
4. श्यामपूरा केनाल
5. थडा केनाल
6. गडल तालाब
7. डगोचा
8. देवरा माईनर

सन् 1970 के उदयपुर उप-खंड :

1. अदबास
2. सेमारी

सलूम्बर उप-खंड :

1. टिडी पिकअपवियर
2. घोडासर
3. कम्योडा पिकअपवियर
4. बलुआ तालाब

———

परिशिष्ट 4

(अ० प्र० सं० 204 की सूची)

APPENDIX 'A'

S. No.	District	Sterilisation operations (4/69 to 3/70)	Expenditure (1969-70)
1.	Ajmer	4,903	10,22,892.01
2.	Alwar	2,020	9,93,698.45
3.	Banswara	945	3,92,317.13
4.	Barmer	473	2,33,428.22
5.	Bharatpur	1,616	7,98,748.37
6.	Bhilwara	2,131	6,34,133.06
7.	Bikaner	1,388	5,31,213.99
8.	Bundi	345	2,64,039.71
9.	Chittorgarh	1,271	3,29,642.22
10.	Churu	1,565	4,77,095.08
11.	Dungarpur	317	2,65,925.03
12.	Ganganagar	2,049	3,37,005.33
13.	Jaipur	6,476	22,42,115.04
14.	Jaisalmer	180	1,16,914.41
15.	Jalore	1,000	3,97,304.03
16.	Jhalawar	977	2,55,806.11
17.	Jhunjhunu	1,681	4,43,626.40
18.	Jodhpur	1,801	6,02,514.98
19.	Kota	1,700	8,61,712.42
20.	Nagaur	2,248	8,92,764.27
21.	Pali	1,546	5,17,171.00
22.	Sawai Madopur	1,288	4,91,661.15
23.	Sikar	1,353	3,97,603.33
24.	Sirohi	473	2,24.398.29
25.	Tonk	542	3,51,991.00
26.	Udaipur	4,231	10,34,895.89
	TOTAL	43,375	1,44,10,011.77
			26,02,834.07*

* Pertains to all the 26 Districts being the cost of Contraceptives, vehicles and transfer Budget entries.

APPENDIX 'B'

S. No.	District	Average No. of sterilisation per month (1969-70)	Average amount spent per month (1969-70)
1.	Ajmer	409	86,074
2.	Alwar	169	74,474
3.	Banswara	79	24,389
4.	Barmer	39	10,452
5.	Bharatpur	135	66,662
6.	Bhilwara	178	44,611
7.	Bikaner	116	44,267
8.	Bundi	28	32,003
9.	Chittorgarh	106	27,471
10.	Churu	114	29,757
11.	Dungarpur	26	17,169
12.	Ganganagar	171	46,492
13.	Jaipur	456	1,87,343
14.	Jaislmer	15	9,334
15.	Jalore	67	25,808
16.	Jhalawar	62	21,292
17.	Jhunjhunu	140	36,968
18.	Jodhpur	100	60,292
19.	Kotah	142	57,809
20.	Nagaur	188	49,397
21.	Pali	129	43,099
22.	Sawai Madhopur.	107	40,971
23.	Sikar	113	33,141
24.	Sirohi	32	10,660
25.	Tonk	45	29,332
26.	Udaipur	382	85,407

1. Monthly average of sterilization (Rajasthan) 2,615 —

2. (a) Expenditure with Districtwise Break-up (Total) 1,44,10,011.77
   (b) Total expenditure common to all districts 9,02,334.07
   (c) Total expenditure during 1969-70 1,53,12,345.84
   (d) Average Monthly expenditure-Rajasthan 12,76,070.00

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं० 209 की सूची)

कामा पहाड़ी ड्रेन की लिंक ड्रेन्स का जो मुआवजा देना बाकी है उसका विवरण

क्रम सं०	ड्रेन का नाम	गाव	काश्तकारों का नं० जिन्हें मुआवजा देना है	क्षेत्रफल	रकम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
				बी० वि०		
1	सतवाड़ी—खेरावा लिंक ड्रेन	सतवाड़ी	23	23.16	4,653.00	इस नाली का कार्य सन् 1970 में हुआ व इसके मुआवजे के कागज बनाकर पहाड़ी सब-तहसील में तस्दीक के लिये भेजे गये हैं।
		सांवलेर	40	26.18	7,964.00	
		दहाना	3	3.18	965.25	
		मुंगसका	5	11.10	1,556.50	
		ईखनका	4	0 16	352.00	
		सोमका	19	12 09	4,928 00	
		बड़ौदा	16	28.19	7,172.00	
			110	108 07	27,590.75	

1	2	3	4	5	6	7
2.	वीलेट लिंक ड्रेन	हुजरा (गादानेर)	19	17.15	10,175.00	इस नाली का कार्य सन् 70 में हुआ था व इसके मुआवजे के कागज तैयार कर लिये गये हैं।
3.	हुलताना कलतरिया लिंक ड्रेन	हुलताना	13	6.10	2,816.00	इस नाली का काम अभी जनवरी, 71 में ही आरम्भ किया है व मुआवजे के कागजात तैयार कर लिये हैं और जल्दी ही तहसील में तहसील के लिये भेज दिये जावेंगे।
		कलतरिया	11	9.10	1,768.25	
		हरूका	2	0.15	330.00	
		मुडारा	31	22.09	8,723.00	
		नेतवाड़ी	8	5.05	2,219.55	
			65	44.09	15,856.50	
4.	लंका-जसोंदा लिंक ड्रेन	कामा	7	3.0	1,320.00	
		योग ..	201	173.11	54,942.25	

जगदीश गहलोत,
अधिशासी अभियन्ता,
जिला अलवर।

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 213 की सूची)

पंचायत समिति लाडपुरा में प्राथमिक शालाओं का विवरण।

क्र० सं०	नाम गांव जहां प्राथमिक शाला स्थित है।	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या।
1	2	3	4
1.	खोपरिया	174	6
2.	किशनपुरा तकिया	236	4
3.	रंगपुर	71	3
4.	नानागांव	74	3
5.	रायपुरा	164	5
6.	मानपुरा	67	2
7.	बीरखण्डी	81	3
8.	तामेड़	91	3
9.	मोरथा	100	3
10.	फसलाना	52	2
11.	घटाना	71	2
12.	अर्जुनपुरा	74	3
13.	चन्द्रेसल	70	3
14.	गांवड़ी	57	3
15.	गिरधरपुरा प्रथम	104	3
16.	राजपुर	184	5
17.	देवलनगर	136	4
18.	खेड़ाजगपुरा	61	2
19.	नयानौहरा	26	1
20.	झालीपुरा	33	1
21.	रामराजपुरा	30	1
22.	भोटाना	40	1
23.	रोटेवा	30	1
24.	देवलीपछियान	29	1

Page No 132

1	2	3	4
25.	गोरधनपुरा	25	1
26.	बांवड़ी	43	1
27.	घोरावास	38	1
28.	गिरधरपुरा द्वितीय	21	1
29.	मन्वा	31	1
30.	छीलीया	21	1
31.	मन्हाना	253	
32.	उम्मेदपुरा	62	2
33.	मांदरवा	93	3
34.	कन्या मन्डाना	127	3
35.	भंवरिया सगवाड़ा	66	3
36.	सोमड़ा	56	2
37.	झापुरा	27	1
38.	रांवठा	27	1
39.	बटलपुरा	34	1
40.	सोलव चिड़ी	28	1
41.	सिहपुरा	25	1
42.	सुन्दरगढ़	5	1
43.	बेमून	532	16
44.	गन्धीफली	82	3
45.	घाघोड़ा	81	3
46.	दमिवानि	100	4
47.	अमलिचा	97	3
48.	मवादा	66	2
49.	दोगपुरा	62	2
50.	जोड़िया	68	2
51.	सडाना	56	2
52.	कापीखेड़ा	36	2
53.	गोदल्या खेड़ी	57	2
54.	रायपुरा	55	2
55.	लाडपुर	76	2
56.	थकड़ खेड़ी	99	4

Page No 133

1	2	3	4
57.	कन्या खेडा रसुलपूर	63	3
58.	अजयपुर	22	1
59.	भगवानपुरा	27	1
60.	भोजपुरा	30	1
61.	मीमपुरा	40	1
62.	नगपुरा	22	1
63.	किशनपुरा	29	1

परिशिष्ट 7

(अ०प्र०सं० 217 की सूची)

पंचायत समिति लाडपुरा में कार्य कर रहे ग्राम सेवकों का विवरणः—

क्रमांक	पंचायत जहां नियुक्त है
1.	नान्ता
2.	देवली अरब
3.	खेड़ा रसूलपुर
4.	काल्या खेड़ी
5.	अरन्ड खेड़ा
6.	कसार
7.	कैथून
8.	ताथेड़
9.	बोरावास
10.	किशनपुरा तकिया
11.	मन्डाना
12.	सोगरिया
13.	बनियानी
14.	गन्दीफली
15.	धाकड़खेड़ी

परिशिष्ट 8

(अ. प्र० सं० 213 की सूची)

1969 में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सूची

1. श्री कल्याण प्रसाद खूटेटा, व० अ०
2. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, व० ले०
3. श्री कैलाशचन्द्र जैन, क० ले०
4. श्री श्याम प्रताप खूटेटा, क० ले०
5. श्री दीपचन्द शर्मा, स० अ०
6. श्री राधेश्याम अग्रवाल, स० अ०
7. श्री मदन दत्त शर्मा, व० ले०
8. श्री पूरणचन्द गुप्ता, क० ले०

1970 में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सूची

1. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, व० ले०
2. श्री वासुदेव प्रसाद मावन, व० ले०
3. श्री लक्ष्मणलाल शर्मा, व० ले०
4. श्री मदनदत्त शर्मा, व० ले०
5. श्री रघुनाथ सैनी, व० ले०
6. श्री इकबालसिंह, व० ले०
7. श्री कैलाशचन्द्र जैन, क० ले०
8. श्री श्याम प्रसाद खूटेटा, क० ले०
9. श्री भोजराज, क० ले०
10. श्री देवी सहाय पारीक, स० अ०
11. श्री राजबहादुरसिंह, स० अ०
12. श्री इकबाल अहमद, क० ले०
13. श्री गोपाललाल जैन, व० ले०
14. श्री कृष्ण लाल शर्मा, क० ले०

1971 में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सूची

1. श्री वासुदेव प्रसाद मावन, व० ले०
2. श्री लक्ष्मणलाल, व० ले०
3. श्री इकबालसिंह, व० ले०
4. श्री पृथ्वीराज शर्मा, व० ले०
5. श्री देवी सहाय पारीक, स० अ०
6. श्री भगवान सहाय, स० अ०
7. श्री कृष्णलाल शर्मा, क० ले०
8. श्री श्रीकान्त शर्मा, प्र० अ०

परिशिष्ट 9

(अ० प्र० सं० 225 की सूची)

अचल सम्पति व धर्मादा गोपालपुरा ट्रस्ट, झालरापाटन

क्र० सं०	नाम सम्पति (अचल)	किरायेदार का नाम	किराया प्र० वर्ष
1.	दुकान चौपडिया, बाजार नं० 1	श्री कल्याणमल जी	60–00
2.	दुकान नं० 2	श्री कस्तूरचन्द जी चौपडा	36–00
3.	दुकान नं० 3	श्री कन्हैयालालजी तम्बोली	78–00
4.	दुकान नं० 4	श्री ननुलालजी सुनार	54–00
5.	दुकान नं० 5	श्री रामकिशनजी मूंदड़ा	72–00
6.	दुकान नं० 6	श्री राजमलजी दलाल	60–00
7.	दुकान लंका गेट नं० 1	श्री मांगीलालजी तम्बोली	15–00
8.	दुकान नं० 2	श्री कम्मा पुत्र रमजानी	12–00
9.	दुकान नं० 3	श्री कम्मा पुत्र घुलजी	12–00
10.	दुकान नं० 4	श्री नम्बदाजी लुहार	12–00
11.	दुकान नं० 5 मय बाड़ा	श्री अब्दुलाजी लुहार	39–00
12.	दुकान सरफा बाजार	श्री चान्दमलजी बामडिया	72–00
		योग —	522–00

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 227 की सूची)

वन खण्ड खोखन्दाधनवास तथा फील्ड ट्रायल में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की सूची

क्र० सं०	नाम अपराधी	अतिक्रमण का वर्ष	नाम वन खण्ड	अनुमानित क्षेत्रफल	फसल जो बोई गई	एफ० आई०आर० सं० तथा दिनांक
1.	श्री जहूर खां वल्द रहीम मुल्ला, मुसलमान सा० झालावाड	1967-68	खोखन्दा निवास	6 बीघा	तिल्ली व मक्का वर्ष 67-68 में व मक्का 68-69 एवं 69-70 में बोई गई है।	8780 दि० 4-9-67 व 143 दि. 2-2-70
2.	श्री नसीर खां, वल्द गफ्फार खां सा० झालावाड	,,	,,	6 बीघा	,, ,,	सं. 8770 व 140 दि. 4-9-67 2-2-70
3.	श्री लालसिंह वल्द हरीसिंह राजपूत डाणी	,,	,,	8 बीघा	,, ,,	,, 141 दि. 2-2-70
4.	श्री बाला वल्द गणेश भील सा० डाणी	,,	,,	7 बीघा	,, ,,	,, 144 दि. 2-2-70
5.	श्री प्रभुलाल वल्द रतनलाल धाकड सा० डाणी	,,	,,	7 बीघा	,, ,,	,, 142 दि. 2-2-70
6.	श्री किशना वल्द नन्दामल भील सा० दुर्गपुरा	1968-69	फील्ड ट्रायल	4-5 बीघा	केवल भूमि सफाई की गई	सं. 3784 दि. 21-7-68
7.	श्री राधेश्याम द्वारा श्री हेमा ऊंकार, मांगीलाल, किशना आदि सा० झालावाड़	1969-70	,,	2 बीघा	ज्वार बोई गई	सं. 768-18 दि. 16-7-69

Page No 138

परिशिष्ट 11

(अ०प्र०सं० 228 की सूची)

राजस्थान सरकार द्वारा (समाज कल्याण विभाग) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को वर्ष 1970-71 में कानूनी सहायता की जिलेवार (व्यवस्था) की सूची।

क्र०सं०	जिले का नाम	अनु०जन०जाति	अनु०जाति	योग
1.	जयपुर	—	2,000/-	2,000/-
2.	सीकर एवं झुन्झुनू	—	500/-	500/-
3.	टोंक एवं बूंदी	250	500/-	750/-
4.	कोटा एवं झालावाड़	1000/-	1,000/-	2,000/-
5.	अजमेर	500/-	250/-	750/-
6.	अलवर	250/-	250/-	500/-
7.	भरतपुर	500/-	500/-	1,000/-
8.	सवाई माधोपुर	250/-	500/-	750/-
9.	जोधपुर	1000/-	1,000/-	2,000/-
10.	नागौर	250/-	850/-	1,100/-
11.	जालोर एवं सिरोही	500/-	250/-	750/-
12.	जैसलमेर एवं बाड़मेर	100/-	400/-	500/-
13.	पाली	400/-	250/-	650/-
14.	उदयपुर	2,000/-	—	2,000/-
15.	बांसवाड़ा	500/-	—	500/-
16.	डूंगरपुर	500/-	—	500/-
17.	भीलवाड़ा	500/-	—	500/-
18.	चित्तौड़गढ़	250/-	250/-	500/-
19.	बीकानेर एवं चूरू	1,000/-	1,000/-	2000/-
20.	श्री गंगानगर	250/-	500/-	750/-
	योग ..	10,000/-	10,000/-	20,000/-

परिशिष्ट 12

(अ० प्र० सं० 229 की सूची)

सीकर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा बिजली पानी का अनुदान दिया गया उसकी सूची ।

वर्ष 1969-70 :

		बिजली	पानी
1. नगर परिषद् क्षेत्र, सीकर	1. वार्ड नं० 23 हरिजन बस्ती	–	4,200/-
	2. वार्ड नं० 5	–	3,200/-
	3. वार्ड नं० 16	–	3,550/-
	4. परिषद् क्षेत्र, सीकर	–	31,850/-
2. नगरपालिका क्षेत्र नीम का थाना	वार्ड नं० 3, 4, 6, 7, 9, 10	–	20,900/-
3. ग्राम पंचायत नेछुवा, सीकर	हरिजन बस्ती	8,130	–
4. ग्राम पंचायत रींगस, सीकर	हरिजन बस्ती, रींगस	5,200/-	–
5. ग्राम पंचायत गनेरी, (सीकर)	हरिजन बस्ती, गनेरी	6,270/-	–
6. ग्राम पंचायत खुड़ी, सीकर	हरिजन बस्ती, खुड़ी	8,230/-	–
7. ग्राम पंचायत कुदन (सीकर)	हरिजन बस्ती, कुदन	5,390/-	–
8. पंचायत समिति दांता	हरिजन बस्ती, दांता	20,000/-	–
9. ग्राम पंचायत नेछुवा	हरिजन बस्ती, नेछुआ	–	8,740/-
10. ग्राम पंचायत रींगस	हरिजन बस्ती, रींगस	–	1,0770/-
11. ग्राम पंचायत फागलवा	हरिजन बस्ती, फागलवा	–	2,550/-
12. नगरपालिका फतेहपुर	हरिजन बस्ती फतेहपुर	–	3,000/-

वर्ष 1970-71 :

		बिजली	पानी
1. पंचायत समिति धोर, सीकर	हरिजन बस्ती, यूजोद	3,920/-	–
पंचायत समिति धोर, सीकर	हरिजन बस्ती, बसलपुरा	6,216/-	–
2. पंचायत समिति धोर, सीकर	नायक मोहल्ला यूजोद	3,090/-	–
3. नगर पालिका क्षेत्र, लक्ष्मणगढ़	1. खटीक बस्ती, वार्ड नं० 1	–	4,490/-
	2. गुरड़ो की गली वार्ड नं० 1	–	1,670/-
	3. बलाई बस्ती पश्चिम वार्ड नं० 10	–	1,600/-
4. नगर पालिका रामगढ़, सीकर	मेहतरों का मोहल्ला वार्ड नं० 5	5,101/-	–
5. नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	खटीक मोहल्ला वार्ड नं० 9	3,000/-	–
	योग :	21,327/-	7,690/-

Page No 140

परिशिष्ट 13

(अ० प्र० सं० 230 की सूची)

सूची 'अ'

सूची जिला टोंक में अनुसूचित जाति व जन जाति कल्याण हेतु पंचायत समितियों को आवंटित धनराशि की

नाम जाति	कार्य	नाम पंचायत समिति	धनराशि
अनुसूचित जन जाति	भवन निर्माण	मालपुरा	2,000/-
अनुसूचित जाति	पीने के पानी के कुएं के लिये	निवाई	2,000/-
अनुसूचित जाति	भवन निर्माण हेतु	टोंक	2,000/-
अनुसूचित जाति	भवन निर्माण हेतु	अलीगढ़	7,000/-
अनुसूचित जाति	भवन निर्माण हेतु	मालपुरा	15,000/-
		योग ..	28,000/-
अनुसूचित जाति	सरपर मेला ढोने की प्रथा समाप्त करने हेतु नगरपालिका को अनुदान	नगरपालिका मालपुरा	25,000/-
		महा योग ..	53,000/-

विभाग द्वारा सीधे अनुदान स्वीकृति की सूची 'ब'

जिला टोंक

भवन निर्माण हेतु सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्र० सं०	नाम अनुदायी मय पिता	जाति	स्थान	स्वीकृत राशि
				रू०
1.	श्री मनफूल पुत्र कालिया	मेहतर	काली पल्टन, टोंक	1,000
2.	श्री रामनिवास पुत्र घीसीया	,,	,,	1,000
3.	श्री लल्लू पुत्र कालिया	,,	,,	1,000
4	श्री रामदेव पुत्र गौरू	,,	,,	1,000
5.	श्री बाबू पुत्र घीसा	,,	,,	1,000
6.	श्री श्रीमती बादु जोजे श्री कल्याण	,,	उनियारा	1,000
7.	श्री श्रीमती चांदू जोजे अमरा	,,	,,	1,000
8.	श्रीमती रोडी जोजे जुहारा	,,	,,	1,000
9.	श्रीमती गडूली जोजे फूलिया	,,	निवाई	1,000
10.	श्री नानगा पुत्र मंगला	,,	,,	1,000
11.	श्री गुलिया पुत्र पांचू	,,	,,	1,000
12.	श्री नारायण पुत्र मांगिया	,,	,,	1,000
13.	श्री प्रभातिया पुत्र मंगला	,,	,,	1,000
14.	श्री छोटिया माया पुत्र देविया	,,	,,	1,000
15.	श्री मल्या पुत्र जवारा	,,	,,	1,000
16.	श्री मिश्रीलाल पुत्र चौथूलाल	,,	,,	1,000
17.	श्री लालिया पुत्र कजोडराम	,,	,,	1,000
18.	श्री रामचरण पुत्र किस्तूरा	,,	,,	1,000
19.	श्री छोगाराम पुत्र श्री सुखाराम	रेगर	टोडारायसिंह	1,000
20.	श्री दुर्गालाल पुत्र श्री रामदेव	,,	,,	1,000
21.	श्री नानगा पुत्र कुशाला	,,	,,	1,000
22.	श्री रामदयाल पुत्र श्री कुशाला	,,	,,	1,000

बिजली व्यवस्था हेतु दी गई सहायता

नगरपालिका, टोंक	...	...	...	2,966

नल व्यवस्था हेतु दी गई सहायता

नगरपालिका टोंक	...	...	...	15,100

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 13 अप्रेल, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
5	7	बा !	बात
11	15	हुं	हूं
15	3	संय	संघ
18	10	छेड़ो	छोडो
19	18	वर्था	क्यों
19 अन्तिम से	8	अध्पक्ष	अध्यक्ष
21 ,,	5	आयीं	आई
,, ,,	1	पत्तों	पत्तो
23 ,,	14	ठके	ठेके
24 ,,	5	कन्सिल	केन्सिल
28 ,,	3	म	में
,, ,,	1	या	आ
,, ,,	12	मैने	मैंने
30 ,,	3	वता ीजिये	वता दीजिय
32	9	म	में
33 अन्तिम से	8	खच	खर्च
34 ,,	17	एम्सपेन्डीचर	एक्सपेन्डीचर
35	1	श्री मथुरदास	श्री मथुरादास
36	4	पोजीशन	पोजीशन
38	8	स्टेटमेट	स्टेटमेन्ट
39 अन्तिम से	16	कन्पजन	कनपयूजन
41 ,,	15	कान्सीटयूशनली	कानस्टीट्यूशनली
43	7	चकिग	चैकिंग
46 अन्तिम से	10	दने	देने
,, ,,	2	चार्जेज	चार्जेज

1	2	3	4
49	16	पूर	पूरा
50	15	ड्न	ड्रेन
54 अन्तिम से	15	थ	थे
" "	10	कराब	करीब
" "	9	स	इस
55	10	अगमी	आगामी
56	5	सूच ।ा	सूचना
" अन्तिम से	12	खुर्रा	खर्रा
" "	6	न	ने
62 "	9	स भावना	सम्भावना
64	8	स्कलों	स्कूलों
65 अन्तिम से	10	सविघा	सुविधा
68	11	आनी	अपनी
69	6	चकी	चुकी
" अन्तिम से	15	ह	हैं
" अन्तिम से	2	दिय	दिये
" अन्तिम से	1	रखन	रखने
72	11	ममि	भूमि
78	14	सूचनदी	सूचना दी
79	5	वि ान	विधान
81	14	वतव्य	वक्तव्य
83 अन्तिम से	12	उसम	उसमें
" अन्तिम से	2	चके	चुके
90	7	ज	जो
99	9	मझे	मुझे
101	2	वस्तुथिथति	वस्तुस्थिति
"	15	जानका	जानकारी
103	13	पजशन	पजेशन
"	16	आदश	आदेश
105	2	करन	करने
"	11	मझ	मझे
107 अन्तिम से	3	चका	चुका
111 "	3	वचगी	बचेगी
114 "	11	इसम	इसमें

1		2	3	4
117		6	पसा	पैसा
119	अन्तिम से	11	गय	गये
120		1	जमीन	जमीन
120	अन्तिम से	13	कर	करते
131		8	चोन	चीन
131		11	रुस	रूस
132		7	बच	बेच
132		15	बड़	बड़े
132	अन्तिम से		खल	खेल
134	,,	9	म	मैं
136		2	म	में
137		2	ह	हो
140	अन्तिम से	3	करन	करने
142		4	लड	लेंड
,,		16	झूठ	झूंठ
144		3	सदस	सदस्य
146	अन्तिम से	16	अनधिकार	अनाधिकार
149		15	करता	करती
150		14	होन	होने
161		3	लाय	लायें
163	अन्तिम से	2	ए	एक
164	,,	4	ही	हो
,,	,,	4	पदा	पैदा
165		12	उस वह पर कर्जा	उस पर वह कर्जा
165	अन्तिम से	5	शयर	शेयर
167	•	2	अमली	असली
170	अन्तिम से	7	ह	हैं
177	,,	3	गय	गये
191	,,	10	जमो	जमीनें
199		9	कग्रेसमेन	कांग्रेसमेन
200		11	द्वार	द्वारा
210		5	चुक	चुके
211	अन्तिम से	11	जसा	जैसा

4

1	2		3	4
211	अन्तिम से	1	वताय	बतायें
214	,,	4	जसे	जैसे
216	,,	18	दसरे	दूसरे
232		10	म	में
236	अन्तिम से	10	तेनों	तीनों
248		1	इस्तीका	इस्तीफा